ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

पाक्षिक करेंट अफेयर्स मैगजीन

दिसंबर 2023
Issue : 02
वर्ष : 5 | अंक : 24
मूल्य:₹70

dhyeyaias.com

मुख्य विशेषताएं

- इटली बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर
- सीओपी. 28 सम्मेलन सम्पन्न
- भारत द्वारा ग्लोबल एलायंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता
- हॉर्नबिल महोत्सव
- मणिपुर में उग्रवाद और शांति समझौते
- भारत-मालदीव संबंध
- जेवियर माइली: अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति
- उपभोक्ता अधिकार संरक्षण
- विश्व मलेरिया रिपोर्ट
- अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023
- इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023
- परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स
- स्वस्थ आहार पर एफएओ रिपोर्ट
- अर्जेंटीना में अराजक पूंजीवाद
- ओडिशा की बाली यात्रा

प्रीलिम्स स्पेशल

राजव्यवस्था और शासन

भाग-1

ब्रेन बूस्टर

- गरबा नृत्य
- सुशासन दिवस
- ग्लोबल रिवर सिटीज़ एलायंस

प्रीलिम्स फैक्ट्स

- आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम
- कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग
- ब्रिक सोसायटी
- टेबल-टॉप अभ्यास
- सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार
- बुकर पुरस्कार
- वेलकम टू पैराडाइज
- प्रणब, माई फादर: ए डॉटर रेमेम्बेर्स

चर्चित स्थल

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा के लिए वन लाइनर्स

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

PERFECT 7

Complete fortnightly magazine for **UPSC** and **PCS** exams

Fortnightly Current Affairs Magazine

*Available Fortnightly in **Hindi** & **English***

Features :

- Upto date current affairs.
- 7 Editorials by experts.
- 42 Power packed articles focus on Pre cum mains .
- 7 Concept based Brain Boosters.
- Compact & relevant information.
- Special focus on info-graphics, data and maps.
- Pre focussed static and current MCQs.
- Places in news with map.
- Short articles and one liners for prelims.
- Special content for Prelims & Mains.
- Special section for state PCS current affairs.

Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
70	24	1680	1320

Half Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
70	12	840	720

**Postal charges extra*

For More info : **9369227134** | perfect7magazine@gmail.com

पहला पन्ना

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

इस अंक में ...

संस्थापक : विनय सिंह
प्रबंध निदेशक : क्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक : विजय सिंह
संपादक : विवेक ओझा
सह-संपादक : आशुतोष मिश्र
: सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक : हरि ओम पाण्डेय
: भानू प्रताप
संपादकीय सहयोग : ऋषिका, प्रमोद
: प्रत्यूषा, पूर्णाशी
: रत्नेश, अर्पित
: तपस्या, अर्शदीप
मुख्य समीक्षक : ए.के. श्रीवास्तव
शोध एवं समीक्षक : नितिन अस्थाना
: शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग : अरूण मिश्र
एवं डेवलेपमेंट : पुनीष जैन
सोशल मीडिया : केशरी पाण्डेय
मार्केटिंग सहयोग : प्रियांक, अंकित
टंकण : सचिन, तरून
तकनीकी सहायक : वसीफ खान
कार्यालय सहायक : राजू, चंदन, गुड्डू
: अरूण, राहुल

-: साभार :-
PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, HT, ET, ToI, दैनिक जागरण व अन्य

समसामयिकी लेख

1. मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दाः द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान दशा 5-6
2. मणिपुर में उग्रवाद और शांति समझौतों के लिए सक्रिय केंद्र सरकार 7-8
3. प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के सन्दर्भ में सरकार के नए कदम 9-10
4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधारः वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक 11-12
5. अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों और नीतियों की समीक्षा जरूरी 13-14
6. उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता 15-16
7. भारत द्वारा ग्लोबल एलायंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता के मायने 17-18

- राष्ट्रीय 19-23
- अंतर्राष्ट्रीय 24-28
- पर्यावरण 29-33
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 34-38
- आर्थिकी 39-43
- विविध 44-47
- ब्रेन-बूस्टर 48-54

प्री स्पेशल

- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 55-58
- समसामयिक घटनाएं एक नजर में 59
- चर्चा में रहे प्रमुख स्थल 60
- समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 61-63
- राजव्यवस्था और शासन भाग- 01 64-78
- महत्त्वपूर्ण दिवस 78

मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दाः द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान दशा

भारत और मालदीव के संबंधों के विश्लेषण में इस समय सर्वाधिक चर्चित मुद्दा है मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सैनिकों को देश से हटाने पर बल देना। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में यूएनएफसीसीसी के कोप 28 समिट में भाग लेने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने ऐलान किया कि भारत, मालदीव से अपनी सेना वापस बुलाने पर सहमत हो गया है जिसके बाद से भारत-मालदीव संबंधों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण भी किया जाने लगा है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ और मालदीव के नए राष्ट्रपति ने भारत के सैनिकों की मालदीव में उपस्थिति को खत्म करने की मंशा जाहिर की। नए राष्ट्रपति का पद संभालते ही मुइज्जू ने घोषणा की थी कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी हिंद महासागर द्वीपसमूह में विदेशी सैन्य उपस्थिति को खत्म करना है। यह प्रकरण भी भारत की विदेश नीति के समक्ष एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि भारत को हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में माना जाता है।

मालदीव में भारत की सैन्य व नौसैन्य उपस्थितिः

- भारत ने अपने सागर (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दि रीजन) विजन के जरिए हिंद महासागर के देशों में अपनी सैन्य या नौसैन्य उपस्थिति को हमेशा ही सकारात्मक अर्थों में पेश किया है। इस समय मालदीव में करीब 70 भारतीय सैन्य कर्मी मौजूद हैं जो नई दिल्ली प्रायोजित रडार स्टेशनों और निगरानी विमानों का रखरखाव करते हैं जिससे भारतीय युद्धपोत को मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गश्त करने में मदद मिलती है। मालदीव में 2013 से ही लामू और अड्डू द्वीप पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। भारतीय नौसैनिक भी मालदीव में तैनात हैं। इंडियन नेवी ने वहां 10 कोस्टल सर्विलांस रडार इंस्टॉल कर रखे हैं। भारत के इन सब कार्यों का मतलब स्पष्ट है, भारत इसे मालदीव की नौसेना और कोस्ट गार्ड के क्षमता निर्माण का जरिया मानता है। मालदीव में नए राष्ट्रपति की जीत ने हिंद महासागर पर प्रभाव के लिए चीन तथा भारत के बीच पॉवर पॉलिटिक्स को और भी बढ़ा दिया है। भारत और चीन दोनों देशों ने मालदीव के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए भारी निवेश किए हैं।

इंडिया आउट कैंपेन और मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति का दृष्टिकोणः

- भारत मालदीव को अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सागर विजन तथा आइलैंड डिप्लोमेसी का अभिन्न हिस्सा मानता है, लेकिन जब से भारत विरोधी तत्वों ने मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाया, तब से भारत को मालदीव के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में और सतर्क रहने की सीख मिली। इसी बीच इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर चलने वाले मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह चुनाव हार गए और चीन की तरफ रुझान रखने वाले नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की ताजपोशी हो गई। चुनाव प्रचार के दौरान भी मुइज्जू ने 'इंडिया आउट' का नारा दिया था। मुइज्जू ने अपना चुनाव 'इंडिया आउट' कैंपेन पर लड़ा था। इस चुनाव में मुइज्जू को 53 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को 46 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे। चुनाव जीतने के बाद पहली रैली में मुइज्जू ने कहा था कि मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता सबसे ज्यादा मायने रखती है। लोग नहीं चाहते कि भारतीय सैनिक मालदीव में रहें, इसलिए वे हमारी भावनाओं और इच्छा के खिलाफ यहां नहीं रह सकते।

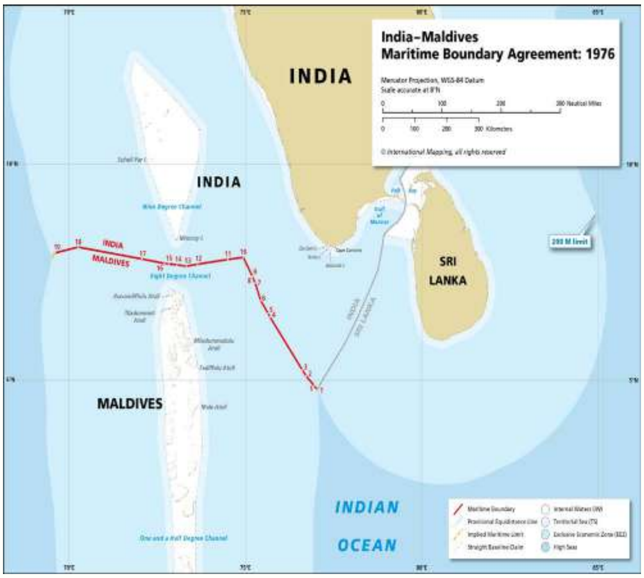

भारत-मालदीव संबंध पर चीन फैक्टर का प्रभावः

- हाल के समय में जब से चीन को अपने बेल्ट एण्ड रोड इनशिएटिव तथा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के सामने चुनौतियां नजर आने लगी हैं, तब से चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को नए सिरे से अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की है। मालदीव में 2018 से पूर्व अब्दुल्ला यामीन की सरकार भी भारत विरोधी दृष्टिकोण के लिए जानी गई थी, साथ ही अब्दुल्ला यामीन ने चीन के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों की मजबूती के लिए कार्य किया था। यामीन के समय में ही 2017 में मालदीव पाकिस्तान के बाद दूसरा दक्षिण एशियाई देश बना था जिसने चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता

किया था। यहां इस बात का उल्लेख भी महत्त्वपूर्ण है कि अब्दुल्ला यामीन भी इंडिया आउट कैंपेन का हिस्सा रहे और उन्होंने प्रयास किया कि मालदीव में भारतीय निवेश तथा भारतीय कंपनियों की उपस्थिति में अधिकतम कटौती की जाए।

मालदीव में एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार जरूरी:

- मालदीव में एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार भारत के हितों के लिहाज से बहुत जरूरी है। एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध मालदीव न केवल भारतीय हितों के लिहाज से, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया तथा हिंद महासागर की सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। मालदीव में जिस तरीके से धार्मिक कट्टरता और चरमपंथी ताकतों का प्रसार हुआ है, वह चिंता का विषय रहा है। हिंद महासागर में स्थित इस द्वीपीय देश में 98 प्रतिशत मुस्लिम है। बाकी 2 प्रतिशत अन्य धर्म हैं, लेकिन उन्हें अपने धार्मिक प्रतीकों को मानने या पब्लिक में त्यौहार मनाने की छूट नहीं। यहां तक कि अगर किसी को मालदीव की नागरिकता चाहिए तो उसे मुस्लिम, वह भी सुन्नी मुस्लिम होना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स यहां धार्मिक मामलों पर नियंत्रण करती है।
- यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने साल 2022 में मालदीव में रिलीजियस फ्रीडम पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि वहां के द्वीप पर भगवान की मूर्तियां स्थापित करने के जुर्म में तीन भारतीय पर्यटकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहां तक कि मालदीव में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों ने इंटरनेशनल योगा डे के खिलाफ अपील की थी कि ऐसे आयोजनों से गैर-इस्लामिक प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलता है। वैसे इस देश में लगभग 29 हजार भारतीय रह रहे हैं, लेकिन या तो वे इस्लाम अपना चुके या फिर अपना आधिकारिक धर्म छिपाते हैं।
- मालदीव में इस्लामिक कट्टरपंथ इतना प्रबल रहा है कि धर्म परिवर्तन की भी इजाजत नहीं है। कोई भी मुस्लिम नागरिक अपनी मर्जी से दूसरा धर्म नहीं अपना सकता। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के तहत इस पर कड़ी सजा मिल सकती है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट यहां तक कहती है कि धर्म परिवर्तन पर शरिया कानून के तहत मौत की सजा भी मिलती है, हालांकि मालदीव सरकार ने कभी इस पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है।
- मालदीव में सत्ता परिवर्तन का प्रभाव भारतीय हितों पर पड़ता रहा है। लोकतंत्र समर्थक नेतृत्व को मालदीव में अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। 2008 में मालदीव में हुए पहले संसदीय चुनाव में मोहम्मद नशीद की सरकार बनी थी जिसे मालदीव में इस्लामिक चरमपंथी ताकतों ने निशाना बनाया, वहीं भारत हमेशा से चाहता रहा है कि मालदीव इस्लामिक कट्टरता से मुक्त रहे, वहां युवाओं में आईएसआईएस की विचारधारा का प्रसार न हो, इसके लिए नेतृत्व जरूरी कदम उठाए। मालदीव में नार्को आतंकवाद की संभावना भी बढ़ी है जिसको लेकर भारत चिंतित रहा है। ऐसे में मालदीव में बेहतर सुरक्षा प्रबंध जरूरी हैं, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में स्वायत्तता, स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा आइडियोलॉजी पर विशेष जोर है।

भारत के लिए मालदीव का महत्त्व:

- हिन्द महासागर में मालदीव के क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाजी मार्ग मध्य पूर्व के तेल की आपूर्ति भारत, जापान और चीन जैसे देशों को करते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से भारत का 90 प्रतिशत से अधिक और मूल्यात्मक दृष्टि से 75 प्रतिशत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिन्द महासागर में बैठे मालदीव के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शिपिंग क्षेत्र के जरिए होता है। मालदीव भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी अथवा सागरीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भी यह जरूरी है। भारत के मिनीकॉय की मालदीव से दूरी मात्र 70 नॉटिकल मील है। इन द्वीपीय तटीय क्षेत्रों को चीन के जासूसी गतिविधियों से बचाने के लिए मालदीव का सहयोग भारत को मिलना जरूरी है। भारत ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मालदीव के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया और उसके लगभग 70 प्रतिशत प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। मालदीव के राष्ट्रीय हितों के लिहाज से तो ये बेहतर ही था, लेकिन मालदीव के नए नेतृत्व की सोच कुछ और है। इसमें मालदीवियन राष्ट्रवाद से जोड़कर देखने की मानसिकता भी झलकती है। आज सभी देश अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रौद्योगिकी, अवसंरचना विकास, सुरक्षा आदि मामलों में स्वदेशीकरण की राह पर चल रहे हैं। ऐसे में मालदीव ने भी यही संदेश देने की कोशिश की है। दक्षिण एशियाई देशों में सत्ता परिवर्तन भारत की विदेश नीति के सामने एक प्रश्न के रूप में जरूर उभरा है, लेकिन भारत ने अपनी कुशल कूटनीति से इसका हल ढूंढने की कोशिश की है। भारत का मालदीव को दिए गए सहयोग का इतना असर तो है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति का कहना है कि 'मैं भारत के सैनिकों को मालदीव से बाहर करने की बात कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी जगह किसी दूसरे देश के सैनिकों को बुलाएंगे। चीन या किसी दूसरे देश के सैनिक भी हमारे यहां नहीं रहेंगे।' उनका कहना है कि हम भारत के साथ ऐसे संबंध रखना चाहते हैं जिनमें दोनों का फायदा हो।
- दरअसल कोविड काल के दौरान भारत ने अपने पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों और समूचे विश्व में मेडिकल डिप्लोमेसी का प्रमाण दिया, उसके बाद क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नेतृत्व किया है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने अपना आर्थिक दम खम दिखाया है जिससे भारत के पड़ोस में कई भारत विरोधी कारकों को षड्यंत्र करने का अवसर मिला है क्योंकि उन्हें भारत का नेतृत्व कौशल रास नहीं आता। ऐसे तत्वों से निपटने के लिए भारत किसी पड़ोसी देश को आर्थिक सामरिक, कूटनीतिक तथा मानवतावादी सहायता देने की नीति को जारी रखता है।

मणिपुर में उग्रवाद और शांति समझौतों के लिए सक्रिय केंद्र सरकार

केंद्र सरकार 'उग्रवादमुक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर' का विजन जारी कर चुकी है। इस विजन डाक्यूमेंट में यह भी कहा गया है कि पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी हिंसात्मक कार्यवाही में 89 प्रतिशत की कमी देखी गई है। निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर भारत के समग्र और समावेशी विकास के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन इस मार्ग में समय समय पर कई चुनौतियां देखने को मिलती रही हैं। इसका ताजा मामला मणिपुर की घटना के रूप में देखा जा सकता है।

मणिपुर लंबे समय से आंतरिक उपद्रव का शिकार रहा है और केंद्र सरकार लगातार वे रास्ते खोजती रही है जिससे वहां शांति तथा स्थिरता की बहाली हो, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। यह हिंसा राज्य के तेंगनोउपल जिले के लेतीथू गांव में हुई है जहां दो उग्रवादी गुटों के बीच हुई फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई। यह गांव म्यांमार बॉर्डर से लगा हुआ है। ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि इस घटना में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग लिप्त थे जिनका म्यांमार के उग्रवादी समूहों से भी संबंध है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब केंद्र सरकार मणिपुर के उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौते करके उन्हें आत्मसमर्पण के लिए तैयार करने में लगी थी। वस्तुतः नृजातीय समुदायों के आपसी संघर्षों, अलगाववादी आंदोलनों और उसके लिए इंसरजेंसी को मणिपुर में बढ़ावा मिला है।

भारत सरकार और यूएनएलएफ के बीच शांति समझौताः

- इन विषम परिस्थितियों के बीच राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा शांति समझौतों की हर संभावना की तलाश की गई है। इसी कड़ी में मणिपुर के सबसे पुराने अलगाववादी उग्रवादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, मणिपुर सरकार और भारत सरकार के बीच 29 नवंबर, 2023 को हुए शांति समझौते के बाद नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट मणिपुर के लगभग 25 नेता/कैडर, मेजर बोइचा (एनआरएफएम के सेना-उप-प्रमुख) के नेतृत्व में 25 हथियारों के साथ 2 दिसंबर, 2023 को यूएनएलएफ के शांति समझौते में शामिल हो गए हैं। ये पहली बार है जब घाटी स्थित मणिपुरी हथियारबंद समूह हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने और भारत के संविधान का सम्मान करने पर सहमत हुआ है। यह समझौता न केवल यूएनएलएफ और सुरक्षा बलों के बीच विरोध को समाप्त करेगा जिसमें पिछली आधी शताब्दी से अधिक समय से दोनों पक्षों की ओर से बहुमूल्य जिंदगियां गई हैं, बल्कि समुदाय की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने का अवसर भी मिला है। इसके साथ ही संगठन के अधिकांश सदस्य हिंसा छोड़ समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। इस घटनाक्रम से मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों को गति मिलने की संभावना नजर आ ही रही थी कि एक बार फिर मणिपुर में हिंसा की स्थिति देखी गई जिसके बाद यूएनएलएफ के गुटों के दृष्टिकोण में भी थोड़ा बदलाव देखा गया है।
- कुछ ही समय पहले यूएनएलएफ (जो मणिपुर में वैली बेस्ड खतरनाक उग्रवादी संगठन है) ने भारत सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन अब यूएनएलएफ के कुछ घटकों ने स्वतंत्र और संप्रभु मणिपुर के लक्ष्य से समझौता न करने की बात की है। यूएनएलएफ के कार्यकारी प्रमुख (जो पैंबेई गुट के हैं) का कहना है कि भले ही उन्होंने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं लेकिन हथियार तब तक नहीं डाले जायेंगे जब तक कि संप्रभु मणिपुर की मांग नहीं मान ली जाती। दरअसल शांति वार्ता और समझौते की महत्ता पर जितनी बात होनी जरूरी है उतनी ही सतर्कता इस बात पर भी जरूरी है कि उग्रवादी संगठनों के अलग अलग गुटों तथा घटकों द्वारा पीस एकॉर्ड को बिगाड़ने के लिए क्या षड्यंत्र किया जा रहा है?

-: यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट :-

यूएनएलएफ का गठन 1964 में हुआ था जो भारतीय क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह काम कर रहा है। यह 1949 में मणिपुर के भारतीय संघ में हुए विलय के समझौते को अवैध मानता है और इसे रद्द करके मणिपुर को भारत से स्वतंत्र कराने के लिए कार्य करता रहा है। यूएनएलएफ के दो धड़े हैं, एक धड़े यूएनएलएफ पैंबेई के मन में मणिपुर की संप्रभुता का सवाल बनना, दूसरा यूएनएलएफ के कोइरेंग धड़े ने पैंबेई धड़े पर राजनीतिक सिद्धांतों से समझौता करने का आरोप लगाया है। यूएनएलएफ के कोइरेंग धड़े को पैंबेई धड़े से अधिक मजबूत माना जाता है जो अभी भी मणिपुर को भारत से पृथक करने का लक्ष्य रखता है।

- ऐसे अलगाववादी गुटों से निपटने के लिए सरकार को धारदार रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे सही अर्थों में शांति समझौते और वार्ताओं का फल भारत की प्रादेशिक अखंडता तथा संप्रभुता के रूप में मिल सके। मणिपुर में शांति वार्ता की सफलता को नागालैंड की शांति वार्ता और उसमें बाद में आने वाली चुनौतियों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। भारत सरकार ने जब देखा कि नागालैंड का सबसे घातक उग्रवादी अलगाववादी संगठन एनएससीएन (आईएम) नागा पीस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के प्रति समर्पित नहीं दिख रहा है तो उसे नागालैंड के विद्रोही गुटों के बीच अलग थलग करने की रणनीति के साथ नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (जो कि 7 नागा

विद्रोही गुटों का संगठन है) से शांति वार्ता करके उन्हें आत्मसमर्पण कराना शुरू किया था जिसके बाद नागालैंड का मूल विद्रोही समूह एनएससीएन (आईएम) आक्रोश में आ गया था।

- इसके पूर्व पिछले साल दिसंबर माह में भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने मणिपुर में एक दशक से अधिक समय से सक्रिय उग्रवादी संगठन जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) के साथ विद्रोही गतिविधियों की समाप्ति का समझौता किया था। उस समय ऐसा माना गया था कि समझौता मणिपुर में शांति प्रक्रिया को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा। इस समझौते पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और जेडयूएफ के प्रतिनिधियों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे।

मणिपुर में मैतेई उग्रवादी संगठनों के खिलाफ कार्यवाही:

- भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अवैधानिक क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम, 1967 के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए उन मैतेई उग्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें अवैधानिक संगठन घोषित कर दिया है जो मणिपुर में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा था कि केंद्र सरकार की राय है कि यदि मैतेई चरमपंथी संगठनों पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया गया तो वे अपने अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपने कैडरों को संगठित करने का अवसर तलाश सकते हैं जो मणिपुर को भारत से अलग करने के षड्यंत्रकारी गतिविधियों में लिप्त हैं। इस आधार पर मैतेई चरमपंथी संगठनों पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और इसकी राजनीतिक शाखा, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट तथा इसकी आर्म विंग मणिपुर पीपुल्स आर्मी, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (प्रेपक) और इसकी आर्म्ड फोर्स, कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केपीसी) व इसकी आर्म्ड फोर्स रेड आर्मी, कांगलेई याओल कनबा लुप और एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेइपाक को पांच साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए बैन लगा दिया गया है। ये संगठन अपने हानिकारक ताकतों के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार कर सकते हैं, नागरिकों की हत्याओं में शामिल हो सकते हैं तथा पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बना सकते हैं। सरकार ने कहा है कि ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से अवैध हथियार और गोला-बारूद खरीदेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इन संगठनों की ओर से गैरकानूनी गतिविधियों के लिए जनता से धन भी जुटाया गया है। ऐसे में इन मैतेई चरमपंथी संगठनों पर बैन लगाना जरूरी हो गया है।
- मैतेई उग्रवादी ग्रुप्स जनता की राय को प्रभावित करने और अपने अलगाववादी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हथियारों तथा प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी मदद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभयारण्यों, प्रशिक्षण तथा हथियारों और गोला-बारूद की गुप्त खरीद के लिए ये पड़ोसी देशों में कैंप लगाने के लिए विदेशी सूत्रों से संपर्क बना रहे हैं।

समाधान की राहें:

- वस्तुत: उत्तर पूर्वी भारत में किसी भी प्रकार का नृजातीय संघर्ष और हिंसा पृथकतावादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है। म्यांमार और उसके आस पास के क्षेत्र के विद्रोही तथा बगावती समूह उत्तर पूर्वी भारत के विप्लवकारियों से गठजोड़ करके भारत विरोधी षड्यंत्र कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकारों को एथेनिक मुद्दों से प्रभावी तथा मानवीय संवेदनाओं के आधार पर निपटने की जरूरत है। अंतर्राज्यीय विवादों को बढ़ावा न मिले, इसके लिए उत्तर पूर्वी भारत के नृजातीय समुदायों में सरकार के प्रति विश्वसनीयता के भाव बढ़ाने हेतु विकास कार्यों की नई पटकथा लिखने की जरूरत है। मणिपुर में ऐसी अलगाववादी गतिविधियों को बिल्कुल उभरने नहीं देना चाहिए। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाले अराजक तत्वों से प्रभावी तरीके से निपटना चाहिए। वर्तमान समय में बांग्लादेश की चटगांव पहाड़ियों में रहने वाली कुकी चिन समुदाय बांग्लादेश की सेना से उस क्षेत्र में पृथक राज्य के आंदोलन के लिए लड़ रही है जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट मणिपुर में नहीं होना चाहिए। मणिपुर के पर्वतीय इलाकों में नागालैंड के उग्रवादी संगठन एनएससीएन (आईएम) के ग्रेटर नागालिम आंदोलन और पृथक नागा संविधान तथा झंडे की मांग को हवा देने की कोई भी संभावित आशंका का पता लगाकर उसे नियंत्रित करना जरूरी है। मणिपुर के नृजातीय समुदायों को यह समझाना जरूरी है कि मणिपुर घाटी बनाम पर्वत का मंच नहीं है। इसमें जो भी समुदाय पूरे राज्य भर में रहते हैं उनकी संस्कृति, परंपरा, भाषा, धर्म तथा नृजातीय पहचान को सुरक्षा देने का वायदा भारत सरकार ने किया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पिछले 4 वर्षों में बोडो, कार्बी, ब्रू/ रेयांग पीस एकॉर्ड को संपन्न किया है और स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज तय करके इन समुदायों के लिए विकास को ही एकमात्र चुना जाने वाला विकल्प बना दिया है। यहीं काम मणिपुर सरकार को भी इस समय करने की जरूरत है। मणिपुर में अवैध माइग्रेंट्स तथा संदिग्ध शरणार्थियों से कठोरता से निपटे क्योंकि मणिपुर में एक और भारत विरोधी इंसर्जेंसी का दौर नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही मणिपुर सरकार को राज्य में वैध तरीके से रहने वाली सभी नृजातीय समुदायों के कल्याण, उनकी बुनियादी जरूरतों, उनकी समस्याओं पर निष्पक्ष होकर विचार करके यथासंभव समाधान ढूंढना चाहिए क्योंकि सरकार के खिलाफ पूर्वाग्रह तथा पूर्वधारणा भी किसी समुदाय में विकसित होने देना खतरे से खाली नहीं।

प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के सन्दर्भ में सरकार के नए कदम

- भारत में श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित करना एक संवैधानिक प्रतिबद्धता है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत भी कामगारों के अधिकारों की रक्षा की अपेक्षा केंद्र और राज्य सरकारों से की गई है। इसी संवैधानिक प्रतिबद्धता तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय के मूल आदर्श से जुड़ते हुए उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फसें 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालकर प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के मुद्दे को बड़ी महत्ता दी है। यद्यपि ये मजदूर उत्तराखंड की सुरंग में फंसे हुए थे, लेकिन इनमें कई प्रवासी श्रमिक अन्य राज्यों से संबंधित थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य को काम की न्यायसंगत व्यवस्था और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे के बाद केंद्र सरकार ने श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु देश भर में सभी भवन तथा निर्माण मजदूरों के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र (यूनिक ID कार्ड) को अनिवार्य बनाने की बात की है। यह पहचान-पत्र श्रमिक के आधार से जुड़ा होगा और ई-श्रम डेटाबेस में भी इसे संबद्ध किया जाएगा। इससे श्रमिकों की भौतिक, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मकसदों को पूरा करने में मदद मिलेगी। ऐसी पहल से ठेकेदारों द्वारा अपंजीकृत मजदूरों से काम कराने के मामले बढ़ने से पैदा हो रही चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के श्रम सचिव आरती आहूजा ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन (एआईओई) और उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित 'द माइग्रेशन कॉन्क्लेव' को संबोधित करते हुए प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के लिए केंद्र सरकार के इस निर्णय पर टिप्पणी की थी। इसके साथ ही चार श्रम संहिताओं के लिए ठेकेदारों को अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इन श्रमिकों को व्यापक लाभ प्रदान करना होगा। इनमें न्यूनतम मजदूरी, व्यावसायिक सुरक्षा तथा शौचालय व कार्यस्थल पर 'क्रेच' जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच शामिल है।

प्रवासी श्रमिकों के हितों के लिए उठाए गए कदमः

गरीब कल्याण रोजगार अभियान और प्रवासी श्रमिकः

- गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए)' का शुभारंभ कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर 20 जून, 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था ताकि कोविड के कारण विवश होकर अपने-अपने गांव लौट चुके प्रवासी श्रमिकों के साथ-साथ इसी तरह से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए भी रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। वर्तमान समय में इस अभियान को एक मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। यह अभियान दरअसल उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है जो 6 राज्यों यथा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अपने-अपने मूल गांवों में वापस लौट आए हैं। यह अभियान अब इन राज्यों के 116 जिले (जिसमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं) में ग्रामीण ों को आजीविका के अवसर देकर उन्हें सशक्त बना रहा है। अब तक इस अभियान की सफलता को 12 मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के सामंजस्यपूर्ण प्रयासों के रूप में देखा जा सकता है जो प्रवासी श्रमिकों तथा ग्रामीण समुदायों को व्यापक लाभ प्रदान कर रहे हैं। लाभार्थियों की सफलता की दो गाथाएं यहां दी गई हैं जिनके घरों का निर्माण गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत किया गया है।

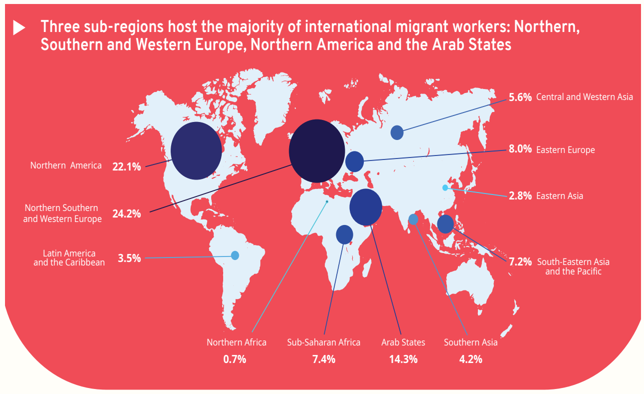

प्रवासी श्रमिकों के लिए 'श्रमशक्ति' डिजिटल डेटा समाधान का शुभारंभः

- वर्ष 2021 में केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा गोवा के पंजिम में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से "श्रमशक्ति" (जोकि एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल है) का शुभारंभ किया गया था। यह पोर्टल प्रभावी तरीके से प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के सुचारू रूप से निर्माण में मदद करेगा। प्रवासी श्रमिकों के हित में गोवा में एक आदिवासी प्रवासन प्रकोष्ठ, एक आदिवासी संग्रहालय और प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका 'श्रमसाथी' का भी शुभारंभ किया था। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों से गोवा में आने वाले प्रवासियों की सुविधा और समर्थन के लिए गोवा में एक समर्पित प्रवासन प्रकोष्ठ का भी शुभारंभ किया था।
- वास्तव में प्रवासियों से जुड़े वास्तविक आंकड़ों की कमी की वजह से स्रोत और गंतव्य दोनों, राज्यों में प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए कारगर रणनीति तथा नीतिगत निर्णय तैयार करना राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। कोरोना वायरस से उपजी महामारी के कारण लॉकडाउन की घोषणा के बाद पूरे देश में प्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनजातीय आबादी का प्रवासन संकट से प्रेरित होता है, इस दौरान प्रवासियों को मुश्किल एवं असुरक्षित परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कभी-कभी उन्हें कार्यस्थल पर कई पेशेगत बाधाओं सहित तस्करी या मजदूरी संबंधी उत्पीड़न की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए श्रमशक्ति (राष्ट्रीय प्रवासन

सहायता पोर्टल) को लॉन्च किया गया था। भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय यह बता चुका है कि आदिवासी प्रवासन रिपॉजिटरी, श्रमशक्ति, डेटा से संबंधित अंतर को दूर करने और उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त बनाने में सफल होगी जो आम तौर पर रोजगार तथा आय की तलाश में पलायन करते हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से प्रवासी आबादी को जोड़ने में सरकार की मदद भी करेगा। श्रमशक्ति के जरिए दर्ज किए जाने वाले विभिन्न डेटा में जनसांख्यिकीय खाका, आजीविका विकल्प, कौशल संबंधी चित्रण और प्रवासन के रुझान से जुड़े विवरण शामिल होंगे।

ई-श्रम पोर्टल के जरिए प्रवासी श्रमिक के हितों की सुरक्षा:

- असंगठित श्रमिकों के आवश्यक डेटा के नामांकन, पंजीकरण, संग्रह और पहचान के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले ई-श्रम पोर्टल में जरूरी सुविधाएं देना सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत लगभग 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का रिकॉर्ड रखने का प्रावधान है जिसमें 12 नम्बर वाला यूनिक कार्ड दिया जाता है। ई-श्रम पोर्टल में प्रवासी श्रमिकों के परिवार के विवरण दर्ज करने की सुविधा जोड़ी गई है। यह सुविधा परिवार के साथ पलायन करने वाले प्रवासी श्रमिकों को बाल शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाएं प्रदान करने में मदद कर सकती है, साथ ही इसमें डेटा शेयरिंग पोर्टल तथा एक डेटा एनालिटिक्स पोर्टल भी शामिल है।
- डेटा शेयरिंग पोर्टल ई-श्रम पर रजिस्टर्ड असंगठित श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित कामों के लिए सुरक्षित तरीके से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ई-श्रम लाभार्थियों के डेटा को साझा करने की अनुमति देगा। इस तरह ई-श्रम में रजिस्टर्ड कर्मचारी अब ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसर, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप, पेंशन योजना, डिजिटल स्किलिंग और राज्यों की योजनाओं से जुड़ सकते हैं।

प्रवासी श्रमिकों के अखिल भारतीय सर्वेक्षण:

- केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री द्वारा दो सर्वेक्षणों 'प्रवासी श्रमिकों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण और अखिल भारतीय त्रैमासिक इकाई आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईएसएस)' के फील्ड आधारित कार्यों को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। ये दो सर्वेक्षण मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा कराए जाने वाले पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों में शामिल हैं। इन सर्वेक्षणों के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर का शुभारंभ भी किया जा चुका है। फील्ड आधारित कार्य के शुभारंभ हेतु ब्यूरो ने इन सर्वेक्षणों के लिए प्रशिक्षुओं और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया था। दोनों सर्वेक्षणों के परिणाम श्रम और रोजगार के क्षेत्र में प्रभावी नीति बनाने के लिए अत्यधिक उपयोगी डाटा उपलब्ध कराएंगे। काफी कम समय होने के बावजूद जिस तरह से श्रम ब्यूरो ने सर्वेक्षण की समय सीमा का ध्यान रखते हुए उसकी शुरूआत की, वह प्रशंसनीय है।
- इन सर्वेक्षणों के शुरू होने के साथ, प्रवासी श्रमिकों पर मूल्यवान डाटा एकत्र करने के लिए ब्यूरो अगले कुछ महीनों में लाखों घरों का सर्वेक्षण करेगा। ब्यूरो एक्यूईएसएस के तहत विभिन्न इकाईयों को शामिल करेगा ताकि रोजगार की स्थिति के बारे में आंकड़े जुटाए जा सकें और रोजगार की स्थिति में बदलाव लाया जा सके। ये सर्वेक्षण श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में नीति निर्माण के लिए अहम डाटा प्रदान करेंगे। एक्यूईएसएस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य तिमाही आधार पर रोजगार डाटा एकत्र करना है। यह सर्वेक्षण इकाई आधारित रोजगार सर्वेक्षण के लिए डिजाइन किया गया है जो 10 या उससे अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाली इकाईयों की रोजगार की जरूरत और 9 या उससे कम श्रमिकों की भर्ती करने वाले इकाईयों के लिए तिमाही आधार पर सर्वेक्षण करेगा। यह सर्वेक्षण भारतीय श्रम बाजार के आंकड़ों के सबसे बड़े अंतर को पूरा करेगा। इसी तरह प्रवासी श्रमिक सर्वेक्षण, प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक और कामकाजी परिस्थितियों का अध्ययन करने वाला पहला सर्वेक्षण है। यह सर्वेक्षण भारत में प्रवासी श्रमिकों पर कोविड-19 के प्रभाव का भी आंकलन करेगा।
- देश में अंतर-राज्य प्रवासियों का कोई आधिकारिक आँकड़ा उपलब्ध नहीं है, किंतु वर्ष 2011 की जनगणना, नेशनल सैंपल सर्वे आर्गेनाइजेशन के सर्वेक्षण और आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित अनुमान के अनुसार, देश में कुल 65 मिलियन अंतर-राज्य प्रवासी हैं जिसमें से 33 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक हैं। प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण, नियोक्ताओं द्वारा उचित व्यवहार, सही मजदूरी, बीमा सुरक्षा, बुनियादी सुविधाएं इन सब मामलों में केंद्र तथा राज्य सरकारों को नीतिगत स्तर और क्रियान्वयन दोनों ही स्तरों पर नियमित अंतराल पर हस्तक्षेप करते रहना आवश्यक है। रोजगार की अस्थायी प्रकृति के कारण प्रवासी मजदूरों को अक्सर अपराधी के रूप में देखा जाता है तथा सोशल मीडिया ने इस मानसिकता को और अधिक बढ़ावा दिया है। इस मानसिकता का खात्मा जरूरी है। एक समावेशी सोच के तहत प्रवासी मजदूरों के लिये देश के हर राज्य में मनरेगा, उज्ज्वला तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधारः वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक

- पिछले कुछ समय से वैश्विक वित्तीय संस्थाओं जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन की संरचना, उनकी कार्यप्रणाली और उनमें विकासशील देशों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुधार करने की मांग उठाई जाती रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को धारणीय बनाये रखने के लिए यह जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन अपनी भूमिका को स्वतंत्र, निष्पक्ष और गैर-भेदभावकारी ढंग से निभाएं। आईएमएफ जैसी संस्थाएं विकासशील देशों को ऋण देने में कितनी उदारता बरतेंगी? आईएमएफ में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और आसियान देशों की शेयरहोल्डिंग तथा वोटिंग राईट प्रतिशत में पारदर्शी और उचित तरीके से कब व कितनी वृद्धि की जाएगी? इन मुद्दों पर विकसित देशों तक में चर्चा होनी शुरू हो गई है। जी-20 की मीटिंग के दौरान भी यह बात सामने आई थी कि अमेरिका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में सुधार के मुद्दे उठाएगा तथा इन दोनों संगठनों की ऋण देने की क्षमता को बढ़ाकर 200 बिलियन डॉलर तक करने का प्रस्ताव करेगा। इसके अलावा हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आईएमएफ में सुधारों का मुद्दा उठाया है। भारत का मत रखते हुए उनका कहना था कि एक ऐसे समय में जब विश्व के कई हिस्सों में ग्लोबल इकनॉमिक स्लोडाउन की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे संगठनों की निष्पक्ष भूमिका अधिक बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली में संतुलन बना रहे तथा स्फीतिकारी स्थितियां ग्लोबल इकोनॉमी को बड़े झटके न दे सकें, इसके लिए आईएमएफ को नीति बनाना आवश्यक है। आईएमएफ के कई सदस्य देश ऋणग्रस्तता के तनाव से जूझ रहे हैं, कुछ देशों में भुगतान संतुलन संकट की गंभीर स्थिति सामने आ चुकी है और कुछ में आने की संभावना है। व्यापार घाटे की चुनौती का सामने करने वाले देश आईएमएफ के स्पेशल बेलआउट पैकेज की सहायता की आशा करते हैं और आईएमएफ को आशंका होती है कि ऐसे विकासशील देश या अल्प विकसित देशों को उनकी आर्थिक चुनौतियों से बाहर निकालने के चक्कर में कहीं आईएमएफ का ही बजट न बिगड़ जाए। विश्व बैंक के अध्यक्ष कह चुके हैं कि दुनिया के गरीब देशों के कर्ज में वर्ष 2021 के मुकाबले इस वर्ष 35 फीसद का इजाफा हुआ है जिससे यह कर्ज 62 अरब डॉलर तक पहुंच गया। स्थिति ऐसी है कि ये देश डिफॉल्टर साबित हो सकते हैं। कर्ज का संकट गरीब देशों से आगे निकलता हुआ मध्य आय वर्ग वाले देशों तक पहुंच रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईएमएफ का नेट एडमिनिस्ट्रेटिव बजट 1411 मिलियन डॉलर है। भुगतान संतुलन की समस्याओं से जूझ रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय भंडार की भरपाई करने, मुद्रा विनिमय को स्थिर करने तथा आर्थिक विकास के लिये ऋण वितरण करने के मामले में आईएमएफ के बजट में सुधार होना भी जरूरी है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संरचना:

- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक वित्तीय संगठन है जो अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता के लिए कार्य करता है। वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई चर्चा के पश्चात इसका गठन किया गया था। 1 मार्च, 1947 से आईएमएफ ने कार्य करना शुरू किया। नवंबर, 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ पारस्परिक सहयोग हेतु आईएमएफ का समझौता हुआ था जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्तमान में इसमें कुल 190 सदस्य देश हैं। अंडोरा को इसका नवीनतम सदस्य बनाया गया है। इसे विश्व बैंक की जुड़वा संस्था के नाम से भी जाना जाता है। आईएमएफ का सदस्य बनने पर विश्व बैंक की भी सदस्यता मिल जाती है, जबकि आईएमएफ से हटने पर विश्व बैंक की भी सदस्यता चली जाती है।

आईएमएफ का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स:

- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईएमएफ की शीर्षस्थ निर्णय निर्माण इकाई है। इसमें एक गवर्नर और प्रत्येक सदस्य देश के लिए एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। गवर्नर को सदस्य देश के द्वारा नियुक्त किया जाता है जो आमतौर पर उस देश का वित्त मंत्री अथवा केंद्रीय बैंक का प्रमुख होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अपने अधिकतम अधिकारों को आईएमएफ के एक्जीक्यूटिव बोर्ड को प्रदान किया है, लेकिन सदस्य देश के कोटा में वृद्धि को मंजूरी, एसडीआर आवंटन, नए सदस्यों का आईएमएफ में प्रवेश तथा सदस्यों का आईएमएफ से अनिवार्य निकासी आदि मुद्दों पर प्राथमिक अधिकार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ही है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही आईएमएफ के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को निर्वाचित अथवा नियुक्त करता है। आईएमएफ के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट से जुड़े मामलों की व्याख्या के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही है। आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और वर्ल्ड बैंक की बैठक आमतौर पर वर्ष में एक बार होती है। आईएमएफ के वार्षिक बैठकों की अध्यक्षता वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के एक गवर्नर द्वारा की जाती है तथा प्रत्येक वर्ष यह अध्यक्षता चक्रीय क्रम में सदस्यों को दी जाती है। प्रत्येक दो वर्ष में वार्षिक बैठकों के दौरान वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के गवर्नर्स अपने संबंधित एक्जीक्यूटिव बोर्ड्स के लिए एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को निर्वाचित किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लक्ष्य और कार्य:

- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक समष्टि अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से निपटने का काम करता है। इन चुनौतियों में वैश्विक बेरोजगारी, निर्धनता, मुद्रास्फीति, अवस्फीति, मुद्रा के अवमूल्यन के नकारात्मक प्रभाव, मुद्रा की विनिमय दर में असंतुलन तथा आर्थिक मंदी शामिल हैं।
- चालू खाता लेन देन के लिए बहुराष्ट्रीय भुगतान और हस्तांतरण प्रणाली को मजबूत करना तथा विदेशी मुद्रा प्रतिबंधों को समाप्त करने के प्रयास करना जो विश्व व्यापार के विकास में रुकावट डालते हैं।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को बढ़ावा देने में मदद करना और उत्पादक क्षमता के विकास में योगदान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली में स्थिरता लाना और मुद्रा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में परामर्श व सहयोग को बढ़ावा देना।
- उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए

नीतियों को बढ़ाना।

- भुगतान संतुलन संकट के प्रभावों से सदस्य राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें वित्तीय मदद देना। आईएमएफ की ऋण सुविधा को देखें तो यह स्टैंडबाई अरेंजमेंट (एसबीए) के जरिए आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को भुगतान संतुलन समस्याओं (बीओपी) को ठीक करने में मदद करता है।

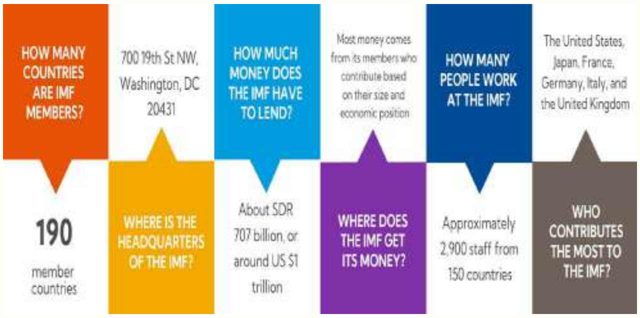

आईएमएफ में कोटा प्रणाली:

- आईएमएफ की कोटा प्रणाली उसके वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन की एक प्रणाली है जिसे आईएमएफ का वित्तीय संसाधन तंत्र कहा जाता है। जब भी कोई देश आईएमएफ से नए सदस्य के रूप में जुड़ता है तो आईएमएफ उसे एक कोटा प्रदान करता है। यह कोटा नए सदस्य देश और पहले से जुड़े सदस्य देशों के संबंध में 3 बातों का निर्धारण करता है:
  - सदस्य देश का आईएमएफ में अधिकतम वित्तीय योगदान कितना होगा?
  - सदस्य देश का आईएमएफ में मताधिकार का प्रतिशत कितना होगा? इससे पता चलता है कि किसी सदस्य देश का आईएमएफ के बैनर तले लिए जाने वाले महत्त्वपूर्ण निर्णयों में क्या स्थान होगा?
  - आईएमएफ तक सदस्य देश की वित्तीय पहुंच कहां तक होगी या दूसरे शब्दों में आईएमएफ किसी सदस्य देश को अधिकतम कितना वित्तीय सहयोग देगा?
- कोटा को विशेष आहरण अधिकार (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) में प्रदर्शित किया जाता है यानि कोटा प्रणाली एसडीआर करेंसी के जरिए संचालित होती है। कोटा को निर्धारित करने वाले मानकों में आईएमएफ में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है:
  - जीडीपी का योगदान - 50 प्रतिशत
  - अर्थव्यवस्था में खुलापन - 30 प्रतिशत
  - आर्थिक परिवर्तनीयता - 15 प्रतिशत
  - अन्तर्राष्ट्रीय आरक्षित कोष - 5 प्रतिशत

विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर):

- विशेष आहरण अधिकार एक अन्तर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है जिसे आईएमएफ द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक मुद्रा भंडारों के अनुपूरक के रूप में निर्मित किया गया था। इसका आशय है कि सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में अनियमितता अथवा भुगतान संतुलन की स्थिति में एसडीआर के जरिए मदद देने के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई थी। एसडीआर कोई वास्तविक मुद्रा नहीं है बल्कि इसे पेपर गोल्ड या कागजी स्वर्ण के नाम से भी जानते हैं। यह विश्व की 5 सर्वाधिक प्रचलित मुद्राओं (हार्ड करेंसी) के एक बास्केट के रूप में दर्शायी जाती है जिसे एसडीआर बास्केट के नाम से जानते हैं। इन 5 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं और उनका महत्त्व एसडीआर बास्केट में प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित है:
  - अमेरिकी डॉलर - 43.38 प्रतिशत
  - यूरो करेंसी - 29.31 प्रतिशत
  - चीनी रेनमिनबी अथवा युआन - 12.28 प्रतिशत
  - जापानी येन - 7.59 प्रतिशत
  - ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग - 7.44 प्रतिशत
- एसडीआर सदस्य देशों के आधिकारिक मुद्रा भंडार अथवा आरक्षित कोष को समर्थन प्रदान करता है।
- अभी तक आईएमएफ ने अपने सदस्य देशों को 204.2 बिलियन एसडीआर (291 बिलियन डॉलर) आवंटित किया है जिसमें से 182.6 बिलियन 2009 में वैश्विक आर्थिक संकट से निपटने के लिए आवंटित किया था। एसडीआर का मूल्य एसडीआर के बास्केट में शामिल 5 मुद्राओं पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि ब्रेटन वुड्स के फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत एसडीआर को आईएमएफ ने निर्मित किया था लेकिन 1973 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली के विघटन के बाद प्रमुख मुद्राएं अस्थिर अथवा चलायमान विनिमय दर प्रणाली की तरफ झुक गई। इससे एसडीआर पर एक वैश्विक आरक्षित परिसंपत्ति के रूप में निर्भरता बढ़ गई।
- एसडीआर आईएमएफ और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के खाते की एक इकाई के रूप में कार्य करता है। यह सदस्य राष्ट्रों का आईएमएफ पर कोई दावा नहीं है, बल्कि यह आईएमएफ के सदस्यों के स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाई जा सकने वाली मुद्राओं पर एक संभावित दावे के रूप में हैं। इन मुद्राओं के लिए एसडीआर का विनिमय किया जा सकता है। एसडीआर बास्केट की समीक्षा प्रत्येक पांच वर्ष में होती है या जरूरत पड़ने पर पहले भी होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडीआर वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणालियों में मुद्राओं के तुलनात्मक अथवा सापेक्षिक महत्त्व को प्रदर्शित कर सके। 1 अक्टूबर, 2016 को एसडीआर बास्केट में चीन की रेनमिनबी मुद्रा को शामिल किया गया था। सदस्य राष्ट्र एसडीआर को स्वैच्छिक बाजार में खरीद बेच भी सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आईएमएफ सदस्यों को एसडीआर खरीदने के लिए नामित कर सकती है। एसडीआर बास्केट में किसी मुद्रा को शामिल होने के लिए आईएमएफ निर्यात मानक की बात करता है जिसका अर्थ है कि करेंसी को जारी करने वाला आईएमएफ का सदस्य है और वह विश्व में शीर्ष निर्यातकों में शामिल हो, साथ ही प्रस्तावित मुद्रा अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन में भुगतान के लिए व्यापक स्तर पर प्रयोग में लाई जा रही हो।

अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों और नीतियों की समीक्षा जरूरी

अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाने की पहल करना अब केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों की प्राथमिकता में शामिल हो गया है। यद्यपि आदिवासी समूहों को सही अर्थों में अधिकार संपन्न बनाने के लिए अभी बहुत से कार्य किए जाने बाकी हैं, लेकिन नीतिगत स्तर पर आदिवासी कल्याण को ध्यान में रखकर कुछ राज्यों ने संवेदनशील ढंग से कार्य करना शुरू किया है।

- हाल ही में ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाले लोगों को अपनी जमीनों को गैर आदिवासी समुदाय को बेच सकने का अधिकार देने के लिए कानून लाया गया जिसके बाद इसके प्रभावों को लेकर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि नए प्रावधान के तहत इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि वे अपनी पूरी जमीन की बिक्री नहीं कर सकते। ओडिशा के मंत्रिमंडल ने इस संबंध में एक कानून में संशोधन करने का फैसला किया है। उड़ीसा सरकार द्वारा किए गए इस संशोधन के बाद अब अनुसूचित क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोग राज्य सरकार की अनुमति से गैर-आदिवासियों को अपनी जमीन बेच सकेंगे। नए प्रावधान के तहत अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई व्यक्ति अपनी पूरी जमीन नहीं बेच सकता क्योंकि उस स्थिति में व्यक्ति भूमिहीन या बेघर हो सकता है। राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में उद्योगों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद की सिफारिशों के बाद एसटी समुदाय के लोगों के व्यापक हितों को देखते हुए ओडिशा अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण विनियमन, 1956 में संशोधन करने का फैसला लिया गया है, लेकिन उड़ीसा सरकार के इस निर्णय का जब विरोध तेज हुआ तो अब राज्य सरकार को अपने इस फैसले पर रोक लगानी पड़ी है। दरअसल, उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 में प्रावधान है कि आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
- भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची और अनुच्छेद 244(1) में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कुछ उपबंध किए गए हैं। उनमें से कुछ को आधार बनाकर उड़ीसा सरकार के नए आदिवासी भूमि कानून का विरोध किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने का उपबंध है। इसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन का भी प्रावधान किया गया है। यह परिषद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनके हित संवर्धन के लिए राज्यपाल को सलाह देने का कार्य करती है। अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण (लैंड ट्रांसफर) का प्रतिषेध या निर्बंधन किए जा सकने का उपबंध संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत किया गया है। राज्य का राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकता है। अनुसूचित जनजातियों को धन उधारी देने के मामलों का भी विनियमन किया जा सकता है। इस प्रकार पांचवी अनुसूची के तहत ऐसे उपबंध किए गये हैं जिससे अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी हर तरीके से सुरक्षित और कल्याणकारी जीवन व्यतीत कर सकें।

पेसा कानून द्वारा आदिवासियों के हितों का संरक्षण:

- पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए संसद ने संविधान के अनुच्छेद 243एम(4)(बी) के संदर्भ में 'पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) कानून 1996' (पीईएसए) को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ, पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए कानून बनाया है। पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार), कानून 1996' (पीईएसए) के तहत, राज्य विधानसभाओं को कानून की धारा 4 में प्रदत्त ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन पांचवीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों के विस्तार से संबंधित सभी कानूनों को बनाने का अधिकार दिया गया है।
- पेसा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों के विस्तार हेतु एक कानून है। इस कानून की धारा 2 के संदर्भ में 'अनुसूचित क्षेत्रों' का अर्थ अनुसूचित क्षेत्रों से है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में संदर्भित है। दस पेसा राज्यों में से आठ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने अपने संबंधित राज्य पंचायती राज कानूनों के तहत अपने राज्य पेसा नियम बनाकर अधिसूचित किए हैं।
- प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) कानून, 1996 (पीईएसए) के 25वें वर्ष को मनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) कानून 1996 (पीईएसए) पर विज्ञान भवन (नई दिल्ली) में 18 नवम्बर, 2021 को एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। पेसा कानून के लागू होने के 25वें वर्ष को मनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य पेसा के कार्यान्वयन में राज्यों की प्रगति का मूल्यांकन करने के साथ-साथ

जमीनी स्तर पर इसके प्रभाव पर एक साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। यह राष्ट्रीय सम्मेलन न केवल देश में पेसा लागू होने के 25 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, बल्कि इसने अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियों और अंतराल को दूर करने के लिए एक रास्ता भी निर्धारित किया।

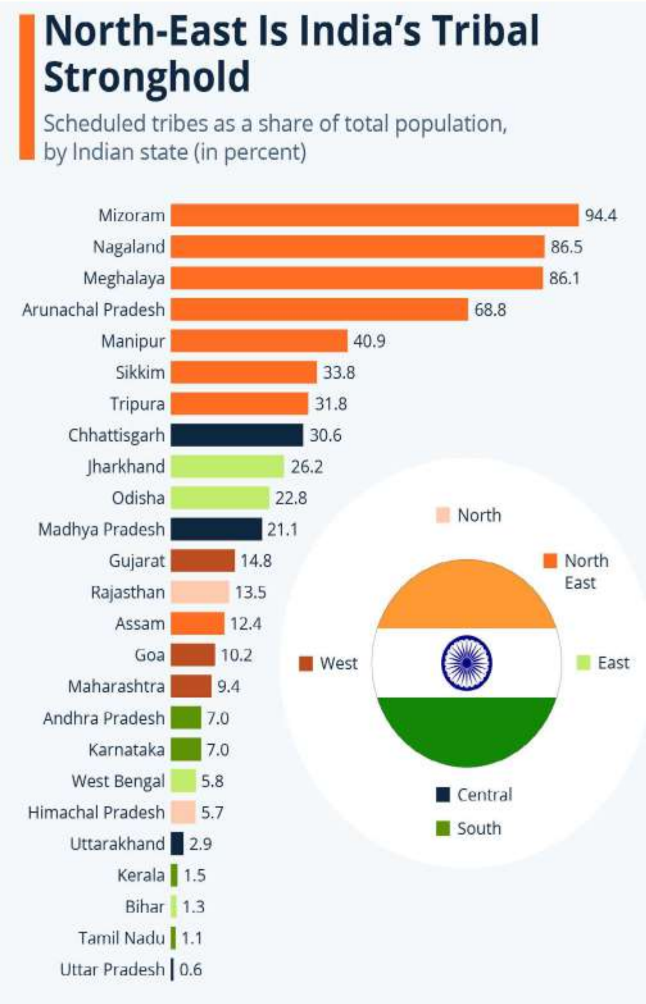

➢ पेसा कानून के तहत पांचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्र के राज्यों में ग्राम सभा को आदिवासियों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने की स्थिति में ग्राम सभा से अनिवार्य रूप से सलाह लेना होगा। इसके अलावा लैंड रिसेटेलमेंट और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के मामलों में ग्राम सभा की सलाह लेना अनिवार्य बनाया गया है। आदिवासियों के परंपरागत विश्वासों, परम्पराओं तथा संस्कृति का संरक्षण सुनिश्चित करने का कार्य भी ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। लघु वन उत्पादों के स्वामित्व से जुड़े मामलों में भी ग्राम सभा आदिवासियों के हितों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करता है। इसके साथ ही स्थानीय विवादों के समाधान, ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, शराब के उत्पादन और उस पर निषेध के मामलों का विनियमन, साहूकारों द्वारा आदिवासियों को ऋण देने के मामलों का विनियमन भी ग्राम सभा द्वारा देखा जाता है। इस प्रकार पेसा कानून के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय शासन और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए ग्राम सभा को अनन्य अधिकार दिया गया है, लेकिन कई अवसरों पर देखा गया है कि राज्य सरकारों, कॉरपोरेट घरानों, नौकरशाही तथा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ग्राम सभा की शक्तियों को प्रभावहीन करते हुए आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन तक किया जाता है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान को मंजूरी:

➢ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सेदारी: 15,336 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सेदारी: 8,768 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 9 संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से 11 अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी (झारखण्ड) से इस अभियान की घोषणा की थी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। इसके बारे में बजट भाषण 2023-24 में घोषणा की गई थी। यह पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क तथा दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत अगले तीन वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ थी जिसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन पीवीटीजी को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ता रहा है।

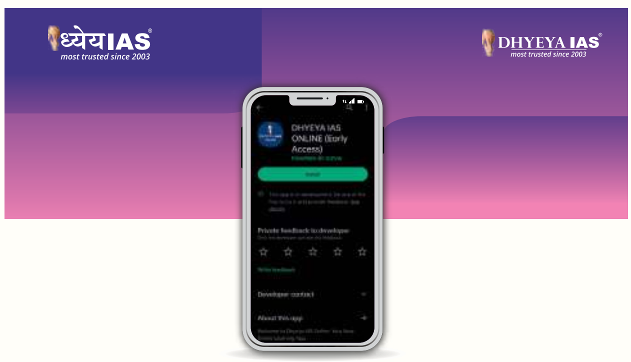

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता

एक लोकतांत्रिक देश और बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण एक प्राथमिक दायित्व माना जाता है। बाजार और क्रय विक्रय गतिविधियों में लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता रही है। कई अवसरों पर देखा गया है कि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मात्र एक आर्थिक दायित्व ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा को भी दिशा देता है।

हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता में उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एसिड की खरीदारी के प्रति सचेत करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ('अधिनियम') की धारा 18(2)(जे) के तहत सुरक्षा नोटिस जारी किया है। भारत में उपभोक्ता हितों का प्रहरी होने के नाते सीसीपीए को ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर अत्यधिक संक्षारक एसिड की बिक्री का पता चला है। खतरनाक एसिड की इतनी मुक्त और आसानी से सुलभ तरीके से उपलब्धता उपभोक्ताओं तथा आम जनता के लिए खतरनाक और असुरक्षित हो सकती है। उपभोक्ता सुरक्षा इस अधिनियम की प्रस्तावना में शामिल उद्देश्यों में से एक है। अधिनियम की धारा 2(9) के तहत परिभाषित 'उपभोक्ता अधिकारों' में जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं के विपणन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार तथा वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और कीमत जैसा भी मामला हो, के बारे में सूचित होने का अधिकार शामिल है ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार की प्रणालियों से बचाया जा सके।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण की दिशा में हुए उपाय:

उपभोक्ता आयोगों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण:

- केंद्र सरकार उपभोक्ता आयोगों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 'उपभोक्ता आयोगों का सुदृढ़ीकरण' नामक योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है जिससे प्रत्येक उपभोक्ता आयोग में न्यूनतम स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। वित्तीय सहायता, जिला आयोग भवन के लिए 5000 वर्ग फुट तक और राज्य आयोग भवन के लिए 11000 वर्ग फुट तक निर्माण क्षेत्र प्रदान की जाती है जिसमें दोनों मामलों में मध्यस्थता सेल के निर्माण के लिए 1000 वर्ग फुट शामिल है। राज्य आयोग के संबंध में 25 लाख रुपये और जिला आयोग के संबंध में 10 लाख रुपये की समग्र लागत सीमा के अंतर्गत फर्नीचर, कंप्यूटर, कार्यालय उपकरण, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें आदि की खरीद के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

उपभोक्ता शिकायतों का समाधान:

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38 (7) में कहा गया है कि प्रत्येक शिकायत का यथासंभव शीघ्रता से निपटारा किया जाएगा और शिकायत पर निर्णय विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर किया जाएगा। जहां शिकायत को वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता नहीं है अथवा वस्तुओं का विश्लेषण या परीक्षण करने की आवश्यकता होने पर इसका निपटारा पांच महीने के अंदर किया जाएगा।
- 2022 के दौरान निपटाए गए उपभोक्ता मामलों की संख्या दर्ज किए गए मामलों की संख्या से अधिक रही है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) की शुरुआत:

- उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) भी स्थापित की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जागरूकता उत्पन्न करने, सलाह देने और उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करने तथा उपभोक्ता शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री के रूप में कार्य करने के लिए वेबसाइट- www.consumerhelpline.gov.in शुरू की गई है। अभिसरण मॉडल के अंतर्गत जो अदालत के बाहर विवाद निवारण तंत्र है, एनसीएच उन कंपनियों के साथ साझेदारी करता है जिनके पास कुशल उपभोक्ता शिकायत समाधान के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण है। एनसीएच में प्राप्त शिकायतों और उनसे संबंधित शिकायतों को प्रस्तुत करते ही एनसीएच अभिसरण कंपनी के साथ तुरंत अनुवर्ती कार्यवाही करता है।
- उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ताओं/अधिवक्ताओं को ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से घर से या कहीं से भी ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करने के लिए 'edaakhil.nic.in' नामक एक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल विकसित किया है। ई-दाखिल देश के 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परिचालित हो रहा है। उपभोक्ता मामले विभाग ने देश में सभी उपभोक्ता आयोगों को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत करने के लिए देश में उपभोक्ता आयोगों का कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर नेटवर्किंग (कॉनफोनेट) नामक एक योजना भी चला रहा है जिससे सूचना तक पहुंच तथा मामलों का त्वरित निपटारा किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता आयोगों को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और तकनीकी जनशक्ति प्रदान की जाती है।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के लिए संस्थागत उपाय:

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और उपभोक्ता विवादों का निवारण सुविधाजनक तथा त्वरित करने के लिए जिला स्तर (जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग), राज्य स्तर (राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) और राष्ट्रीय स्तर (राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) पर तीन स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र (जिसे आमतौर पर 'उपभोक्ता आयोग' भी कहा जाता है) स्थापित किया गया है। उपभोक्ता आयोगों को विशिष्ट तरह का राहत प्रदान करने और

उपभोक्ताओं को जहां भी उचित हो, मुआवजा देने का अधिकार है।

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और जनता तथा उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुंचाने वाले झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए की गई है।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के लिए सोशल मीडिया और जागरूकता प्लेटफार्म का प्रयोग:

- उपभोक्ता मामलों का विभाग 'जागो ग्राहक जागो' नामक देशव्यापी मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान चला रहा है। सरल संदेशों के माध्यम से उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी या समस्याओं और निवारण तंत्र से अवगत कराया जाता है। ये अभियान प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, सिनेमा थिएटरों, वेबसाइटों, होर्डिंग/ डिस्प्ले बोर्ड आदि के माध्यम से चलाए जाते हैं।
- ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभाग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेश के महत्त्वपूर्ण मेलों/उत्सवों/कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है क्योंकि ऐसे मेलों/उत्सवों/आयोजनों में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। विभाग स्थानीय विषय-वस्तु के साथ उपभोक्ता जागरूकता क्रियाकलाप चलाने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान भी जारी करता है। विभाग स्थानीय विषय-वस्तु के साथ उपभोक्ता जागरूकता कार्य करने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान भी प्रदान करता है।
- इसके अलावा यह विभाग उपभोक्ता अधिकारों और निवारण तंत्रों पर रचनात्मक/ कैप्शन के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करता है। डिजिटल सोशल मीडिया चैनलों को व्यावसायिक रूप से प्रबंधित किया जाता है और उपभोक्ता जागरूकता तथा उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रासंगिक रचनात्मक सामग्री विभाग के सोशल मीडिया चैनलों में पोस्ट डाली जाती है। विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक शुभंकर "जागृति" भी शुरू किया गया है।

डार्क पैटर्न की घटनाओं के प्रति सतर्क उपभोक्ता मंत्रालय:

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(9) के तहत वर्णित है कि ऑनलाइन इंटरफेस में डार्क पैटर्न के माध्यम से 'अनुचित व्यापार प्रथाओं' में शामिल न होने की सख्ती से सलाह दी है। डार्क पैटर्न में उपभोक्ताओं को उनके सर्वोत्तम हित में विकल्प न चुनने के लिए बरगलाने, विवश करने या प्रभावित करने के लिए रूपरेखा और पसंद का उपयोग करना शामिल है। ऑनलाइन इंटरफेस में डार्क पैटर्न का उपयोग करने के द्वारा इस तरह के भ्रामक और चालाकीपूर्ण आचरण में संलग्न होने से उपभोक्ताओं के हितों का अनुचित रूप से दोहन किया जाता है तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत यह 'अनुचित व्यापार प्रथा' मानी जाती है।

डार्क पैटर्न के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- **कृत्रिम तात्कालिकता:** यह युक्ति उपभोक्ताओं पर खरीदारी करने या कोई कार्यवाही करने के लिए दबाव डालने की तात्कालिकता या कमी की भावना पैदा करती है।
- **बास्केट स्नीकिंग:** वेबसाइट या ऐप्स उपयोगकर्ता की सहमति के बिना शॉपिंग कार्ट में अतिरिक्त उत्पाद या सेवाएं जोड़ने के लिए डार्क पैटर्न का उपयोग करते हैं।
- **सब्सक्रिप्शन ट्रैप:** यह युक्ति उपभोक्ताओं के लिए किसी सेवा के लिए साइन अप करना आसान बनाती है लेकिन उनके लिए इसे रद्द करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अक्सर रद्द करने के विकल्प को छिपा लिया जाता है या उनके लिए कई प्रकार के कदम उठाए जाने की आवश्यकता होती है।
- **कंफर्म शेमिंग:** इसमें उपभोक्ताओं को जोड़े रखने के लिए अपराध बोध पैदा करना शामिल है। यह किसी विशेष मत या दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं होने के लिए उपभोक्ताओं की आलोचना या उन पर आक्षेप करता है।
- **जबरन कार्यवाही:** इसमें उपभोक्ताओं को ऐसी कार्यवाही करने के लिए विवश करना शामिल है जो वे नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि कंटेंट तक एक्सेस के लिए किसी सेवा के लिए साइन अप करना।
- **नैगिंग:** इसका अर्थ निरंतर, बारबार और खीज दिलाने वाली लगातार आलोचना, शिकायतें तथा कार्यवाही के अनुरोध से है।
- **इंटरफेस हस्तक्षेप:** इस युक्ति में उपभोक्ताओं के लिए कुछ विशेष कार्यवाही को कठिन बनाना शामिल है, जैसे सदस्यता रद्द करना या खाता डिलीट करना आदि।
- **बेट एंड स्विच:** इसमें एक उत्पाद या सेवा का विज्ञापन किया जाता है, लेकिन डिलीवरी अक्सर दूसरे और कम गुणवत्ता वाले उत्पाद की होती है।
- **छुपी हुई लागत:** इस युक्ति में उपभोक्ताओं से अतिरिक्त लागत छिपाना शामिल है जब तक कि वे पहले से ही कोई खरीदारी करने के लिए प्रतिबद्ध न हों।
- **छद्म विज्ञापन:** छद्म विज्ञापन ऐसे विज्ञापन होते हैं जिनकी रूपरेखा कंटेंट के दूसरे प्रकारों जैसे न्यूज आर्टिकल या यूजर-जेनरेटेड कंटेंट की तरह दिखने के लिए बनाई जाती है।

निष्कर्ष:

भारत में इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के साथ ही उपभोक्ता, खरीदारी के पसंदीदा तरीके के रूप में ई-कॉमर्स को तेजी से चुन रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में यह नियम बनाया जाना चाहिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न को समाविष्ट करके अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल न हों जिसके परिणाम उपभोक्ता के लिए हानिकारक या अवांछनीय साबित हो सकते हों।

भारत द्वारा ग्लोबल एलायंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता के मायने

भारत ने वर्ष 2024 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र से जुड़े ग्लोबल एलायंस की अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभाली है। 12 दिसंबर को नई दिल्ली में जीपीएआई शिखर सम्मेलन (ग्लोबल एलायंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट) का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया जो 14 दिसंबर को सम्पन्न हुआ। भारत एआई फॉर ऑल (सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की बात करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ सभी क्षेत्रों तथा राष्ट्रों को मिले इसके लिए भारत एक विजनरी राष्ट्र के रूप में अपना दृष्टिकोण पेश करता है। एआई सुपर कंप्यूटर 'ऐरावत' के चलते भारत को शीर्ष 500 सुपरकंप्यूटिंग लीग में 75वां स्थान मिलने की उपलब्धि हो या फिर ब्राजील के एक शहर में एआई चैटजीपीटी की मदद से दुनिया का पहला एआई बेस्ड कानून बनाने की बात हो। एक बात तो स्पष्ट है कि पूरी दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके सकारात्मक परिणाम हासिल किए जा रहे हैं।

- भारत भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित इस्तेमाल पर बल देता है और इस दिशा में अपेक्षित लाभों के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एआई से 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 967 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2025 तक भारत की जीडीपी में 450-500 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुड़ने की उम्मीद है जो देश के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जीडीपी लक्ष्य का 10 प्रतिशत है।
- इसी क्रम में हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सात कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्य समूहों ने भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (इंडिया एआई) रिपोर्ट का पहला संस्करण भी प्रस्तुत किया है। भारतीय प्रधानमंत्री का मानना है कि 'हमें भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत के लिए काम करने की आवश्यकता है।' भारत 2024 के लिए जीपीएआई का अध्यक्ष है। 2020 में जीपीएआई के संस्थापक सदस्यों में से एक जीपीएआई के आगामी सपोर्ट चेयर और 2024 में जीपीएआई के लिए लीड चेयर के रूप में भारत ने 12 से 14 दिसंबर, 2023 तक वार्षिक जीपीएआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अपने वैश्विक वैज्ञानिक नेतृत्व का विज्ञान के नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तार करते हुए भारत संस्थापक सदस्य के रूप में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) में शामिल हुआ है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी तथा मानव केंद्रित विकास और उपयोग को समर्थन दिया जा सके।
- शिखर सम्मेलन के दौरान एआई का प्रयोग वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, एआई तथा डेटा प्रबंधन और एमएल कार्यशाला जैसे विविध विषयों पर कई सत्र आयोजित किए गए। शिखर सम्मेलन के अन्य आकर्षणों में अनुसंधान संगोष्ठी, एआई गेमचेंजर्स अवार्ड और इंडिया एआई एक्सपो शामिल हैं। इस शिखर सम्मेलन में देशभर से 50 से अधिक जीपीएआई विशेषज्ञ और 150 से अधिक वक्ताओं ने भाग लिया। इंटेल, रिलायंस जियो, गूगल, मेटा, एडब्ल्यूएस, योटा, नेटवेब, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, एनआईसी, एसटीपीआई, इमर्स, जियो हैप्टिक, भाषिनी आदि सहित दुनिया भर के शीर्ष एआई गेमचेंजर्स ने इस शिखर सम्मेलन के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया है।

भारतीय नौसेना को एआई का लाभ:

- भारतीय नौसेना के प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान आईएनएस वलसुरा ने पिछले वर्ष 'भारतीय नौसेना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता-एआई) से लाभ प्राप्त करना' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था। भारतीय नौसेना महत्त्वपूर्ण मिशन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जामनगर स्थित आईएनएस वलसुरा को पहले ही बिग डेटा के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में नामित किया जा चुका है। इसके अलावा यहां जनवरी, 2020 में एआई और बिग डेटा एनालिसिस (बीडीए) पर एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। वर्तमान में नौसेना आईएनएस वलसुरा में एआई के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) का निर्माण करने की प्रक्रिया में है जो अकादमिक और उद्योग की सहभागिता में रखरखाव, मानव संसाधन व धारणा मूल्यांकन के क्षेत्र में एआई तथा बीडीए को अपनाने से संबंधित प्रायोगिक परियोजनाओं की प्रगति में सहायक रहा है। इसके अलावा नौसेना अपने उद्यम डेटा को एकीकृत व पुनर्गठित करने में गंभीरतापूर्वक लगी हुई है क्योंकि डेटा सभी एआई इंजनों के लिए ईंधन है। संगठनात्मक तौर पर नौसेना ने एआई कोर ग्रुप का गठन किया है जो सभी एआई/एमएल पहलों का आंकलन करने के लिए हर साल दो बार बैठक करता है।

रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर प्रदर्शनी और परिचर्चा का पहली बार आयोजन:

- पिछले वर्ष भारत सरकार के रक्षा मंत्री द्वारा नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा 'रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआईडीईएफ)' विषय पर पहली बार आयोजित हुई प्रदर्शनी और परिचर्चा का उद्घाटन किया गया था। इस कार्यक्रम में सेवाओं, अनुसंधान संगठनों, उद्योगों एवं स्टार्ट-अप व इनोवेटर्स द्वारा विकसित अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-सक्षम समाधानों को प्रदर्शित करने तथा बाजार की उपलब्धता के लिए एआई उत्पादों का शुभारंभ

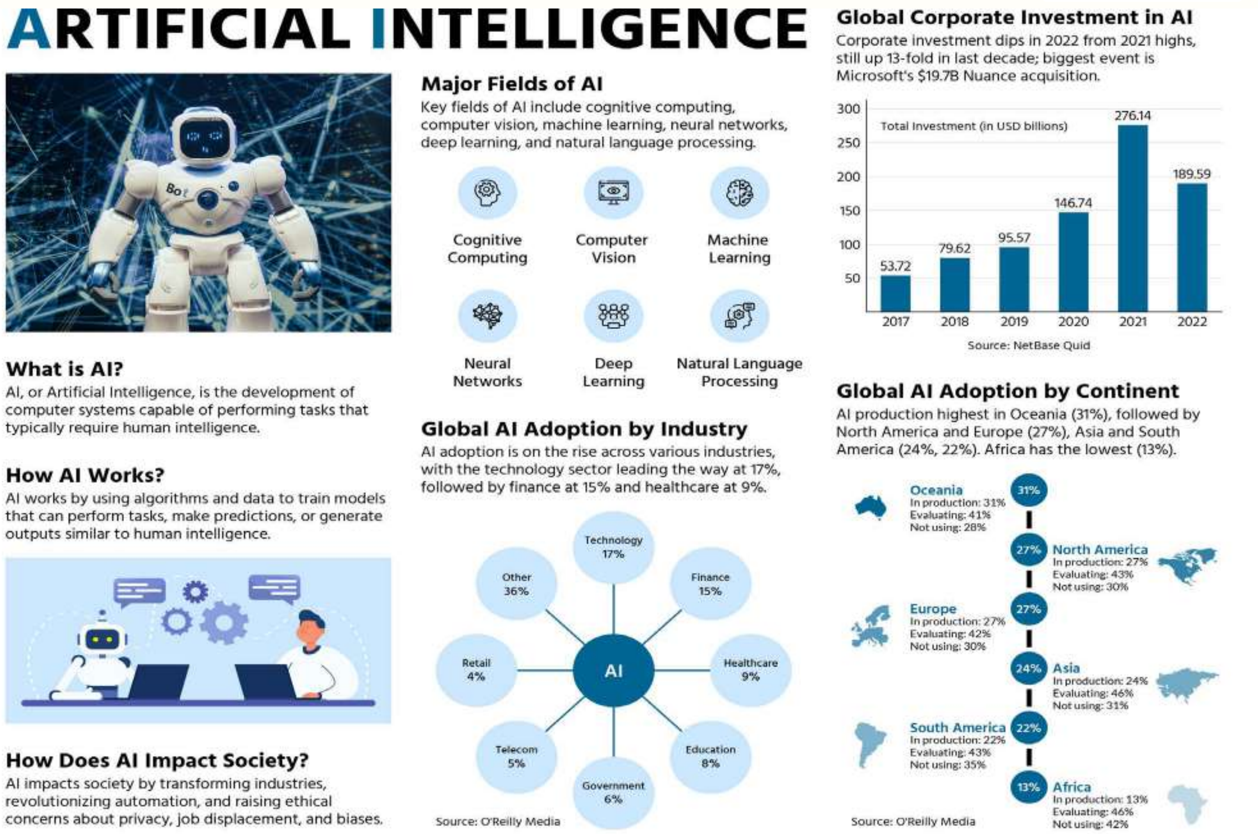

करने के उद्देश्य से एक प्रदर्शनी की सुविधा थी। भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा इस दौरान 75 नव-विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों का शुभारंभ किया गया था। उत्पादों के डोमेन में ऑटोमेशन/मानव रहित/रोबोटिक्स सिस्टम, साइबर सुरक्षा, मानव व्यवहार विश्लेषण, बुद्धिमान निगरानी प्रणाली, रसद व आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भाषण/स्वर विश्लेषण और कमांड, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर एवं बुद्धिमत्ता, निगरानी और जासूसी टोही (सी4आईएसआर) प्रणालियां तथा ऑपरेशनल डेटा एनालिटिक्स शामिल हैं।

ग्रीष्मकालीन मानसून के पूर्वानुमान में एआई का इस्तेमाल:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा संचालित एक नई विकसित गणना पद्धति (एल्गोरिदम) मौसम से 18 महीने पहले ही भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा (आईएसएमआर) के पूर्वानुमान को आगे बढ़ाने में सहायक बन सकता है। ऐसी गणना पद्धति को प्रेडिक्टर डिस्कवरी एल्गोरिदम (पीडीए) कहा जाता है जिसे किसी एक महासागर से संबंधित चर (वेरिएबल) का उपयोग करके देश के लिए प्रभावी कृषि और अन्य आर्थिक योजनाओं को बनाने हेतु समय पर आईएसएमआर के कुशल पूर्वानुमान की सुविधा प्रदान की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि परंपरागत रूप से शोधकर्ता, विश्व के किसी एक क्षेत्र में आईएसएमआर के साथ वायुमंडलीय या महासागरीय चर (वैरिएबल्स) के अधिकतम सहसंबंध के आधार पर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के पूर्वनुमानकर्ता का चयन करते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे और कॉटन विश्वविद्यालय, गुवाहाटी से मिलकर बनी टीम ने एक ऐसा प्रेडिक्टर डिस्कवरी एल्गोरिथम तैयार किया जो पूरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसी अवधि के आईएसएमआर तथा डी 20 के बीच सहसंबंध मानचित्र पर 1871 और 2010 के बीच महासागर थर्मोकलाइन गहराई (डी 20) को प्रस्तुत करके किसी भी लीड महीने में पूर्वानुमान उत्पन्न करता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (जीपीएआई) की संरचना और उद्देश्य:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (जीपीएआई) एक बहु-हितधारक पहल है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान तथा व्यावहारिक गतिविधियों का समर्थन करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को समाप्त करना है। जून 2020 में इसे 15 सदस्य देशों के साथ शुरू किया गया था। जीपीएआई जी7 के भीतर विकसित एक विचार का परिणाम है। आज जीपीएआई के 29 सदस्य हैं जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, सेनेगल, सर्बिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

1 अपराध रिपोर्ट 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जो देश में अपराध पंजीकरण में व्यापक रुझानों की बड़ी तस्वीर प्रदान करती है। रिपोर्ट में सभी अपराधों को शामिल किया गया है जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा साइबर अपराध के खिलाफ अपराधों का अलग से उल्लेख किया गया है।

भारत में अपराध की स्थिति:

- **भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं:** 2022 में 56,653 अचानक मौतें हुईं जिनमें सबसे ज्यादा मौतें (19,456) 45-60 वर्ष के आयु वर्ग की है। आत्महत्या के मामले 2021 में 1,64,033 से बढ़कर 2022 में 1,70,924 हो गए हैं, जबकि 2021 में 3,97,530 मौतों की तुलना में 2022 में आकस्मिक मौतें 4,30,504 तक पहुंच गई हैं।

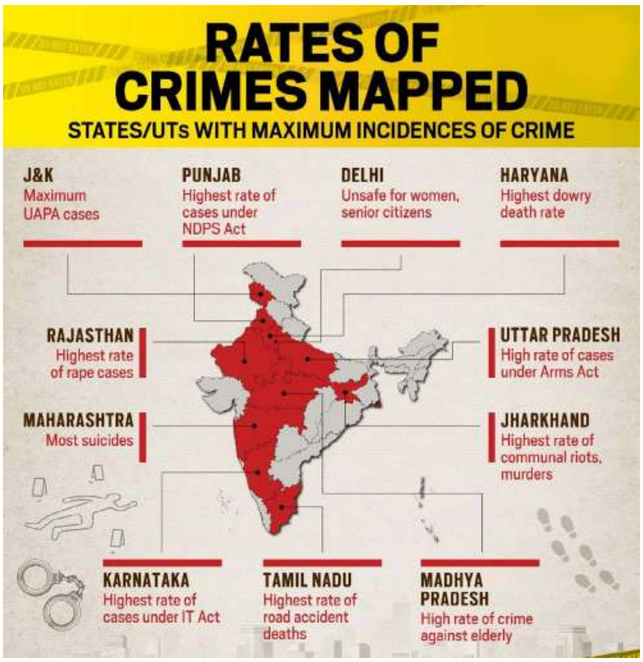

- **महिलाओं के खिलाफ अपराध:** 2022 के दौरान महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए जिनमें 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में 4% की वृद्धि दिखाता है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत ऐसे अधिकांश मामलों जैसे- 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (31.4%), 'महिलाओं का अपहरण' (19.2%), 'महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला' (18.7%) और 'बलात्कार' (7.1%) शामिल थे।
- **बच्चों के खिलाफ अपराध:** 2021 की तुलना में 2022 के दौरान बच्चों के खिलाफ हुए अपराध में 8.7% की वृद्धि के साथ कुल 1,62,449 मामले दर्ज किए गए। 2021 के दौरान ऐसे अधिकांश मामलों में अपहरण(45.7%) और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (POCSO) अधिनियम, 2012 (39.7%) (जिसमें बाल बलात्कार भी शामिल है) आदि के मामले शामिल थे। 2022 के दौरान किशोरों के खिलाफ कुल 30,555 मामले दर्ज किए गए हैं जो 2021 की तुलना में 2% की गिरावट दर्शाता है।
- **साइबर अपराध:** वर्ष 2021 (52,974 मामले) की तुलना में 24.4% की वृद्धि के साथ वर्ष 2022 में साइबर अपराध के कुल 65,893 मामले दर्ज किए गए। 2022 में, दर्ज किए गए साइबर अपराध के 64.8% मामले (65,893 मामलों में से 42,710) धोखाधड़ी के मकसद से किए गये थे जिसके बाद 5.5% जबरन वसूली (3,648 मामले) और 5.2% (3,434 मामले) यौन शोषण के मामले प्रमुख थे।

आगे की राह:

2021 की तुलना में 4.5% की गिरावट के साथ 2022 में कुल 58,24,946 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए जिनमें 35,61,379 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अपराध और 22,63,567 विशेष तथा स्थानीय कानून (एसएलएल) अपराध शामिल हैं। अपराध दर में गिरावट (प्रति लाख निवासियों पर किए गए अपराधों की संख्या) 2021 में 445.9 से बढ़कर 2022 में 422.2 हो जाना एक अच्छा संकेतक है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ पूर्ण अपराध दर में वृद्धि होती है।

2 फास्टर 2.0 पोर्टल और ई-एससीआर पोर्टल का हिंदी संस्करण हुआ लॉन्च

चर्चा में क्यों?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने संविधान दिवस के अवसर पर कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए फास्टर 2.0 पोर्टल और ई-एससीआर पोर्टल के हिंदी संस्करण को लॉन्च किया। फास्टर 2.0 पोर्टल कैदियों की रिहाई से संबंधित अदालती आदेशों के बारे में सीधे जेल अधिकारियों, ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयों को जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि ई-एससीआर पोर्टल के हिंदी संस्करण से सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट को समझने में मदद मिलेगी।

फास्टर 2.0 पोर्टल के बारे में:

- 'फास्ट एंड सेक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकाड्‌र्स' (FASTER) एक सॉफ्टवेयर है जो न्यायालय के आदेशों को तेजी से और सुरक्षित रूप से प्रसारित करने हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
- यह एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से अनुपालन और उचित निष्पादन के लिए कर्त्तव्य धारकों को अंतरिम आदेश, स्थगन आदेश, जमानत आदेश और कार्यवाही के रिकॉर्ड की

ई-प्रमाणित प्रतियों के प्रसारण का प्रस्ताव करता है।

- वर्तमान समय में रिहाई प्रक्रिया दस्तावेजों की देरी के कारण बाधित होती है। चूंकि मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत, जेल से किसी व्यक्ति की रिहाई के लिए आधिकारिक अदालत के आदेश की एक भौतिक प्रति जेल अधिकारियों तक पहुंचने से पहले कई सरकारी विभागों से होकर गुजरती है, इसलिए अदालत द्वारा रिहाई आदेश जारी करने के बावजूद, जेल से वास्तविक रिहाई में काफी समय लगता है।
- फास्टर 2.0 पोर्टल (जो अब पूर्ण रूप से कार्यान्वित है) से संबंधित अधिकारियों के बीच तेजी से संचार की सुविधा मिलेगी जो देश की न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाने में योगदान देगा।
- इस दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 'लोगों की अदालत' के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को रेखांकित किया और जनता को अदालत का दरवाजा खटखटाने से न डरने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विवादों को संविधान के तहत लोकतांत्रिक तरीके से हल किया जा सकता है।
- यह भी उल्लेखनीय है कि फास्टर 1. 0 प्लेटफॉर्म को सर्वप्रथम मार्च, 2022 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना ने लॉन्च किया था ताकि आम नागरिकों की न्याय तक समयबद्ध तरीके से त्वरित, सुलभ और सहज पहुंच हो सके।

ई-एससीआर पोर्टल के बारे में:

- ई-एससीआर पोर्टल के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णयों का डिजिटल संग्रह किया जाता है जो अब हिंदी में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तक पहुंच प्रदान करेगा।
- इस पोर्टल के माध्यम से नि:शुल्क रूप से वकीलों, कानून के छात्रों तथा आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के 35 हजार से अधिक निर्णयों तक मुफ्त पहुंच प्रदान किया जाता है क्योंकि ये फैसले शीर्ष अदालत की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के निर्णय पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं।
- माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से ई-एससीआर के डेटाबेस में इलास्टिक खोज तकनीकों को शामिल करते हुए एक सर्च इंजन विकसित किया है जो सर्च के द्वारा केस प्रकार, केस वर्ष, न्यायाधीश और बेंच स्ट्रेंथ सर्च विकल्प प्रदान करती है।

आगे की राह:

यह मामलों के निपटान में देरी को कम करने और लंबित मामलों के जल्द निस्तारण हेतु नीतिगत निर्णय लेने के लिए समय पर इनपुट प्रदान करने में मदद करेगा। इससे आम जनमानस की न्यायालय तक पहुँच आसान होगी जिससे न्याय का समावेशीकरण करने और न्यायिक प्रक्रिया को सस्ती व सुलभ बनाने में तेजी लायी जा सकेगी।

3 डाकघर विधेयक 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा में नया डाकघर विधेयक 2023 पारित किया गया। यह डाकघरों की बदलती भूमिका के मद्देनजर भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित करेगा। यह विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक माध्यम बनेगा, जबकि 1898 के अधिनियम ने केवल मेल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया था।

डाकघर विधेयक 2023 के बारे में:

- यह विधेयक डाक विभाग को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा तथा अपनी सेवाओं की कीमतें तय करने में लचीलापन प्रदान करेगा। यह बाजार की मांगों पर तुरंत प्रतिक्रिया के साथ ही नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे पर आधारित होगा।
- यह विधेयक किसी भी अधिकारी को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में किसी भी वस्तु को रोकने, हिरासत में लेने या सीमा शुल्क प्राधिकरण को सौंपने की शक्ति प्रदान करता है।
- यह विधेयक किसी डाक अधिकारी को घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय स्रोत से प्राप्त किसी वस्तु को सीमा शुल्क या किसी संबंधित प्राधिकारी को वितरित करने का अधिकार देगा।

डाकघर विधेयक 2023 के प्रमुख प्रावधान:

- यह विधेयक डाक सेवाओं से संबंधित आवश्यक नियम बनाने और बाजार की गतिशीलता के आधार पर डाक शुल्क निर्धारित करने का अधिकार देता है जिससे संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- इस विधयेक के अंतर्गत डाक अधिकारियों को आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए सीमा शुल्क विभाग को संदिग्ध पार्सल, अवैतनिक शुल्क या अवैध सामग्री की रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
- डाकघर विधेयक 2023 डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार देता है। यह डाक टिकटों एवं स्टेशनरी की आपूर्ति तथा बिक्री से संबंधित नियमों की रूपरेखा तैयार करेगा।
- यह विधेयक मेल और पार्सल में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा जिसमें ड्रोन डिलीवरी का प्रयोग की संभावना भी शामिल है।
- यह विधेयक नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी के लिए डाकघर को एक नेटवर्क में विकसित करने की सुविधा प्रदान करेगा।

भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 प्रतिस्थापित करने का कारण:

- भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 डाकघर के कामकाज को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1898 में अधिनियमित किया गया था जो मुख्य रूप से डाकघर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली मेल सेवाओं से संबंधित था।
- वर्तमान समय में डाकघर के माध्यम से सेवाओं में विविधता आ रही है और डाकघर नेटवर्क विभिन्न प्रकार की नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी का माध्यम बन रहे हैं। इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ डाक विभाग ने बैंकिंग सेवाओं की भी शुरुआत किया है जिसमें नये कानून की आवश्कता थी।

आगे की राह:

नए विधेयक में शामिल प्रावधान डाक पार्सल के माध्यम से दवाओं और अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी तथा गैरकानूनी संचरण की

संभावनाओं को रोकेगा। कूरियर फर्मों के लिए एक समान कानून नहीं है। कूरियर/एक्सप्रेस/पार्सल (CEP) उद्योग में भारतीय डाक की बाजार में हिस्सेदारी 15% से कम है। इसलिए डाक प्रसारण के दौरान इस नये विधेयक में किसी भी वस्तु को खोलने या रोकने का प्रावधान शामिल किया जायेगा।

4 अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023 संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पारित हुआ। राज्यसभा इस बिल को पहले ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करता है। यह लीगल प्रैक्टिशनर अधिनियम 1879 के तहत अभिकर्ता या दलालों से संबंधित कुछ धाराओं को निरस्त करता है।

परिवर्तन की आवश्यकता क्यों?

- विधि आयोग ने अपनी 249वीं रिपोर्ट में पुराने 1879 अधिनियम को अप्रचलन के कारण निरस्त करने की सिफारिश की। 1961 के अधिवक्ता अधिनियम ने दलालों से संबंधित प्रावधानों को बरकरार रखा जिसके परिणामस्वरूप अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया गया।

अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023 में प्रमुख प्रावधान:

- नया विधेयक 1961 के अधिनियम में धारा 45ए जोड़ता है जो उच्च न्यायालयों और जिला न्यायाधीशों को दलालों की सूची बनाने तथा उसे प्रकाशित करने का अधिकार देता है।
- आरोपों का डिफेन्स करने का अवसर प्रदान किए बिना व्यक्तियों के नाम शामिल नहीं किए जाएंगे।
- कथित दलालों को जांच के लिए अधीनस्थ अदालतों में रिपोर्ट किया जा सकता है जिसके बाद निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
- एक दलाल के रूप में दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप प्रत्येक अदालत में एक प्रकाशित सूची शामिल किया जाता है।

टाउट क्या है?

- टाउट को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी कानूनी व्यवसायी से किसी पारिश्रमिक के बदले किसी कानूनी व्यवसाय में कानूनी व्यवसायी का रोजगार प्राप्त करता है या जो किसी कानूनी व्यवसायी या किसी कानूनी व्यवसाय में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति को, पारिश्रमिक के लिए, ऐसे व्यवसाय में कानूनी व्यवसायी का रोजगार प्राप्त करने का प्रस्ताव देता है। सरल शब्दों में दलाल ग्राहक और कानूनी अभ्यासकर्ताओं के बीच एक मध्यस्थ होता है।

1879 के कानूनी व्यवसायी अधिनियम के बारे में:

- 1879 का कानूनी व्यवसायी अधिनियम विशिष्ट प्रांतों में कानूनी चिकित्सकों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- अधिनियम की धारा 2 में 'दलाल' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो भुगतान के बदले कानूनी व्यवसायी के लिए ग्राहकों की खरीद करता है जिसमें सिविल या आपराधिक अदालतों, राजस्व कार्यालयों और रेलवे स्टेशनों जैसे विभिन्न स्थान शामिल हैं।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के बारे में:

- 1961 का अधिवक्ता अधिनियम स्वतंत्रता के बाद कानूनी चिकित्सकों से संबंधित कानूनों को समेकित करने और बार काउंसिल तथा एक अखिल भारतीय बार काउंसिल की स्थापना के लिए पेश किया गया था। इसने स्वतंत्रता-पूर्व के तीन अधिनियमों का स्थान लिया जिनमें कानूनी चिकित्सकों को नियंत्रित करने वाला 1879 का अधिनियम भी शामिल है।

आगे की राह:

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 कानूनी पेशे में दलालों की समस्या के समाधान के लिए एक साहसिक विधायी प्रयास है। अधिकारियों को सूचियाँ तैयार करने, पूछताछ करने और जुर्माना लगाने का अधिकार देकर यह संशोधन कानूनी प्रणाली की अखंडता को बढ़ाने और कानूनी चिकित्सकों तथा जनता दोनों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है।

5 लोकसभा से निष्कासन की प्रक्रिया

चर्चा में क्यों?

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को 'अनैतिक आचरण' के लिए लोकसभा से निष्कासित किया गया। यह घटनाक्रम कैश-फॉर-क्वेरी विवाद पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा के समक्ष पेश किए जाने के तुरंत बाद आया। विपक्षी सदस्यों ने पैनल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाया था और रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की थी। हालांकि चर्चा के बगैर ही उन्हें निष्काषित कर दिया गया।

क्या है मामला?

- महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय कारोबारी गौतम अदानी और उनकी कंपनियों के समूह को निशाना बनाने के लिए लगातार संसद में सवाल पूछे, वह भी रिश्वत लेकर।
- बीजेपी सासंद निशिकांत दूबे ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भेजकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी नाम के कारोबारी से रिश्वत लेकर अदानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए सवाल पूछे हैं।

संवैधानिक और अन्य पहलू:

- संविधान का अनुच्छेद 101 कुछ आधारों पर संसद में सदस्यता की स्वतः समाप्ति को संदर्भित करता है, जैसे कि जब कोई सदस्य संसद के दूसरे सदन या राज्य विधानसभा के लिए चुना जाता है और निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस्तीफा नहीं देता है या जब कोई

सदस्य सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक लगातार सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहता है।

- दूसरी ओर, किसी सदस्य का निष्कासन सदन द्वारा गठित समिति द्वारा दोषी पाए जाने पर भी किया जा सकता है। हालांकि इसमें सदस्यता की समाप्ति स्वचालित नहीं है, इसीलिए यह अनुच्छेद-101 के दायरे से बाहर है।
- हालांकि संविधान के अनुच्छेद-105 और 194 (जो क्रमश: संसद के सदनों तथा राज्य विधानमंडलों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित हैं) इस निष्कासन पर मौन हैं।
- राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा (2007) के मामले में चार न्यायाधीशों के बहुमत ने माना कि संसद के पास अपने सदस्यों को निष्कासित करने की शक्ति है और ऐसी शक्ति न्यायसंगत है।
- न्यायाधीशों ने तर्क दिया कि संसद किसी भी व्यक्तिगत सदस्य के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की शक्ति और विशेषाधिकार बरकरार रखती है, यदि सांसद द्वारा किया गया कार्य न्याय सांगत न हो।
- हालांकि यह कार्य संसद द्वारा एक रेजोल्यूशन के माध्यम से ही किया जा सकता है और ये अनुच्छेद 101 और 102 (जो संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित हैं) के अंतर्गत नहीं आएगा।
- 2010 में, एक अन्य पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अमरिंदर सिंह बनाम विशेष समिति, पंजाब विधानसभा में सदस्यों के निष्कासन पर कानून की समीक्षा की। इस मामले में राजा राम पाल मामले में एक-दूसरे से असहमत रहे जस्टिस बालाकृष्णन और रवींद्रन ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए अमरिंदर सिंह के निष्कासन को असंवैधानिक करार दिया।
- हालांकि पीठ का मानना था ऐसी शक्ति विधायिका के पास होने से अदालतों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जुड़े मामलों की संख्या बढ़ सकती है। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसा परिदृश्य संसदीय लोकतंत्र के कुछ बुनियादी उद्देश्यों को विफल कर देगा।

आगे की राह:

किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में संसद सदस्य के निष्कासन से पूर्व उससे सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके साथ ही सभी संसद सदस्यों का लोकत्रंत्र के मंदिर के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित होना भी उतना ही आवश्यक है तभी लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।

6 अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा जिसके तहत पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। यह फैसला सर्वसम्मति द्वारा सुनाया गया।

BEFORE	NOW
Special powers exercised by J&K	No special powers now
Dual citizenship	Single citizenship
Separate flag for Jammu & Kashmir	Tricolour will be the only flag
Article 360 (Financial Emergency) not applicable	Article 360 will be applicable
No reservation for minorities such as Hindus and Sikhs	Minorities will be eligible for 16% reservation
Indian citizens from other states cannot buy land or property in J&K	People from other states will now be able to purchase land or property in J&K
RTI not applicable	RTI will be applicable
Duration of Legislative Assembly for 6 years	Assembly duration in Union Territory of J&K will be for 5 years
If a woman from J&K marries out of state, she would lose the citizenship of the state	If a woman marries out of state or country, she will still retain all her rights and Indian citizenship
Panchayats did not have any rights	Panchayats will have the same rights as in other states
Right to Education (RTE) was not applicable	Children in the state will benefit from RTE

फैसले के मुख्य बिंदु:

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पास अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में कोई अद्वितीय आंतरिक संप्रभुता नहीं है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के केंद्र के फैसले की वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट के अनुसार एक बार जब संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 370(3) के तहत एकतरफा अनुच्छेद 370 को निरस्त कर सकते थे।
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।
- सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) को अगले साल 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इंकार कर दिया क्योंकि इसे याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है जिसको इंगित करने वाले दो पहलू हैं:
  - संविधान सभा के गठन तक इसकी अंतरिम स्थिति।
  - राज्य में युद्ध की स्थिति सहित विशेष परिस्थितियों के कारण इसे अपनाना।
- कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब अनुच्छेद 356 के तहत कोई

उद्घोषणा लागू होती है, तो केंद्र द्वारा अनगिनत निर्णय लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एस. आर. बोम्मई मामले का हवाला देते हुए कहा कि सभी कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती।

अनुच्छेद 370 के बारे में:

- अनुच्छेद 370 (जो अक्टूबर 1949 में लागू हुआ) ने कश्मीर को आंतरिक प्रशासन की स्वायत्तता प्रदान की जिससे उसे वित्त, रक्षा, विदेशी मामलों और संचार को छोड़कर सभी मामलों में अपने कानून बनाने की अनुमति मिली।
- भारतीय प्रशासित क्षेत्र ने एक अलग संविधान और एक अलग ध्वज स्थापित किया तथा बाहरी लोगों को क्षेत्र में संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया।
- अनुच्छेद 35ए, 1954 में अनुच्छेद 370 में जोड़ा गया एक और प्रावधान था जो राज्य के विधायकों को राज्य के स्थायी निवासियों के लिए विशेषाधिकार सुनिश्चित करने का प्रावधान करता था।

आगे की राह:

यह निर्णय न केवल लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवाद का निपटारा करता है, बल्कि संघ और उसके घटक राज्यों के बीच संबंधों के आसपास के संवैधानिक न्यायशास्त्र में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। चूँकि भारत में जटिल संवैधानिक मुद्दा चर्चा का विषय रहा है, यह निर्णय भारतीय शासन के उभरते परिदृश्य में प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए एक मिसाल कायम करता है।

7 चुनाव आयोग नियुक्ति विधेयक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 को मंजूरी दी है। यह सीईसी और ईसी का चयन करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को पैनल से हटाने का प्रावधान करता है। विधेयक सीईसी और दो ईसी के लिए नियुक्ति प्रक्रिया तथा सेवाओं की शर्तों को प्रदान करने के लिए चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 को निरस्त करता है।

पृष्ठभूमि:

- मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने फैसला सुनाया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

- मुख्य चुनाव आयोग एवं अन्य चुनाव आयोग का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्न शामिल होंगे:
  - » अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री
  - » सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता
  - » प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
- चुनाव आयुक्तों का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होगा।
- मुख्य चुनाव आयोग तथा अन्य चुनाव आयोग को अपने आधिकारिक कार्यों से आपराधिक और दीवानी कार्यवाही से छूट मिलेगी।
- विधेयक में सीईसी और ईसी के पदों पर विचार के लिए पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने हेतु एक सर्च समिति की स्थापना का प्रस्ताव है।
- सर्च कमेटी की अध्यक्षता कानून मंत्री करेंगे जिसमें दो सदस्य भी शामिल होंगे जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान तथा अनुभव होगा।

चुनाव आयोग के बारे में:

- भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना भारत के संविधान द्वारा देश में चुनाव कराने और विनियमित करने के लिए की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी।
- चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, यदि कोई हों, उतनी संख्या में होंगे जितनी राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रावधानों के अधीन होगी। संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाएगा।
- चूंकि नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निर्धारित कोई संसदीय कानून नहीं बनाया गया था। विधेयक अब इस रिक्तता को दूर करने और चुनाव आयोग में नियुक्तियाँ करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास करता है।

आगे की राह:

यह विधेयक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार द्वारा किये जाने का प्रावधान करता है जो लोकतांत्रिक राष्ट्र में बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। जैसा कि सर्वविदित है कि नियमित व निष्पक्ष चुनाव सफल लोकतंत्र की नींव है और चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय नहीं होगा तो पूरा लोकतांत्रिक ढांचा विफल हो सकता है, इसीलिए लोकतंत्र के सभी स्तंभों को मिलकर कार्य करना आवश्यक है।

1 माइक्रोनेशियन और पॉलिनेशियन क्षेत्रों में चीनी निवेश के मायने

चर्चा में क्यों?

चीन अपने सहयोगात्मक प्रयासों से माइक्रोनेशियन और पॉलिनेशियन क्षेत्रों में एक महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरा है। इन क्षेत्रों में चीनी निवेश व उनके रणनीतिक और भू-आर्थिक निहितार्थों पर केंद्रित है।

माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया में चीनी निहितार्थ व निवेश:

- वर्ष 2020 में किरिबाती बीजिंग के अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पहल तथा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने वाला 10वां प्रशांत द्वीप देश बना था। किरिबाती ने समोआ, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया टोंगा और नीयू का अनुसरण किया जो 2019 में BRI में शामिल हुए थे।
- 2019 में आयोजित दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के दौरान चीनी सरकारी अधिकारियों ने विकासात्मक बुनियादी ढांचे के निर्माण में चीनी राज्य और निजी कंपनियों से सहायता के साथ-साथ पीआईसी को लाखों डॉलर की विकासात्मक सहायता देने का वादा किया।
- इस आशय से 2013-2023 के बीच चीन ने समोआ (2.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर), एफएसएम (2 बिलियन अमेरिकी डॉलर), मार्शल आइलैंड्स (1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर), किरिबाती (1.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और कुक आइलैंड्स (0.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) में निवेश किया।

- चीनी सहायता और निवेश ने इन देशों में कई आर्थिक क्षेत्रों को विस्तारित किया। चीन के स्वामित्व वाले निगमों ने सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डे की पट्टियों, सामाजिक बुनियादी ढांचे (स्कूल, अस्पताल, किफायती आवास) और नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है जिसकी कीमत 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका:

- पीआईसी के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत शुरू की गई एक प्रमुख पहल फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन है। FIPIC भारत और 14 PIC द्वीपीय देशों के बीच सहयोग के लिए विकसित एक बहुराष्ट्रीय समूह है।
- पीआईसी को प्रभावित करने की आवश्यकता एक समय में चीन के लिए और भी अधिक दबाव वाला मामला बन गया है। जब क्वार्ड सुरक्षा संवाद चीन के मुकाबले हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में भारतीय प्रधानमंत्री ने सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु-संबंधी परियोजनाओं के लिए प्रशांत द्वीप देशों के समूह को 150 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा किया था।
- भारत इस क्षेत्र के प्रमुख भागीदारों में से एक रहा है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, आसियान देशों, जापान, कोरिया और वियतनाम के साथ कई नौसैनिक अभ्यास आयोजित करता रहा है।

आगे की राह:

भारत इस क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ मिलकर इन प्रशांत द्वीपीय देशों को चीनी ऋण जाल से व उनकी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सामूहिक प्रयास को लगातार प्रोत्साहित करता रहा है।

2 इटली बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर

चर्चा में क्यों?

चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने वाला एकमात्र ग्रुप ऑफ सेवन (जी7) देश बनने के चार साल बाद इटली इससे बाहर हो गया है। इसके लिए वर्तमान दक्षिणपंथी सरकार ने व्यापार में अधिक लाभ न होने का आरोप लगाया है।

इटली बीआरआई पहल से पीछे क्यों हट गया?

द्विपक्षीय व्यापार घाटा और निवेश की कमी:

- चीन को इतालवी निर्यात 2022 में €16.4bn का था, जबकि 2019 में €13bn का था।
- इसके विपरीत इसी अवधि में इटली को चीनी निर्यात €31.7bn से बढ़कर €57.5bn हो गया जिससे आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया।
- इतालवी बंदरगाहों में चीनी निवेश का वादा अभी भी पूरा न होना भी एक कारण बताया गया।
- इटली में चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 2019 में $650 मिलियन से गिरकर 2021 में $33 मिलियन हो गया जो सीमित आर्थिक लाभ का संकेत है।
- 2019 में चीन द्वारा इटली में 20 बिलियन डॉलर तक के निवेश का वादा किया गया था जिसका केवल एक अंश ही पूरा हुआ है।
- चीन यूरोपीय संघ के सदस्य जैसे-फ्रांस और जर्मनी के साथ कहीं अधिक व्यापार करता है, बावजूद इसके कि ये देश बीआरआई के

सदस्य नहीं हैं।

- बीआरआई में इटली के प्रवेश का उद्देश्य चीन के बाजार में निवेश आकर्षित करना और निर्यात का विस्तार करना था, लेकिन यह पहल उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी।

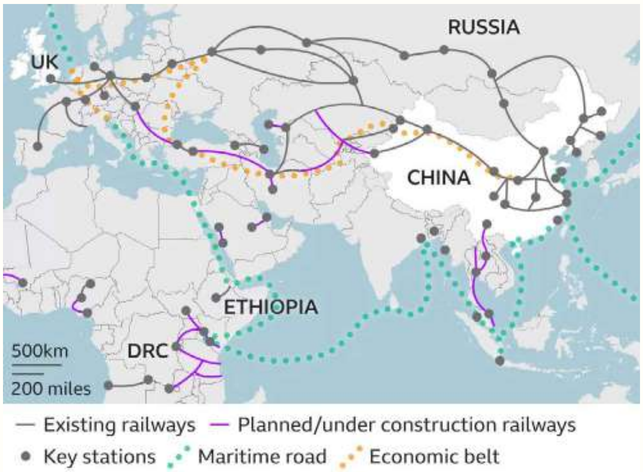

वैश्विक परिदृश्य:

- इटली अगले साल जी-7 की अध्यक्षता संभालेगा, इसलिए यह घोषणा रोम को उसके पश्चिमी सहयोगियों के साथ लाभकारी हो सकती है।
- वर्ष 2023 में जी-20 समिट के दौरान 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे' की घोषणा हुई जिसे गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने संयुक्त रूप से 9 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन इस मेगा आर्थिक गलियारे की घोषणा किया गया।
- इसमें से कई देशों ने बीआरआई परियोजनाओं के लिए चीन से भारी उधार लिया है और अब उन्हें इन ऋणों को चुकाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे प्राय: चीन के ऊपर 'डेट ट्रैप डिप्लोमेसी' का प्रयोग करने के आरोप लगाये जाते रहे हैं।

भारत का रुख:

- भारत ने प्रारम्भ से ही बीआरआई का विरोध किया क्योंकि इसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शामिल है जो चीन के काशगर को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के माध्यम से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ता है। यह भारत की संप्रभुता के हनन से संबंधित है।

आगे की राह:

स्पष्ट रूप से इटली ने इस पर तब हस्ताक्षर किए जब फाइव स्टार मूवमेंट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश प्राप्त करने के साथ-साथ चीन के साथ व्यापार बढ़ाने के एक तरीके के रूप में प्रचारित किया था। कई वर्षों के बाद चीन की सच्चाई दिखने लगी है जिससे दुनिया के अन्य देशों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

3 एंटोनियो गुटरेस ने इजराइल-हमास युद्ध में यूएन चार्टर के अनु. 99 का किया प्रयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गाजा पट्टी, विशेष रूप से इसके दक्षिणी क्षेत्र में इजराइल का हमास के साथ चल रहे सैन्य हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने युद्धविराम स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 का प्रयोग किया है। गुटरेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को संबोधित पत्र में कहा कि गाजा में मानवीय प्रणाली के पतन के गंभीर खतरे की स्थिति में, मैं परिषद से मदद करने का आग्रह करता हूं।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है जिसके माध्यम से प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर कार्यवाही कर सकता है। चार्टर को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है जिसका अर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश, इससे बंधे हुए हैं।
- चार्टर के अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि 'महासचिव किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकते हैं जो उनकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डाल सकता हो।'
- संयुक्त राष्ट्र के प्रिपरेटरी कमीशन की 1945 की एक रिपोर्ट में इस अनुच्छेद के बारे में कहा गया था कि यह महासचिव को जो जिम्मेदारी देता है, उसके लिए राजनीतिक निर्णय, चातुर्य और ईमानदारी के उच्चतम गुणों के अभ्यास की आवश्यकता होगी।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यदि महासचिव अनुच्छेद 99 के तहत परिषद के ध्यान में कोई मामला लाता है तो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का दायित्व है कि वह परिषद की बैठक बुलाये।
- यह भी सर्वविदित है कि अनुच्छेद 99 का प्रयोग अतीत में सर्वप्रथम वर्ष 1960 में बेल्जियम के औपनिवेशिक शासन के अंत के बाद कांगो गणराज्य में उथल-पुथल और 1961 में फ्रांस की नौसेना तथा वायु सेना के हमले के खिलाफ ट्यूनीशिया की शिकायत पर किया गया था। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान (1971), ईरान (1979) और लेबनान (1989) में इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जा चुका है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंगों में से यूएनएससी एक है। इसमें पांच स्थायी सदस्य होते हैं जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और रूस शामिल हैं, जबकि 10 गैर-स्थायी सदस्य बारी-बारी से दो वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। इसकी अध्यक्षता इन 15 सदस्यों में से प्रत्येक के पास एक महीने के लिए होती है। वर्तमान समय में दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के पास दिसंबर 2023 के लिए अध्यक्षता है।

आगे की राह:

जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है, अब तक 17,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं जिनमें लगभग 40 प्रतिशत बच्चे शामिल हैं। मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में इस प्रस्ताव पर विचार करना आवश्यक है। हालाँकि, इसकी संभावना कम ही है कि मतदान में स्थायी सदस्यों का सर्वसम्मत समर्थन मिलेगा क्योंकि सभी देश अपने हितों के अनुसार इस युद्ध में अपना समर्थन करते रहे हैं।

4 इंटरपोल की 91वीं महासभा सम्पन्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वियना में आयोजित इंटरपोल की 91वीं महासभा में भारत ने वास्तविक समय के आधार पर आतंकवाद, ऑनलाइन कट्टरपंथ और साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध से मुकाबला करने हेतु इंटरपोल के माध्यम से ठोस कार्यवाही करने की मांग की। इस चार दिवसीय सभा में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) का शताब्दी वर्ष भी मनाया गया जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी।

इंटरपोल की 91वीं महासभा के मुख्य बिंदु:

- भारतीय टीम ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड, बांग्लादेश, सिंगापुर और जाम्बिया के प्रतिनिधिमंडलों के साथ पुलिस सहयोग के मामलों पर विस्तृत चर्चा किया।
- इस मीटिंग के दौरान आपसी कानूनी सहायता और प्रत्यर्पण अनुरोधों में तेजी लाने के लिए इंटरपोल चैनलों के माध्यम से अपराधियों पर जानकारी बेहतर ढंग से साझा करने पर सहमति बनी, साथ ही भारत ने इंटरपोल के 'विजन 2030' को अपनाने का भी समर्थन किया।
- महासभा की मीटिंग में सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद और एनआईए महानिदेशक दिनकर गुप्ता के नेतृत्व में पांच सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के संचालन पर अंकुश लगाने के लिए समन्वित रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
- इसमें इंटरपोल फ्यूचर काउंसिल के निर्माण पर भी चर्चा हुई जो विशेषज्ञों की एक परिषद होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'इंटरपोल विजन-2030' का विकास और कार्यान्वयन सदस्य देशों में कानून प्रवर्तन की उभरती जरूरतों को ध्यान में रखकर हो।
- भारतीय टीम ने इंटरपोल, यूरोपोल व प्रशांत द्वीप पुलिस संगठन के प्रमुखों और अमेरिकी वायु सेना विशेष जांच कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सहयोग की व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा किया।
- वर्ष 1949 में इंटरपोल में शामिल होने के बाद भारत ने अब तक दो सामान्य सभाओं की मेजबानी किया है। सर्वविदित है कि पिछले साल भारत ने 90वीं महासभा की मेजबानी किया था जिसमें 168 देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया था।

इंटरपोल क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (जिसे प्राय: इंटरपोल के नाम से जाना जाता है) की स्थापना 1923 में एक सुरक्षित सूचना-साझाकरण मंच के रूप में की गई थी जो विभिन्न देशों के पुलिस बलों से प्राप्त जानकारी के माध्यम से आपराधिक जांच की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान समय में इसके 196 देश सदस्य हैं जिसका नेतृत्व अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य-देश का इंटरपोल में नोडल एजेंसी होता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भारत में नोडल एजेंसी है।

आगे की राह:

अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए इंटरपोल चैनलों के बढ़ते लाभ तथा विश्व स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संबंधों के कारण इस वर्ष भारत द्वारा वांछित 24 अपराधियों और भगोड़ों को वापस लाया गया जो एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक है। हालांकि यह कोई फ्रंट लाइन-पुलिस बल या जांच एजेंसी नहीं है। इंटरपोल विभिन्न तरह की नोटिस जारी करता है जो सहयोग या अलर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध पर आधारित होता है।

5 स्वस्थ आहार पर एफएओ रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा तथा पोषण स्थिर रुझान पर एक रिपोर्ट जारी किया।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में 74.1% भारतीय संतुलित आहार नहीं ले पाए, जबकि 2020 में यह प्रतिशत 76.2% था। पाकिस्तान में 82.2% और बांग्लादेश में 66.1% लोगों को स्वस्थ आहार उपलब्ध नहीं था।
- रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के साथ आय में वृद्धि नहीं हुई, तो अधिक व्यक्तियों के लिए पौष्टिक आहार का खर्च वहन करना असंभव हो जाएगा।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि COVID-19 महामारी के दौरान यह

क्षेत्र "5Fs" संकट से प्रभावित हुआ था जिसमें भोजन, चारा, ईंधन, उर्वरक और वित्त शामिल हैं। इन संकटों के दीर्घकालिक प्रभाव अभी भी स्पष्ट हैं।

- देश के पांच साल से कम उम्र के 31.7% बच्चे बौनेपन (उम्र के हिसाब से कम उचाई) का शिकार हुए।
- 2022 में, एशिया में COVID-19 महामारी से पहले की तुलना में 55 मिलियन अधिक लोग कुपोषित थे। इनमें से अधिकतर लोग दक्षिणी एशिया में रहते थे।
- पूर्वी एशिया को छोड़कर हर उपक्षेत्र में महिलाओं का प्रदर्शन पुरुषों की तुलना में खराब रहा। लगभग 10% महिलाओं को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा, जबकि 25% को मध्यम असुरक्षा का सामना करना पड़ा।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्वस्थ आहार की औसत लागत प्रति व्यक्ति प्रति दिन 4.15 क्रय शक्ति समता डॉलर अनुमानित की गई थी।

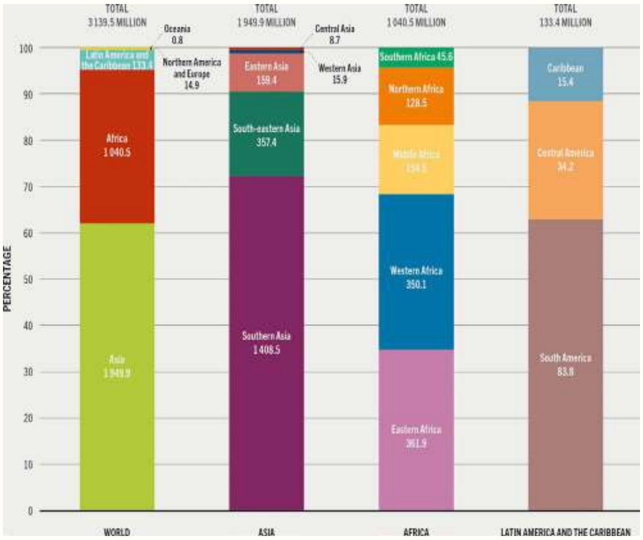

अफोर्डेबिलिटी में वृद्धि के कारण:

- भोजन, चारे और ईंधन की ऊंची कीमतों तथा वैश्विक महामारी से धीमी गति से उबरने का संयोजन अप्राप्यता में वृद्धि का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण रहा है।

स्वस्थ आहार के बारे में:

- खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, एक स्वस्थ आहार विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तथा सुरक्षित खाद्य पदार्थों से बना होता है जो स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए आवश्यक मात्रा में आहार ऊर्जा प्रदान करते हैं।

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के बारे में:

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
- मुख्यालय: रोम, इटली
- स्थापना: 16 अक्टूबर, 1945
- **उद्देश्य:** सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि लोगों को सक्रिय, स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुंच प्राप्त हो।
- **सदस्य:** 195 सदस्यों वाले इस समूह में 194 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। एफएओ दुनिया भर में 130 से अधिक देशों में काम करता है। भारत FAO का संस्थापक सदस्य है।

आगे की राह:

एशिया प्रशांत क्षेत्र में खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच समन्वित कार्यवाही की तत्काल आवश्यकता है। यदि इन लोगों को उचित आहार मिलेगा तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होगी। इन कार्यों से सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

6 चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्रसैट 2 किया लॉन्च

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने अफ्रीकी महाद्वीपीय देश मिस्र के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेसक्राफ्ट मिस्रसैट 2 (MisrSat 2) लॉन्च किया। इसे चीन के लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया।

पेसक्राफ्ट मिस्रसैट 2:

- गोबी मरुस्थल (Gobi Desert) के पास स्थित जिकुआन सेटेलाइट लांच सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है जो एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है।
- चीन ने मिस्र को सेटेलाइट असेंबली इंटीग्रेशन टेस्टिंग सेंटर के निर्माण में भी मदद किया है। चीन का मानना है कि यह मिस्र के साथ डीप हाई टेक एयरोस्पेस सहयोग को बढ़ावा देने वाली घटना साबित होगी।
- इस सेटेलाइट से कृषि क्षेत्र, राष्ट्रीय संसाधनों, शहरी नियोजन, तटीय परिवर्तन निगरानी आदि मामलों में मदद मिलेगी।
- चीन ने पिछले वर्ष घोषणा किया था कि चीन और मिस्र अपने हितों की रक्षा के लिए 'एक समान दृष्टिकोण और रणनीति' साझा करते हैं।

भारत-मिस्र संबंध:

- भारत मिस्र के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की नीति पर तेजी से कार्य कर रहा है। वेस्ट एशिया की राजनीति के विवादों के समाधान में मिस्र की भूमिका काफी प्रभावी रही है।
- जब से मिस्र को ब्रिक्स का नया सदस्य बनाने की घोषणा हुई है तब से चीन और भारत दोनों ही एक साथ बेहतर जुड़ाव के प्रयास कर रहे हैं।
- अफ्रीकी महाद्वीप में सामरिक आर्थिक पकड़ मजबूत बनाने में भारत और मिस्र दोनों के लिए समान रूप से लाभदायक है।
- भारत ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सिसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित

किया था। यह पहली बार था जब मिस्र के किसी राष्ट्रपति को यह सम्मान दिया गया।

- ➢ इसके अलावा भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त सैन्याभ्यास 'अभ्यास साइक्लोन' इसी साल 14 जनवरी, 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। इसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना था।

आगे की राह:

चीन की विस्तारवादी नीतियां एशिया और अफ्रीका सहित दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में बढ़ती जा रही है। चीन निवेश करने, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के नाम पर देशों को आकर्षित करता है और उन्हें डेट ट्रैप में फंसाता है जिससे सभी देशों को सावधान रहने की आवश्यकता है।

7 जेवियर माइली बने अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जेवियर माइली अर्जेंटीना के नये राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने कठोर आर्थिक सुधारों के वादे के अतिरिक्त स्थापित राजनीतिक अभिजात वर्ग को चुनौती देते हुए वामपंथी झुकाव वाले आर्थिक मंत्री सर्जियो मस्सा को हराया।

अर्जेंटीना की नई सरकार के नीतिगत प्रस्ताव:

- ➢ नई सरकार की नीति आमूल-चूल आर्थिक सुधारों और सत्ता-विरोधी रुख के इर्द-गिर्द घूमती है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को डॉलरीकृत करने का प्रस्ताव देकर अर्जेंटीना की उच्च मुद्रास्फीति (140% से अधिक) का मुकाबला करना है, साथ ही अर्थव्यवस्था के पांच प्रतिशत के बराबर पर्याप्त खर्च में कटौती लागू करना है।
- ➢ यह एक सीमित सरकार की वकालत करती है और निजी संपत्ति के सम्मान पर जोर देती है। इसने संघीय मंत्रालयों को 18 से घटाकर 10 करने का भी प्रस्ताव रखा है।
- ➢ इसके अलावा इसने राज्य के स्वामित्व वाले मीडिया का निजीकरण करने और व्यापार तथा मुद्रा नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य मुक्त-बाजार सिद्धांतों को बढ़ावा देकर वामपंथ के 'प्रचार तंत्र' को खत्म करना है।
- ➢ इसके राजनीतिक एजेंडे की विशेषता पारंपरिक आर्थिक नीतियों से मौलिक विचलन है जो सरकारी हस्तक्षेप को कम करने और मुक्त-बाजार सिद्धांतों को बढ़ावा देने के साथ उदारवादी आदर्शों की ओर झुकाव रखता है।

पेरोनिस्ट शासन क्या है?

- ➢ पेरोनिज्म एक आंदोलन है जो 20वीं सदी में अर्जेंटीना में उभरा जिसकी जड़ें सामाजिक न्याय में निहित हैं। यह राष्ट्रवाद और लोकलुभावनवाद का मिश्रण है। यह आंशिक रूप से श्रम सुधारों पर अधिक ध्यान देने वाले बेनिटो मोई के फासीवाद से प्रेरित है। इस आंदोलन का नाम जुआन पेरोन के नाम पर रखा गया है जो जस्टिसलिस्ट पार्टी के सदस्य थे तथा तीन बार अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुने गए। वर्ष 1974 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी इसाबेला और फिर 2005-2015 तक किरचनर्स ने पार्टी की विरासत संभाली।

आगे की राह:

नए राष्ट्रपति का चुनाव अर्जेंटीना के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा। यह चुनाव अर्जेंटीना के पारंपरिक पेरोनिस्ट शासन से अलग है और ऐतिहासिक रूप से पेरोनिज्म में डूबे हुए राष्ट्र में दक्षिणपंथी विचारधारा के उल्लेखनीय उदय का प्रतिनिधित्व करता है। इसके निहितार्थ न केवल घरेलू स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व छोड़ेंगे, बल्कि लैटिन अमेरिका के क्षेत्रीय नतीजों पर भी प्रभाव डालने का सामर्थ्य रखेंगे जहाँ फिलहाल 'पिंक टाइड' चल रही जो वामपंथी-झुकाव वाली सरकारों को चुनने वाले देशों का प्रतीक है।

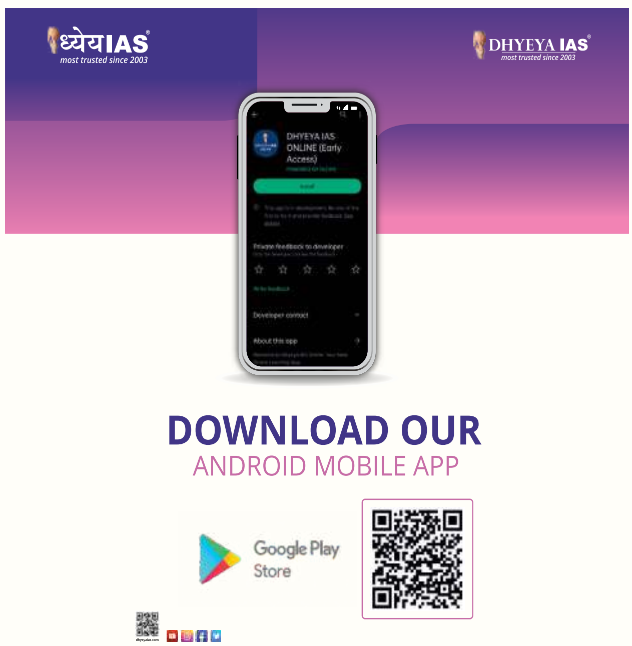

पर्यावरणीय मुद्दे

1 भूजल संसाधन आंकलन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2023 में पूरे देश के लिए गतिशील भूजल संसाधन आंकलन रिपोर्ट का अनावरण किया। यह केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य हितधारकों के बीच सूचित निर्णय लेने के लिए एक व्यापक अवलोकन प्रदान करना है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- राष्ट्र ने भूजल गतिशीलता में एक महत्त्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव की और बढ़ रहा है।
- कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) तक पहुंच गया जो पिछले वर्ष (2022) की तुलना में 11.48 बीसीएम की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।
- पूरे देश में वार्षिक भूजल निष्कर्षण 241.34 बीसीएम है जो देश के जल संसाधनों में एक संतुलन बनाए रखता है।
- 'अति-शोषित' इकाईयों की संख्या में कमी तथा स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं में सकारात्मक प्रगति का संकेत मिला है।
- देश भर में 6553 मूल्यांकन इकाईयों में से 4793 इकाईयों को प्रभावी जल संरक्षण उपायों को लागू करने के महत्त्व पर जोर देते हुए 'सुरक्षित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- भूजल निष्कर्षण का स्तर वर्तमान में 59.23% है जो संसाधन उपयोग के प्रति सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- रिपोर्ट भूजल पुनर्भरण में वृद्धि के लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराती है जिसमें नहरों से रिसाव में वृद्धि, सिंचाई जल का वापसी प्रवाह और जल निकायों, टैंकों तथा जल संरक्षण संरचनाओं से पुनर्भरण शामिल है।

जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें:

- **अटल भूजल योजना (अटल जल):** यह सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए विश्व बैंक की सहायता से 6000 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- **जल शक्ति अभियान (जेएसए):** इन क्षेत्रों में भूजल की स्थिति सहित पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए इसे 2019 में देश के 256 जल संकटग्रस्त जिलों में लॉन्च किया गया था।
- **जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम:** सीजीडब्ल्यूबी ने जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है।
- **कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत):** मिशन अमृत शहरों में बुनियादी शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे-जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, तूफान जल निकासी, हरित स्थान तथा पार्क और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन इत्यादि।

GROUNDWATER

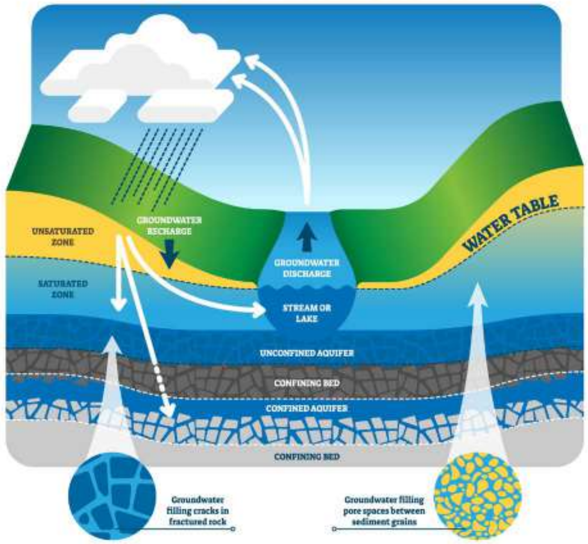

आगे की राह:

जल जीवन के लिए एक मूलभूत संसाधन है। भूजल भारत में विभिन्न क्षेत्रों की ताजा पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन बन गया है। इस दुर्लभ संसाधन का सतत विकास और कुशल प्रबंधन एक चुनौती बन गया है। भूजल लगातार भारत की कृषि और पेयजल सुरक्षा की रीढ़ बनकर उभरा है। भूजल का योगदान सिंचाई में लगभग 62%, ग्रामीण जल आपूर्ति में 85% और शहरी जल आपूर्ति में 50% है। इस प्रकार जल की सुरक्षा और संरक्षण सभी लोगों तथा सरकारों की राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए।

2 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक

चर्चा में क्यों?

इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत अपनी पिछली रैंकिंग को बेहतर करते हुए 7वें स्थान पर पहुंच गया है। जैसा कि दुबई में COP28 वैश्विक जलवायु वार्ता में अनावरण की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि देश अग्रणी सुधारों में से एक बना हुआ है।

सूचकांक में प्रकाशित प्रमुख बिन्दु:

- भारत लगातार पांचवें वर्ष सर्वोच्च प्रदर्शन करने वालों में शीर्ष 10 स्थान पर रहा जो कि 2014 में 31वें स्थान से 2023 में 7वें स्थान पर एक महत्त्वपूर्ण सुधार है। जी20 देशों में भी भारत सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है।
- केवल तीन देश (डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस) भारत से ऊपर हैं क्योंकि कोई भी देश सीसीपीआई पर सही स्कोर हासिल करने के लिए सभी चार मूल्यांकन श्रेणियों में पर्याप्त अच्छा प्रदर्शन

नहीं करता है।

- चीन, जो सबसे बड़ा वर्तमान प्रदूषक है, इस वर्ष 51वें स्थान पर है जबकि अमेरिका, दूसरा सबसे बड़ा वर्तमान प्रदूषक और सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रदूषक, ने 57वां स्थान हासिल किया है।
- COP28 की मेजबानी कर रहे संयुक्त अरब अमीरात को 65वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि एक अन्य महत्त्वपूर्ण तेल उत्पादक देश सऊदी अरब CCPI में अंतिम स्थान पर रहा। जर्मनी (एक प्रमुख ऐतिहासिक उत्सर्जक) 14वें स्थान पर और यूके 20वें स्थान पर रहा है।

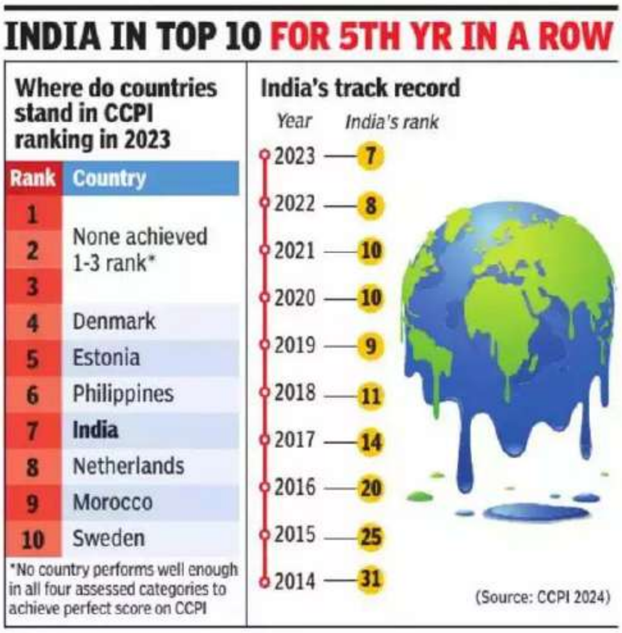

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में:

- जर्मन पर्यावरण और विकास संगठन, जर्मनवॉच ने वैश्विक जलवायु राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक स्कोरिंग तंत्र के रूप में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) तैयार किया है।
- यह यूरोपीय संघ के साथ-साथ 63 देशों के जलवायु प्रयासों का मूल्यांकन और तुलना करने के लिए सुसंगत ढांचे को नियोजित करके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीतियों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है जिसमें दुनिया भर में 90% से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन शामिल है।
- जलवायु संरक्षण प्रदर्शन के मूल्यांकन में चार प्रमुख क्षेत्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (कुल स्कोर का 40%), नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना (20%), ऊर्जा खपत (20%) और जलवायु नीति कार्यान्वयन (20%) शामिल हैं।

आगे की राह:

हालाँकि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। प्रति व्यक्ति जीएचजी श्रेणी में, देश 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के बेंचमार्क को पूरा करने की राह पर है, फिर भी जीएचजी उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में इसका उच्च प्रदर्शन, जलवायु नीति तथा नवीकरणीय ऊर्जा की अन्य दो श्रेणियों में इसके प्रदर्शन से मेल नहीं खाता है। भारत नवीकरणीय श्रेणी की हिस्सेदारी में सकारात्मक रुझान दिखाता है, लेकिन इसका प्रदर्शन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।

3 भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणीकरण योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू किया है।

योजना का उद्देश्य:

- भारत में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।
- सतत वन प्रबंधन में भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए वन संसाधनों का जिम्मेदार और संतुलित उपयोग शामिल है।
- कृषि वानिकी एक भूमि-उपयोग प्रणाली है जो भूमि के एक ही टुकड़े पर पेड़ों या झाड़ियों को फसलों या पशुधन के साथ एकीकृत करती है। यह पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि तथा वानिकी प्रथाओं को जोड़ता है।

योजना के बारे में:

- यह राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना देश में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करती है।
- इस योजना में वन प्रबंधन प्रमाणीकरण, वन प्रबंधन प्रमाणन के बाहर पेड़ और हिरासत प्रमाणीकरण की श्रृंखला शामिल है।
- भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना उन विभिन्न संस्थाओं को बाजार प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है जो अपने संचालन में जिम्मेदार वन प्रबंधन तथा कृषि वानिकी प्रथाओं का पालन करते हैं। इसमें राज्य वन विभाग, व्यक्तिगत किसान या कृषि वानिकी और कृषि वानिकी में लगे किसान उत्पादक संगठन, साथ ही मूल्य श्रृंखला में अन्य लकड़ी-आधारित उद्योग शामिल हैं।
- वन प्रबंधन प्रमाणन, भारतीय वन प्रबंधन मानक पर आधारित है जिसमें 8 मानदंड, 69 संकेतक और 254 सत्यापनकर्ता शामिल हैं जो इस वर्ष की शुरुआत में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2023 का एक अभिन्न अंग है।
- वनों के बाहर एक अलग पेड़ मानक, अब नई लॉन्च की गई भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के एक भाग के रूप में पेश किया गया है।

क्रियान्वयन एजेंसी:

- भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना की देखरेख भारतीय

वन तथा लकड़ी प्रमाणन परिषद द्वारा की जाएगी जो एक बहुहित धारक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी। परिषद का प्रतिनिधित्व प्रतिष्ठित संस्थानों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (भोपाल) योजना संचालन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और भारतीय वन तथा लकड़ी प्रमाणन योजना के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।

ऑडिट एजेंसी:

- भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाणन निकायों को मान्यता देगा जो स्वतंत्र ऑडिट करेगा और योजना के तहत निर्धारित मानकों पर विभिन्न संस्थाओं के पालन का आंकलन करेगा।

आगे की राह:

भारत दुनिया में लकड़ी का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत अपनी अधिकांश लकड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम को निर्यात करता है। चूंकि कई विकसित देशों ने गैर-प्रमाणित लकड़ी के आयात पर व्यापार प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए पश्चिमी बाजारों तक उनकी पहुंच बढ़ाने में वन प्रमाणीकरण एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।

4 मल्टी-हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम

चर्चा में क्यों?

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनडीआरआर) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने 'द ग्लोबल स्टेट ऑफ मल्टी-हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स 2023' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु:

- रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अब और अधिक जिंदगियां अर्ली वार्निंग सिस्टम से बच रही हैं, लेकिन विश्व में मल्टी-हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की कमी अभी भी बरकरार है।
- अफ्रीका ने अर्ली वार्निंग सिस्टम की गुणवत्ता की जानकारी दी है लेकिन फिर भी यह वैश्विक औसत से नीचे है, वहीं दूसरी ओर आधे से कम विकसित देशों और केवल 40% छोटे द्वीपों वाले पूर्वोत्तर राज्यों के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अरब राज्य में प्रारंभिक समुद्री शैवाल को मजबूत करने के लिए जोखिम ज्ञान विशेष रूप से कम पाया गया।
- रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि पिछले साल की तुलना में छह और देशों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम की जानकारी दी है जिससे ऐसे देशों की कुल संख्या 101 हो गई है। 2015 के बाद से ये संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं। मालदीव, लाओस और इथियोपिया के पास अब समर्पित राष्ट्रीय कार्य तथा संरचनाएँ हैं। बेनिन ने सबसे अधिक जोखिम वाले नेटवर्क तक पहुँचने के लिए संचार को मजबूत किया है। पूरी आबादी के लगभग 10 लाख लोगों की सुरक्षा के लिए फिजी की अचानक बाढ़ की चेतावनी को मजबूत किया गया है।

भारतीय संदर्भ:

- रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत में आपदा जोखिम ज्ञान और प्रबंधन, चेतावनी, प्रसार तथा संचार सामर्थ्य नहीं है। हालांकि तैयारी, प्रतिक्रिया क्षमताएं और पता निर्धारण, पर्यवेक्षण तथा क्षेत्र क्षमताएं उपलब्ध हैं।
- रिपोर्ट में 2020 में बांग्लादेश में आई बाढ़ और 2019 में भारत में समुद्री तूफान अम्फान तथा पश्चिम बंगाल में हुई तबाही का विवरण किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वोत्तम और प्रारंभिक कार्यवाही की सक्रियता के कारण ही आपदा प्रभावों को कम किया जा सकता है।

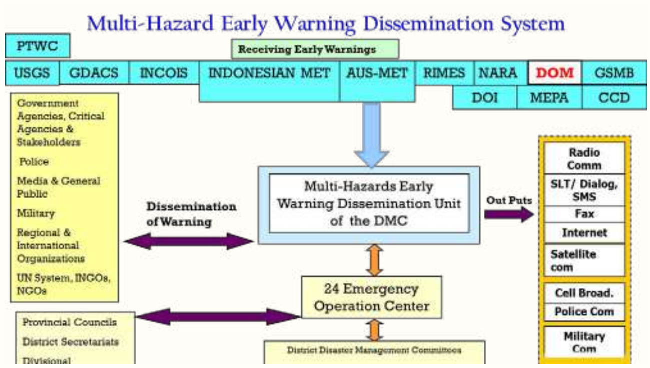

अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है?

- अर्ली वार्निंग सिस्टम तूफान, सुनामी, सूखा और हीटवेव जैसे विभिन्न आपदा संकेत की पूर्व सूचना प्रदान करते हैं तथा लोग और संपत्ति नुकसान को प्रभावी ढंग से कम करते हैं।
- दूसरी ओर माल्टी-हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम विशेष रूप से कई आदर्शों से निक्षेपित हैं। हालाँकि कई प्रणालियाँ विशिष्ट आपदा, जैसे कि बाढ़ आदि पर ही ध्यान केंद्रित होती हैं।

आगे की राह:

जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही गंभीर मौसम की घटनाओं को देखते हुए मल्टी-हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम में निवेश की आवश्यकता में तेजी से वृद्धि हुई है। ये प्रणालियाँ न केवल लोगों को आपदाओं से उत्पन्न होने वाले प्रभावों के बारे में सचेत करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, बल्कि इसके बाद होने प्रभावों को भी दर्शाती हैं, जैसे कि भूकंप के बाद मिट्टी का द्रवीकरण, घनत्व तथा तीव्र वर्षा के कारण होने वाली बीमारी का प्रकोप आदि हैं।

5 सीओपी-28 सम्मेलन सम्पन्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के लिए पार्टियों का 28वां सम्मेलन (COP-28) दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ।

कॉप-28 सम्मेलन के मुख्य बिन्दुः

- इसमें सदस्य देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे देशों को मुआवजा देने हेतु हानि और क्षति (L-D) फंड को संचालित करने के लिए एक समझौते पर सहमति बनी।
- यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते के अनुरूप, विश्व बैंक चार वर्षों के लिए फंड का अंतरिम मेजबान होगा। सभी विकासशील देश आवेदन करने के पात्र हैं और प्रत्येक देश को स्वेच्छा से योगदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अल्प विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों के लिए एक विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
- ग्लोबल स्टॉकटेक (जीएसटी) का पांचवां संस्करण COP28 में जारी किया गया और बिना किसी आपत्ति के अपनाया गया। ग्लोबल स्टॉकटेक (जीएसटी) 2015 में पेरिस समझौते के तहत स्थापित एक आवधिक समीक्षा तंत्र है। इसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखना प्रमुख चुनौती है।
- भारत सहित कई देश मीथेन उत्सर्जन में कटौती के किसी भी आदेश का विरोध कर रहे हैं जिसका प्रमुख स्रोत कृषि और पशुधन है। मीथेन उत्सर्जन के कटौती में कृषि पैटर्न में बदलाव शामिल है जो भारत जैसे देश में बेहद संवेदनशील हो सकता है।
- कई विकासशील देशों ने नकारात्मक कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए 2050 तक शुद्ध शून्य का लक्ष्य रखा है। वे जलवायु परिवर्तन से निपटने में सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों पर जोर देते हैं। विकासशील देशों ने तर्क दिया कि अमीर देश जो वैश्विक कार्बन बजट का 80% से अधिक उपभोग करते हैं, उन्हें विकासशील देशों को भविष्य के उत्सर्जन का उचित हिस्सा देना चाहिए।
- 66 राष्ट्रीय सरकार के हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक 2022 के स्तर के सापेक्ष वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में शीतलन-संबंधित उत्सर्जन को कम से कम 68% कम करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसे वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा कहा जाता है।
- अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (जीजीए) पर मसौदा पेश किया गया था। इसकी स्थापना पेरिस समझौते के तहत 1.5/2°C लक्ष्य के संदर्भ में देशों की अनुकूलन आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता और वित्तपोषण बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को बढ़ाने के लिए की गई थी।

कॉप-28 में भारत के नेतृत्व वाली पहलः

वैश्विक नदी शहर गठबंधन (जीआरसीए):

- इसे भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के नेतृत्व में सीओपी 28 में लॉन्च किया गया था।
- जीआरसीए एक अनूठा गठबंधन है जो 11 देशों के 275+ वैश्विक नदी-शहरों को कवर करता है।
- जीआरसीए मंच ज्ञान के आदान-प्रदान, नदी-शहर के जुड़ाव और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगा।

हरित ऋण पहलः

- भारत ने नवीन पर्यावरण कार्यक्रमों और उपकरणों के आदान-प्रदान के लिए एक सहभागी वैश्विक मंच बनाने हेतु COP-28 में ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की गई।

आगे की राहः

इस पहल का मुख्य उद्देश्य बड़े निगमों और निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करके वृक्षारोपण, जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि तथा अपशिष्ट प्रबंधन जैसी स्वैच्छिक पर्यावरणीय गतिविधियों को बढ़ावा देना है जिससे देश के सामने आने वाले जलवायु मुद्दों में बदलाव लाया जा सके।

6 वैश्विक सूखा स्नैपशॉट रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय ने इंटरनेशनल ड्रॉट रेसिलिएंस एलायंस' (आईडीआरए) के सहयोग द्वारा 'वैश्विक सूखा स्नैपशॉट' रिपोर्ट सीओपी 28, दुबई में जारी किया।

रिपोर्ट की प्रमुख बातेंः

सूखे की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरताः

- चीन की 15-20% आबादी लगातार मध्यम से गंभीर सूखे का सामना कर रही है।
- दिसंबर 2022 में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 23 मिलियन लोग गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित थे।
- संयुक्त राज्य अमेरिका का 5% हिस्सा मई 2023 में गंभीर से अत्यधिक सूखे से पीड़ित था।
- 2022 में ब्राजील-अर्जेंटीना के ला प्लाटा बेसिन में गंभीर सूखा पड़ने से फसल उत्पादन और वैश्विक बाजार प्रभावित होंगे।
- 170 मिलियन लोगों को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 3°C तापमान वृद्धि के साथ अत्यधिक सूखे का अनुभव होने की आशंका है।

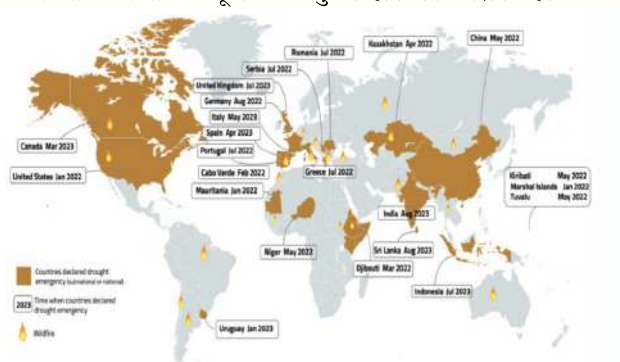

कृषि और वनों पर सूखे का प्रभावः

- सूखे के कारण भूमध्य सागर में 70% अनाज की फसलें नष्ट हो गई, जबकि दक्षिण अफ्रीका में 33% चरागाह भूमि नष्ट हो गई।
- वर्तमान जोखिम की तुलना में 3°C वार्मिंग के तहत भूमध्य सागर में अधिक वन हानि हुई।
- हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लगातार पांच बार वर्षा की विफलता के कारण गंभीर सूखा पड़ा और कृषि उत्पादकता में कमी आई। पिछले

50 वर्षों में अफ्रीका का सूखे से संबंधित आर्थिक नुकसान 70 अरब डॉलर रहा है।

- अर्जेंटीना के सोयाबीन उत्पादन में 44% की गिरावट की उम्मीद है जिससे 2023 के लिए अर्जेंटीना की जीडीपी में 3% की गिरावट होने की संभावना है।

पानी की स्थिति:

- नदी के निम्न स्तर के कारण राइन पर कार्गो क्षमता में 75% की कमी आना।
- यांग्त्जी नदी में रिकॉर्ड निम्न जल स्तर से दक्षिणी चीन में 5 मिलियन लोगों का प्रभावित होना।
- मिसिसिपी नदी पर नौकाओं के बैकलॉग के कारण आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न होना जिससे 20 बिलियन डॉलर की आर्थिक क्षति होना।

सामाजिक आयाम:

- सूखे से प्रभावित 85% लोग निम्न या मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं।
- मध्य अमेरिकी ड्राई कॉरिडोर में 1.2 मिलियन लोगों को लंबे समय तक सूखे, लू और अप्रत्याशित वर्षा के बाद खाद्य सहायता की आवश्यकता है।

उपाय:

- भूमि को बहाल करने जैसे प्रकृति-आधारित समाधान CO_2 उत्सर्जन के 25% तक की भरपाई कर सकते हैं।
- यदि उपभोग किए जाने वाले आधे मांस और डेयरी उत्पादों को स्थायी विकल्पों से बदल दिया जाए, तो कृषि के लिए वैश्विक भूमि रूपांतरण लगभग 100% कम हो सकता है।
- पारंपरिक स्प्रिंकलर सिस्टम से सूक्ष्म सिंचाई पर स्विच करने से संभावित रूप से पानी की बर्बादी को 20 से 50% तक कम किया जा सकता है।
- 2020 में वैश्विक आपदा-संबंधी नुकसान का 45% बीमा किया गया था, लेकिन कई विकासशील देशों में अभी भी आपदाओं के लिए कम बीमा कवरेज है।

आगे की राह:

रिपोर्ट सूखे से निपटने के लिए वैश्विक कार्यवाही की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। भूमि बहाली, टिकाऊ कृषि पद्धतियों, कुशल जल प्रबंधन और मजबूत आपदा तैयारियों की आवश्यकता पर जोर देते हुए यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा बाध्यकारी समझौतों की आवश्यकता पर बल देती है। जलवायु-प्रेरित अकाल, जबरन प्रवास, बढ़ते जल संघर्ष और तेजी से पारिस्थितिक गिरावट, ग्रहों की सीमाओं का सम्मान करने तथा सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय उपाय करने के महत्त्व पर भी यह रिपोर्ट प्रकाश डालती है।

7 प्रशांत महासागर में नये ब्लू ड्रैगन की खोज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शोधकर्ताओं ने जापान में प्रशांत महासागर में ब्लू ड्रैगन नाम के एक नए मोसासौर का पता लगाया है। यह उसी आकार की बड़ी सफेद शार्क है जो 72 मिलियन वर्ष पुरानी है। यह प्राचीन समुद्री शिकारी (जिसे जापानी नाम वाकायामा सरयू दिया गया है) प्रशांत महासागर के प्रागैतिहासिक समुद्रों में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

ब्लू ड्रैगन के बारे में:

- वाकायामा सरयू 2006 में अरिदगावा नदी के किनारे वाकायामा प्रान्त में पाया गया था। यह अपने असाधारण आकार और अद्वितीय भौतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है।
- शोध में कहा गया है कि मोसासौर पूर्व क्रेटेशियस काल का एक विलुप्त बड़ा समुद्री सरीसृप था। इसका नाम जापान के वाकायामा प्रान्त पर रखा गया है। यहीं पर इसका जीवाश्म मिला था।

मोसासौर के बारे में:

- यह बड़े शिकारी समुद्री सरीसृपों का एक समूह था जो 90 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व क्रेटेशियस युग के दौरान दुनिया के सभी महासागरों में पाया जाता था।
- ये सांपों और मॉनिटर छिपकलियों से संबंधित हैं जो उस समय के कुछ सबसे बड़े समुद्री जीव तथा कुछ सबसे बड़े शिकारी सरीसृपों में से एक थे।
- वे पानी की सतह के पास रहते थे और हवा में सांस लेते थे।
- 66 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस अवधि के अंत में बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के दौरान, डायनासोर और कई अन्य जानवरों के साथ ये भी मर गए थे।

विशेषताएँ:

- ये मांसाहारी थे।
- मोसासौर प्रजाति की लंबाई अलग-अलग थी। इसमें से कुछ की लंबाई 50 फीट से भी अधिक थी।
- खोपड़ी की संरचना आधुनिक मॉनिटर छिपकलियों से काफी मिलती-जुलती थी जिनसे मोसासौर संबंधित हैं।
- उनके पास हाथ और पैरों के लिए फ्लिपर जैसे पैडल तथा एक टेल फिन था।
- वे मुख्य रूप से अपनी पूंछ पर बड़े पंख को अगल-बगल घुमाकर खुद को आगे बढ़ाते थे।
- वे चिकने शल्कों से ढके हुए थे जिनका रंग बहुत गहरा था।

आगे की राह:

वाकायामा सरयू जीवाश्म नमूना जापान या उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में अब तक खोजा गया सबसे पूर्ण मोसासौर कंकाल है। वाकायामा सरयू के पास विशिष्ट विशेषताएं थीं जो आसान वर्गीकरण को चुनौतीपूर्ण बनाती थीं। विशेषज्ञों के अनुसार, जानवरों में मगरमच्छ जैसा सिर और बड़े के आकार के फ्लिपर्स थे। इसके पिछले फ्लिपर्स इसके फ्रंट फ्लिपर्स से भी बड़े थे।

1 विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में WHO ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 जारी किया जिसमें 2022 में अनुमानित 249 मिलियन मामलों के साथ मलेरिया के मामलों में वैश्विक वृद्धि का खुलासा किया गया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- वर्ष 2000 से 2019 के बीच वैश्विक मलेरिया के मामले 243 मिलियन से घटकर 233 मिलियन हो गए। हालाँकि 2020 में 11 मिलियन मामलों की वृद्धि हुई। ये मामले 2021 में स्थिर रहे जबकि 2022 में 50 लाख की वृद्धि के बाद 249 मिलियन हो गए।
- मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या भी महामारी-पूर्व स्तर से अधिक रही। वर्ष 2019 में 576,000 मामलों की तुलना में 2022 में 608,000 मौतें हुईं।
- अनुमानित 33.8 लाख मामलों और 5,511 मौतों के साथ भारत में पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में मलेरिया की घटनाओं में 30 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में 34 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

भारत के संदर्भ में रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु:

- भारत की गिरावट की प्रवृत्ति दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में परिलक्षित हुई जो मामलों और मौतों को 90 प्रतिशत तक कम करने के 2030 लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर अग्रसर है।
- भारत में पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में मलेरिया के मामलों में 30% की गिरावट और मौतों में 34% की गिरावट देखी गई जो वैश्विक स्तर पर मलेरिया के कुल मामलों का 1.4% है।

जलवायु परिवर्तन और मलेरिया:

- वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार जलवायु परिवर्तन और मलेरिया के बीच समानता दर्शाते हुए बताया गया कि जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर मलेरिया फैलने की भौगोलिक स्थिति को बढ़ा सकता है। चूंकि जलवायु परिवर्तन अक्सर तापमान में वृद्धि से जुड़ा होता है तथा मलेरिया परजीवी और मच्छर दोनों तापमान की आर्द्रता व वर्षा के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए बीमारी की पहुंच बढ़ाने वाले नए क्षेत्र उभर सकते हैं।
- इस स्थिति का सबसे अच्छा उदाहरण पाकिस्तान को लिया जा सकता है जहां 2022 में वैश्विक स्तर पर दर्ज किए गए पांच मिलियन अतिरिक्त मलेरिया मामलों में से लगभग आधे (2.1 मिलियन) मुख्य रूप से अत्यधिक बाढ़ के कारण थे।
- जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य देखभाल और समय पर उपचार तक पहुंच भी कम होती है जो अप्रत्यक्ष रूप से बीमारी के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है।

आगे की राह:

मलेरिया की रोकथाम में भारत का प्रदर्शन अच्छा माना जाता है। हालांकि दवा प्रतिरोध, कीटनाशक प्रतिरोध और परजीवियों में जीन विलोपन जैसे मुद्दे अभी भी हैं जो निदान को कठिन बनाते हैं तथा 2030 तक उन्मूलन के लक्ष्य में बाधा बन सकते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के मार्गदर्शन के अनुरूप राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय जरूरतों के अनुसार नीतियों को अद्यतन करना तथा नए उपकरण अपनाना समय की मांग है।

2 एन्थ्रोबोट्स (Anthrobots)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक लघु रोबोट विकसित किया है जो प्रयोगशाला सेटिंग के भीतर न्यूरॉन्स को चलाने और ठीक करने में सक्षम है। इसे एन्थ्रोबोट नाम दिया गया है।

एन्थ्रोबोट्स क्या है?

- एन्थ्रोबोट मानव श्वासनली कोशिकाओं से बने बायोरोबोट हैं जिनमें खुद को विभिन्न रूपों और आयामों में बदलने की क्षमता के साथ स्वयं-संयोजन क्षमताएं होती हैं।
- एन्थ्रोबोट्स ने क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने की आश्चर्यजनक क्षमता प्रदर्शित की है जो पुनर्योजी चिकित्सा, घाव भरने और रोग उपचार के लिए एक आशावादी संकेत है। वे किसी आनुवंशिक संशोधन की आवश्यकता के बिना इस मरम्मत कार्य को करने में सक्षम थे।

बायोरोबोट्स और उनकी भविष्य की संभावनाएं:

- बायोरोबोट एक सूक्ष्म प्रोग्रामयोग्य जीव है जिसे कुछ वांछित कार्य करने के लिए प्रयोगशाला में विभिन्न जैविक ऊतकों को मिलाकर बनाया जाता है। हालाँकि ये रोबोट हैं, जीव हैं या कुछ और, यह वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय बना हुआ है।
- बायोरोबॉट्स के शुरुआती रूपों में जेनोबोट्स, भ्रूण मेंढक कोशिकाओं का उपयोग करके विकसित किए गए थे। हालाँकि उनका अनुप्रयोग सीमित था क्योंकि उन्हें वांछित आकार में मैन्युअल रूप से तराशना पड़ता था। उस समय, यह ज्ञात नहीं था कि क्या ये क्षमताएं उभयचर भ्रूण से प्राप्त होने पर निर्भर थीं या क्या 'बायारोबोट' का निर्माण अन्य प्रजातियों की कोशिकाओं से किया जा सकता था?
- बिना किसी आनुवंशिक संशोधन के, जेनोबोट्स के साथ देखी गई

क्षमताओं से परे क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए वर्तमान अध्ययन से पता चला है कि बायोरोबॉट्स वास्तव में वयस्क मानव कोशिकाओं से बनाए जा सकते हैं।

भविष्य की संभावनाएँ:

- एन्थ्रोबोट्स व्यक्तिगत चिकित्सा के निर्माण में सहायता करके चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी व्यक्ति के स्वयं के ऊतकों का उपयोग करके बनाए गए एन्थ्रोबोट जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ या उसके बिना भी दवाएं पहुंचाने, म्यूकस को तोड़ने, धमनियों को साफ करने आदि में सहायता कर सकते हैं।
- कई प्रकार की कोशिकाओं को मिलाकर और अन्य उत्तेजनाओं की खोज करके टिकाऊ निर्माण और बाहरी अंतरिक्ष अन्वेषण में संभावित अनुप्रयोगों के लिए बायोरोबोट विकसित करना भी संभव हो सकता है।
- वे यह समझने में भी मदद कर सकते हैं कि प्राकृतिक शरीर की योजनाएँ कैसे बनती हैं? जीनोम और पर्यावरण ऊतकों, अंगों तथा अंगों को बनाने के लिए कैसे मिलकर काम करते हैं और पुनर्योजी उपचारों के साथ उन्हें कैसे पुनर्स्थापित किया जाता है?

आगे की राह:

शरीर के बाहर एन्थ्रोबोट्स केवल बहुत विशिष्ट प्रयोगशाला स्थितियों में ही जीवित रह सकते हैं जिसके कारण इनका प्रयोगशाला के बाहर जोखिम या अनपेक्षित प्रसार का कोई जोखिम नहीं है। इसके अलावा वे पुनरुत्पादन नहीं करते हैं जिनमें कोई आनुवंशिक संपादन, परिवर्धन या विलोपन नहीं होता है, इसलिए इनका मौजूदा सुरक्षा उपायों से परे विकसित होने का कोई जोखिम नहीं है।

3 व्हाइट लंग सिंड्रोम

चर्चा में क्यों?

चीन में बच्चों में मिस्ट्री निमोनिया (जिसे सफेद फेफड़े की बीमारी भी कहा जाता है) का प्रसार देखा गया था। यह बीमारी हाल ही में अमेरिका के ओहियो में सामने आई है जिससे बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले बढ़ गए हैं।

व्हाइट लंग (Lung) सिंड्रोम क्या है?

- व्हाइट लंग सिंड्रोम शब्द रहस्यमय श्वसन रोग का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया है जो उन रोगियों में देखा गया था जिनमें निमोनिया जैसे लक्षण थे। इसे विभिन्न श्वसन संबंधी बीमारियों का संयोजन माना जाता है जिसमें इन्फ्लूएंजा, SARS-CoV-2, रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल और माइकोप्लाज्मा निमोनिया शामिल हैं।
- इस बीमारी की विशेषता पूरे फेफड़ों पर सफेद धब्बे का विकसित होना है। एक्स-रे या सीटी स्कैन छवियों पर फेफड़े काले दिखाई देते हैं जो फेफड़ों में हवा की उपस्थिति का संकेत देते हैं। जब भी फेफड़ों में सूजन होती है या तरल पदार्थ का निर्माण होता है, तो फेफड़े सफेद दिखाई देते हैं जो वायु की थैलियों को प्रतिबंधित करते हैं। बैक्टीरिया या वायरस के कारण होने वाला संक्रमण ऐसे सफेद धब्बों की उपस्थिति का कारण हो सकता है।
- 'व्हाइट लंग सिंड्रोम' कोई वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है, बल्कि सतर्कता के कारण दिया गया एक बोलचाल का नाम है। जब कोई किसी फ्लू से पीड़ित हो, तब भी फेफड़ों के एक्स-रे में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं।

लक्षण:

- इसके लक्षणों में खांसी, थकान, गले में खराश, आंखों से पानी आना और बुखार शामिल हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी उल्टी और दस्त जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं।

इलाज:

- फिलहाल इस बीमारी का इलाज लक्षणों पर आधारित है जिसका ध्यान निमोनिया से निपटने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि मरीज का श्वसन स्वास्थ्य स्थिर रहे। व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को उचित स्वच्छता सुनिश्चित करनी चाहिए जैसे-हाथ धोना, शारीरिक दूरी बनाए रखना, खांसने पर मुंह ढंकना और बीमारी की स्थिति में घर पर रहना इत्यादि।

आगे की राह:

उत्तरी चीन और अमेरिका के ओहायो में व्हाइट लंग सिंड्रोम के प्रकोप ने हालांकि कोविड-19 के बाद एक नई महामारी के खतरे की अटकलें लगा दी हैं, लेकिन यह कोई नया संक्रमण या रोगजनक नहीं है जैसा कि गलती से माना जा रहा है। यह एक वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण का लक्षणात्मक संकेत है जिसके लिए एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा लंबे समय तक कोविड लॉकडाउन, सामाजिक दूरी और घर पर रहने की दिनचर्या ने बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित किया है जिससे वे मौसमी संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं।

4 सिकल सेल रोग के लिए जीन थेरेपी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सिकल सेल रोग के लिए दो जीन थेरेपी को मंजूरी दी है जिसमें सीआरआईएसपीआर जीन संपादन तकनीक पर आधारित पहला उपचार भी शामिल है।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी:

- नियामक एजेंसी ने ब्लूबर्ड बायो की लिफजेनिया और पार्टनर्स वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स तथा सीआरआईएसपीआर थेरेप्यूटिक्स की कैसजेवी को मंजूरी प्रदान की है। दोनों उपचारों को 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भी मंजूरी मिल गई है।
- ब्लूबर्ड बायो की सिकल सेल थेरेपी को रोगी की लाल रक्त कोशिकाओं को सामान्य हीमोग्लोबिन का उत्पादन करने में मदद करने के लिए अक्षम वायरस के माध्यम से शरीर में संशोधित जीन डालकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- वर्टेक्स की चिकित्सा के लिए रोगियों की अस्थि मज्जा से स्टेम कोशिकाएं प्राप्त की जाती हैं, फिर उन कोशिकाओं को विनिर्माण

सुविधाओं में भेजा जाता है जहां उन्हें CRISPR/Cas9 तकनीक का उपयोग करके संपादित किया जाता है। एक बार जब कोशिकाएं ऊष्मायन हो जाती हैं, तो उन्हें एक महीने तक अस्पताल में रहने के दौरान रोगी में वापस डाल दिया जाता है।

सिकल सेल रोग क्या होता है?

- सिकल सेल रोग एक दर्दनाक एवं वंशानुगत रक्त विकार है जो व्यक्ति को दुर्बल कर सकता है और समय से पहले मौत का कारण बन सकता है। सिकल सेल रोग में असामान्य, सिकल के आकार के हीमोग्लोबिन का उत्पादन शामिल होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन के प्रभावी परिवहन में बाधा डालता है।
- इन सिकल कोशिकाओं की एक साथ एकत्रित होने की प्रवृत्ति छोटी रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप गंभीर दर्द और स्ट्रोक तथा अंग विफलता जैसी संभावित जटिलताएं हो सकती हैं।
- सिकल सेल रोग के लिए एकमात्र दीर्घकालिक उपचार विकल्प अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण है।

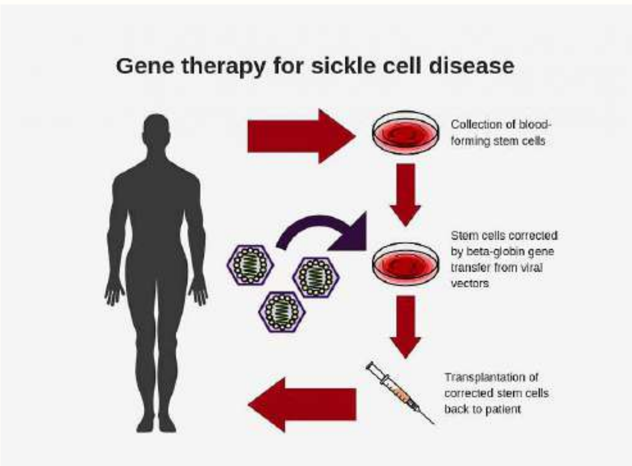

भारत में सिकल सेल रोग:

- इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वंशानुगत रक्त विकार सिकल सेल एनीमिया (एससीए) का जिक्र किया। उन्होंने 'मिशन मोड' के रूप में वर्णित समर्पित प्रयासों के माध्यम से 2047 तक इस स्थिति को सक्रिय रूप से संबोधित करने और समाप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
- सिकल सेल एनीमिया (एससीए) से पीड़ित जन्मों की अनुमानित संख्या के मामले में भारत दूसरे सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में है। अध्ययनों और स्क्रीनिंग पहलों से पता चला है कि रक्त विकार (जिसे हीमोग्लोबिनोपैथी के रूप में जाना जाता है) भारत में आदिवासी आबादी के बीच अधिक प्रचलित है।

आगे की राह:

आनुवंशिक उपचार यद्यपि कई बीमारियों का इलाज करने का वादा करते हैं, लेकिन वे अभी भी उपचार के नए दृष्टिकोण हैं और उनमें जोखिम भी हो सकते हैं। हालांकि इन उपचारों को एकल-खुराक उपचारों के रूप में विपणन किया गया है, फिर भी उनकी प्रभावशीलता की अवधि पर सीमित डेटा उपलब्ध है। दोनों जीन थेरेपी में महीनों तक चलने वाली लंबी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिसमें बांझपन के संभावित जोखिम वाली उच्च खुराक वाली कीमोथेरेपी शामिल होती है। हालाँकि प्रजनन संरक्षण के तरीके मौजूद हैं, लेकिन यह काफी महँगे साबित होते हैं।

5 कैंसर रोधी दवा (मेथोट्रेक्सेट)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत एक स्वायत्त संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईएएसएसटी) के शोधकर्ताओं ने सफलतापूर्वक एक अत्यधिक फ्लोरोसेंट सामग्री बनाई है। यह सामग्री विशेष रूप से कैंसर रोधी दवा मेथोट्रेक्सेट (Methotrexate) का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए एक अभिनव दृश्य संवेदी मंच के रूप में कार्य करती है।

मेथोट्रेक्सेट (MTX) के बारे में:

- **एंटीमेटाबोलाइट क्लास:** मेथोट्रेक्सेट (एमटीएक्स) एंटीमेटाबोलाइट्स नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है।
- **चिकित्सा अनुप्रयोग:** एमटीएक्स का उपयोग विभिन्न चिकित्सीय स्थितियों के उपचार में किया जाता है जिसका प्राथमिक ध्यान कैंसर, ऑटोइम्यून बीमारियों और विशिष्ट सूजन संबंधी स्थितियों पर होता है।
- **संभावित खतरे:** एमटीएक्स के उपयोग का एक महत्त्वपूर्ण पहलू रक्त प्लाज्मा की अधिक मात्रा से जुड़ा संभावित जोखिम है। यदि दवा 10 घंटे से अधिक समय तक सिस्टम में रहती है, तो इससे विषाक्तता, फेफड़ों पर असर, पेट में अल्सर और यहां तक कि दिल के स्ट्रोक के खतरे में योगदान जैसे खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं।

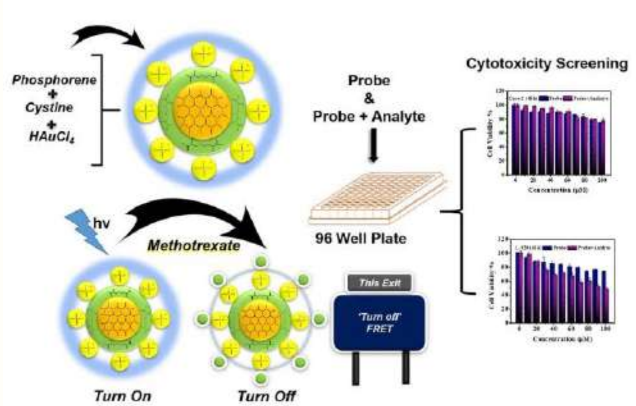

MTX स्तरों की निगरानी का महत्त्व:

- गंभीर दुष्प्रभाव पैदा करने की क्षमता के कारण शरीर में एमटीएक्स के स्तर की निगरानी करना महत्त्वपूर्ण है।

- रक्त प्लाज्मा में 10µM से अधिक का MTX मान खतरनाक हो जाता है, यदि यह 10 घंटे से अधिक समय तक बना रहता है जिससे फेफड़े, पेट और हृदय जैसे महत्त्वपूर्ण अंगों पर जहरीला प्रभाव पड़ता है।

जांच में चुनौतियाँ:

- अवांछित एमटीएक्स ओवरडोज का पता लगाने के पारंपरिक तरीकों में समय लगता है जिसमें जटिल उपकरण शामिल होते हैं।
- एमटीएक्स की उच्च लागत तथा अधिक मात्रा के जीवन-घातक परिणामों को देखते हुए तेज और संवेदनशील पहचान पद्धतियों की तत्काल आवश्यकता है।

Ph-Cys-Au फ्लोरोसेंट सामग्री:

- इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IASST) के वैज्ञानिकों ने Ph-Cys-Au नामक अत्यधिक फ्लोरोसेंट सामग्री का उपयोग करके एक अभूतपूर्व समाधान विकसित किया है।
- फॉस्फोरिन, सिस्टीन और सोने से बनी सामग्री, असाधारण ऑप्टिकल गुणों को प्रदर्शित करती है जो इसे एमटीएक्स ओवरडोजेज का पता लगाने के लिए एक प्रभावी दृश्य सेंसिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करती है।

एमटीएक्स डिटेक्शन के लिए गैर-एंजाइमेटिक दृष्टिकोण:

- विकसित सामग्री एमटीएक्स का पता लगाने के लिए एक गैर-एंजाइमी दृष्टिकोण पेश करती है जो पारंपरिक प्रक्रियाओं के लिए एक तेज और अधिक संवेदनशील विकल्प पेश करती है।

बायोकम्पैटिबिलिटी और डिटेक्शन सीमा:

- Ph-Cys-Au सामग्री अपनी जैव अनुकूलता और उल्लेखनीय पहचान सीमा के कारण पिछली प्रणालियों से अलग है।
- लगभग 0.0266 nM (0&140 µL की रैखिक सीमा के लिए) और 0.0077 nM (160-260 µL की रैखिक सीमा के लिए) की पहचान सीमा के साथ सामग्री उच्च संवेदनशीलता प्रदर्शित करती है।

आगे की राह:

यह अभिनव समाधान न केवल पता लगाने की दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि सुरक्षित और अधिक लागत प्रभावी चिकित्सीय विश्लेषण के रास्ते भी खोलता है। यह कैंसर विरोधी दवा निगरानी प्रौद्योगिकियों के विकास में योगदान दे सकता है।

6 छह उप-नेप्च्यून एक्सोप्लैनेट की खोज

चर्चा में क्यों:

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के चेप्स मिशन का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने छह एक्सोप्लैनेट की खोज किया है। कोमा बेरेनिस तारामंडल में स्थित पास के चमकीले तारे एचडी 110067 की यह परिक्रमा कर रहा है। 'नेचर' जर्नल में प्रकाशित निष्कर्ष में पृथ्वी और नेपच्यून के बीच स्थित त्रिज्या वाले उप-नेप्च्यून ग्रहों के रहस्यमय क्षेत्र पर प्रकाश डाला गया है।

एचडी 110067 अवलोकन:

- एचडी 110067 कोमा बेरेनिस तारामंडल में स्थित एक चमकीला तारा है।
- यह पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है।
- यह तारा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से देखा जा सकता है।

एक्सोप्लैनेट के बारे में:

- एक्सोप्लैनेट (जिसका संक्षिप्त नाम 'एक्स्ट्रासोलर ग्रह' है) हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित एक ग्रह है जो सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। इस दूर के ग्रह की पहचान खगोलविदों द्वारा विभिन्न अवलोकन विधियों के माध्यम से की जाती है, जैसे किसी तारे के सामने से गुजरने पर उसकी चमक में परिवर्तन को मापना (पारगमन विधि) या किसी तारे की परिक्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उसके बदलते ग्रह (रेडियल वेग पद्धति) स्थिति का पता लगाना।

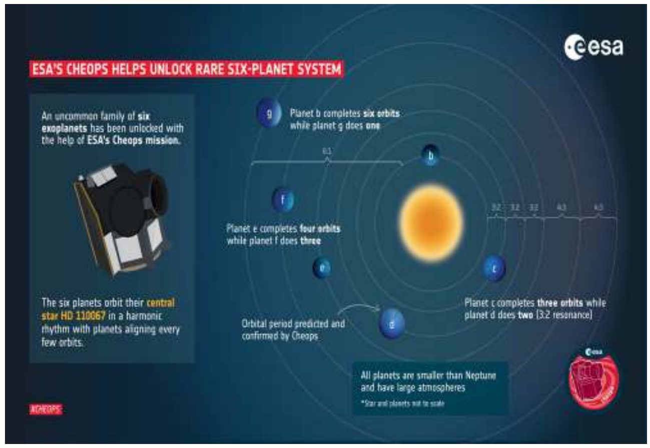

एक्सोप्लैनेट की विशेषताएं:

- **विविध आकार और संरचनाएँ:** एक्सोप्लैनेट विभिन्न आकारों और संरचनाओं में होते हैं जिनमें चट्टाने, पृथ्वी जैसे ग्रहों से लेकर बृहस्पति जैसे गैस के बड़े ग्रह शामिल हैं।
- **कक्षीय विविधता:** उनके पास मेजबान तारों से कक्षीय दूरियों की एक विस्तृत श्रृंखला हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न तापमान और स्थितियों के साथ विविध वातावरण होते हैं।
- **पता लगाने की तकनीकें:** खगोलविद मेजबान सितारों के प्रकाश या गति पर उनके प्रभाव को देखकर अप्रत्यक्ष रूप से एक्सोप्लैनेट की उपस्थिति का पता लगाने हेतु दूरबीनों और विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं।
- **पारगमन विधि:** पारगमन विधि में खगोलविद किसी तारे के प्रकाश की आवधिक मंदता का निरीक्षण करते हैं क्योंकि एक एक्सोप्लैनेट तारे और पर्यवेक्षक के बीच से गुजरता है जिससे ग्रह के आकार तथा कक्षा के बारे में जानकारी मिलती है।

उप-नेपच्यून के बारे में:

- उप-नेपच्यून की त्रिज्याएँ पृथ्वी और नेपच्यून के बीच की सीमा के भीतर आती हैं।
- वे आम तौर पर पृथ्वी से बड़े होते हैं लेकिन हमारे सौर मंडल में

यूरेनस और नेपच्यून से छोटे होते हैं।

- ये ग्रह अक्सर अपने मेजबान तारे के आसपास की कक्षाओं में पाए जाते हैं जिसका अर्थ है कि वे अपने तारकीय पिंडों के अपेक्षाकृत करीब स्थित हैं।
- माना जाता है कि सूर्य सभी तारों में से आधे से अधिक के पास निकट कक्षाओं में उप-नेप्च्यून हैं।

महत्त्व:

- चार से अधिक पारगमन एक्सोप्लैनेट की मेजबानी के लिए जाना जाने वाला सबसे चमकीला तारा है।
- समशीतोष्ण क्षेत्र के भीतर या बाहर अनदेखे ग्रहों की संभावना।
- एचडी 110067 प्रणाली को और अधिक जानने के अवसर।
- इस कॉन्फिगरेशन में सब-नेप्च्यून कैसे बन सकते हैं जिसका अध्ययन करना।

आगे की राह:

एचडी 110067 एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम का खुलासा सब-नेप्च्यून की जटिलताओं का एक दरवाजा खोलता है जो खगोलविदों को ग्रह निर्माण तथा विकास की समझ में और भी गहराई तक जाने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है।

7 मेफेनैमिक एसिड का प्रयोग हानिकारक

चर्चा में क्यों?

फार्मा मानक निकाय भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) ने आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दर्द निवारक दवा 'मेफेनैमिक एसिड' के लिए एक सुरक्षा चेतावनी जारी की है जो लोकप्रिय रूप से मेफ्टाल ब्रांड नाम के तहत बेची जाती है। इस चेतावनी में कहा गया है कि इसका घटक, DRESS सिंड्रोम जैसी गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करता है जो आंतरिक अंगों को प्रभावित करती है।

मेफेनैमिक एसिड (Mefenamic Acid) क्या है?

- मेफेनैमिक एसिड एक नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा (एनएसएआईडी) है जिसका उपयोग हल्के से मध्यम दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा निर्धारित मासिक धर्म में ऐंठन और अन्य स्थितियों के इलाज के लिए भी किया जाता है जो केवल डॉक्टर के नुस्खे के साथ ही उपलब्ध है।
- मेफ्टाल को हृदय प्रणाली पर संभावित नकारात्मक प्रभावों से जोड़ा गया है। इसके निरंतर उपयोग से पेट के अल्सर, रक्तस्राव और संबंधित समस्याओं की संभावना बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेषज्ञों ने मेफ्टाल के उपयोग से किडनी संबंधी संभावित समस्याओं के बारे में चिंता जताई है।
- मेफ्टाल के प्रारंभिक विश्लेषण के दौरान पाया गया प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया इओसिनोफिलिया और ड्रेस सिंड्रोम नामक प्रणालीगत लक्षण था।

DRESS सिंड्रोम के बारे में:

- DRESS सिंड्रोम (इओसिनोफिलिया तथा प्रणालीगत लक्षणों के साथ ड्रग रैश) एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया है जो संभावित रूप से घातक और कुछ दवाओं के कारण होती है। यह लगभग 10% व्यक्तियों को प्रभावित करती है।
- इसे ड्रग-प्रेरित अतिसंवेदनशीलता सिंड्रोम (डीआईएचएस) भी कहा जाता है जो विशिष्ट दवाओं के कारण होने वाली गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है।
- इसकी पहचान त्वचा पर लाल चकत्ते, शरीर का ऊंचा तापमान, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स और आंतरिक अंगों के भीतर संभावित जटिलताओं जैसे लक्षणों से की जाती है।

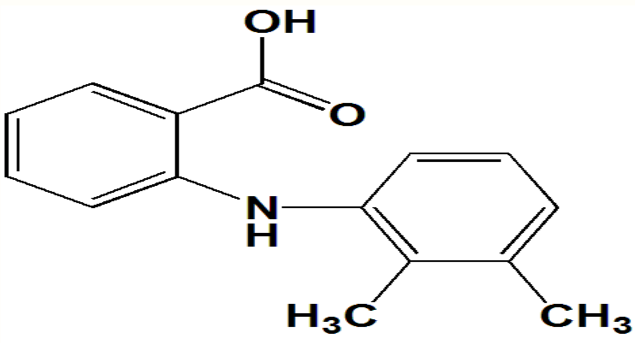

mefenamic acid

भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) के बारे में:

- भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है जो देश में दवाओं के लिए मानक निर्धारित करता है। यह आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के मानकों पर नियमित रूप से अपडेट जारी करता है।
- यह भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) के रूप में नए और मौजूदा मोनोग्राफ को अद्यतन करके दवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधिकारिक दस्तावेज प्रकाशित करता है। यह नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया को प्रकाशित करके जेनेरिक दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है।
- आईपीसी आईपी संदर्भ पदार्थ (आईपीआरएस) भी प्रदान करता है जो आईपी दिशानिर्देशों में उल्लिखित किसी वस्तु का परीक्षण करने और उसकी शुद्धता निर्धारित करने के लिए एक अद्वितीय पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है।

आगे की राह:

स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर किसी भी दवा के जिम्मेदार और सूचित उपयोग के महत्त्व पर जोर देते हैं। किसी भी दवा को शुरू करने या जारी रखने से पहले स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से परामर्श के महत्त्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह विशेष रूप से उन दवाओं पर लागू होता है जिनका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, कार्डियोवैस्कुलर या गुर्दे की समस्याओं का इतिहास होता है।

आर्थिक मुद्दे

1 परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित एसएंडपी ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के अक्टूबर में 55.5 के मुकाबले नवंबर में बढ़कर 56 पर पहुंच गया जिसके कारण भारत के विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर रहा, जबकि सेवा क्षेत्र पीएमआई अक्टूबर में 58.4 से गिरकर नवंबर में 56.9 पर पहुंच गया। पीएमआई डेटा दुनिया भर की 40 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए एसएंडपी ग्लोबल द्वारा संकलित किया जाता है।

पीएमआई क्या है?

- पीएमआई या परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधि का एक संकेतक है।
- 1948 में अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट द्वारा शुरू किया गया यह अब दुनिया भर में व्यावसायिक गतिविधि के सबसे करीब से देखे जाने वाले संकेतकों में से एक बन गया है।
- पीएमआई 0 से 100 तक की संख्या है।
- पीएमआई का 50 से कम होना संकुचन को दर्शाता है, जबकि 50 पर रीडिंग कोई बदलाव नहीं दर्शाता है।

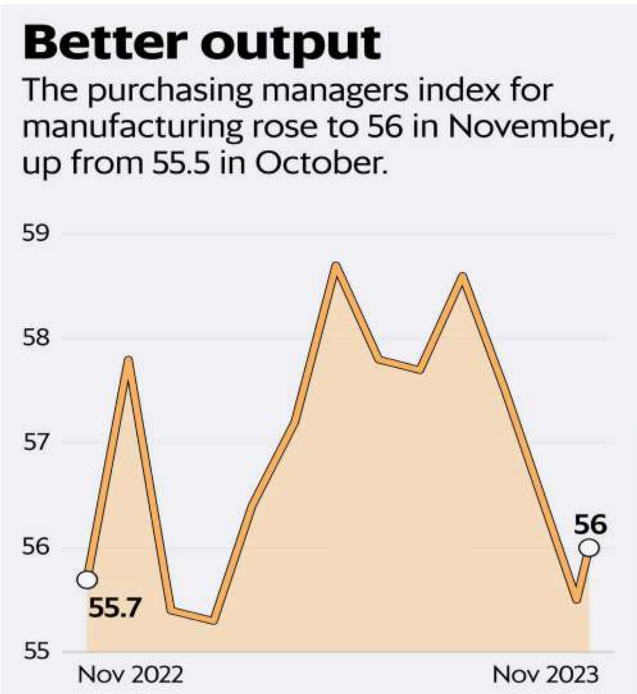

इस सूचकांक के मुख्य बिंदु:

विनिर्माण क्षेत्र:

- यह भारत के समग्र आर्थिक प्रदर्शन के अनुरूप है जिसने पिछली तिमाही में 7.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की है जिससे देश इस वित्तीय वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है।
- भारत के विनिर्माण उद्योग ने नवंबर में अपना मजबूत प्रदर्शन बनाए रखा जिससे उत्पादन में फिर से वृद्धि की गति देखी गई।
- मुद्रास्फीति की दर मौजूदा 40-महीने की वृद्धि के क्रम में सबसे कम हो गई।
- सूचकांक क्षेत्र की वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख संकेतकों में नवंबर में उत्पादन में तेजी और नए ऑर्डर शामिल हैं। इसमें नए ऑर्डर (30%), आउटपुट (25%), रोजगार (20%), आपूर्तिकर्ताओं की डिलीवरी का समय (15%) और खरीदी गई वस्तुओं का स्टॉक (10%) शामिल हैं।

सेवा क्षेत्र:

- भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधि नवंबर में बढ़ी, हालांकि एक साल में सबसे धीमी गति से यह व्यवसायों को अगले 12 महीनों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा।
- सर्विसेज पीएमआई सितंबर में 61, अगस्त में 60.1, जुलाई में 62.3, जून में 58.5, मई में 61.2, अप्रैल में 62 और मार्च में 57.8 दर्ज की गई।
- इस दौरान रोजगार सृजन में भी वृद्धि देखी गई जो इस पहलू में विस्तार का लगातार आठवां महीना है।
- इस सूचकांक से पता चला है कि भारतीय सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय मांग में और अधिक सुधार हुआ है।

आगे की राह:

यह भारत के समग्र आर्थिक प्रदर्शन के अनुरूप है जिसने पिछली तिमाही में 7.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की थी जिससे देश इस वित्तीय वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। मजबूत बुनियादी सुधारों से 2024 में भी ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद है।

2 आरबीआई मौद्रिक नीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख रेपो दर को 5वीं बार 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। एमपीसी ने 6 में से 5 सदस्यों के बहुमत से 'एकोमोडेशन' के नीतिगत रुख को भी बरकरार रखा।

मौद्रिक नीति के मुख्य बिंदु:

- विश्व स्तर पर अस्थिर आर्थिक माहौल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली और गतिशील बनी रहेगी।
- बैंक और कॉर्पोरेट मजबूत बैलेंस शीट, राजकोषीय समेकन तथा विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी शॉक के खिलाफ बफर प्रदान करता है।
- बढ़ते वैश्विक संरक्षणवादी उपायों के बीच विश्व व्यापार में मंदी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था नाजुक बनी हुई है।

- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बहाल करने के कई प्रयासों के बावजूद, उच्च ऋण स्तर, चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और गंभीर मौसम की स्थिति जैसे कारक वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति परिदृश्य दोनों के लिए जोखिम बढ़ाते हैं।
- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में गिरावट ने मौद्रिक नीतियों को कड़ा करने के लिए जल्द निष्कर्ष निकालने की संभावनाएं बढ़ा दी हैं जिससे बाजार का विश्वास बना रहे।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के सभी घटकों 'खाद्य, ईंधन और कोर' (खाद्य तथा ईंधन को छोड़कर) में गिरावट देखा गया, जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति जुलाई में 7.4% से घटकर अक्टूबर में 4.9% हो गई है।
- मुख्य मुद्रास्फीति की व्यापक आधार पर कमी अवस्फीति को बढ़ाने में मौद्रिक नीति की सफलता को इंगित करती है।
- भविष्य में निजी खपत को बढ़ती ग्रामीण मांग, मजबूत विनिर्माण क्षेत्र और सेवाओं में निरंतर प्रगति से समर्थन मिलने की उम्मीद है।
- बैंकों और निगमों दोनों की स्वस्थ वित्तीय स्थिति, उन्नत क्षमता उपयोग, चल रहे व्यावसायिक विश्वास तथा बुनियादी ढांचे के व्यय पर सरकार के जोर के साथ, निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने की संभावना है।
- बाहरी मांग से गिरावट का दबाव कम होने का अनुमान है जो आंशिक रूप से वस्तु और सेवा निर्यात दोनों में संभावित उछाल के कारण हो सकता है।
- अनुमानों से पता चलता है कि 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.0% होगी जिसमें जोखिम समान रूप से संतुलित होंगे।
- खाद्य पदार्थों की कीमतें मुद्रास्फीति के परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगी। चीनी की उच्च वैश्विक कीमतें भी चिंता पैदा करती हैं। 2023-24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.4% रहने का अनुमान है।

आगे की राह:

मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है क्योंकि टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है। इसलिए जरूरी है कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाए और सिर्फ महंगाई को नियंत्रित करना ही इसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए।

3 इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट (आईआईआर) 2023 एक व्यापक दस्तावेज में शासन, स्मार्ट पहल, पीपीपी तथा वित्तपोषण, आवास और प्रवासन, सार्वजनिक सेवा वितरण, बुनियादी ढांचे को एकीकृत करने तथा शहरी पुनर्विकास जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कर्नाटक) लिमिटेड (iDeCK) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) द्वारा प्रकाशित किया गया है।

भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- रिपोर्ट उन प्रमुख विषयों को व्यवस्थित रूप से संबोधित करती है जो भारत की शहरी चुनौतियों के केंद्र में है।
- रिपोर्ट में शहरी चुनौतियों में खराब योजना को एक प्रमुख कारक के रूप में उजागर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, शहरों को पुनर्विकास नीति अपनानी चाहिए जो उच्च फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के बदले निजी मालिकों से भूमि पुनः प्राप्त करने पर जोर देती है।
- यह गतिशील शहरों के निर्माण की भी वकालत करता है जिसमें शहरों के विकास के साथ-साथ वहन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- iDeCK स्थायी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम करने के लिए कर्नाटक सरकार, आईडीएफसी फाउंडेशन और एचडीएफसी के बीच एक संयुक्त पहल है। यह आईडीएफसी फाउंडेशन और आईसीएपी ट्रस्ट के माध्यम से अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण गतिविधियों का समर्थन करता है।
- रिपोर्ट शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन के विश्लेषण पर प्रकाश डालते हुए वित्तीय स्थिरता की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट शहरी विकास पहलों के वित्तपोषण के लिए पीपीपी और नगरपालिका बांड को महत्त्वपूर्ण उपकरणों के रूप में बढ़ावा देती है।
- रिपोर्ट के मुताबिक जहां भारत सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे और ऊर्जा क्षेत्र में पीपीपी में अग्रणी रहा है, वहीं शहरी क्षेत्र में पीपीपी भागीदारी कम देखी गई है।

भारत में शहरी परिदृश्य:

- भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसका विकास मुख्य रूप से शहरों में होता है।
- राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में शहरों का योगदान लगभग 66% है जिसे वर्ष 2050 तक बढ़कर 80% होने की उम्मीद है।
- भारत के सात सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्र मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद हैं।

आगे की राह:

आईआईआर 2023 में भारत में शहरी विकास की वर्तमान स्थिति पर शहरी विकास और नीति पारिस्थितिकी तंत्र को कवर करने वाले 25 अध्याय शामिल हैं। यह रिपोर्ट बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित समसामयिक मुद्दों पर आधारित कानूनी, वित्तीय, नियामक, तकनीकी, सामाजिक और वैचारिक पहलुओं की पहचान तथा विश्लेषण करने में सहायक है। यह शहरी नीति निर्माण में शामिल लोगों के साथ-साथ भारत के बुनियादी ढांचे और शहरीकरण विकास में रुचि रखने वालों, जैसे नीति निर्माताओं, निवेशकों, शिक्षाविदों, फाइनेंसरों तथा बहुपक्षीय एजेंसियों के लिए एक अमूल्य संसाधन है।

4 जूट उद्योग को बढ़ावा देने हेतु जूट पैकेजिंग सामग्री में छूट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जूट वर्ष 2023 -24 (1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024) के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी है। यह आरक्षण जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के तहत प्रदान किया जाता है।

आरक्षण मानदंड और इसके लाभ:

- जूट वर्ष 2023-24 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों के 100% आरक्षण और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट बैग में पैक करने का प्रावधान करते हैं।
- जूट उद्योग के कुल उत्पादन का 75% जूट सैकिंग बैग है जिसमें से 85% भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा राज्य खरीद एजेंसियों (एसपीए) को आपूर्ति की जाती है और शेष को सीधे निर्यात/बेचा जाता है।
- जूट पैकेजिंग सामग्री में पैकेजिंग के लिए आरक्षण देश में उत्पादित कच्चे जूट का लगभग 65% (2022-23 में) खपत होता है।
- जेपीएम अधिनियम के प्रावधान को लागू करके सरकार जूट मिलों और सहायक इकाईयों में कार्यरत 4 लाख श्रमिकों को राहत प्रदान करेगी जिससे लगभग 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका को समर्थन मिलेगा।
- यह पर्यावरण की रक्षा में मदद करेगा क्योंकि जूट प्राकृतिक, जैव-निम्नीकरणीय, नवीकरणीय और पुनः प्रयोज्य फाइबर है जो सभी स्थिरता मानकों को पूरा करता है।

जूट के बारे में मुख्य तथ्य:

- भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान है।
- खेती और उपयोग की दृष्टि से कपास के बाद जूट सबसे महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक रेशों में से एक है। इसके विकास के लिए आवश्यक जलवायु परिस्थितियाँ निम्न हैं:
  - **तापमान:** 25-35°C के बीच
  - **वर्षा:** लगभग 150-250 सेमी
  - **मिट्टी का प्रकार:** अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़ मिट्टी
- गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा की समृद्ध जलोढ़ मिट्टी के कारण यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत में उगाया जाता है।
- भारत में प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा शामिल हैं।

आगे की राह:

जूट उद्योग सामान्य रूप से भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है। वर्तमान प्रस्ताव में आरक्षण मानदंड भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के घरेलू उत्पादन के हितों की रक्षा करेंगे जिससे आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

5 जैव-अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि का संकेत

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पिछले आठ वर्षों में भारत की 'जैव-अर्थव्यवस्था' में आठ गुना वृद्धि पर प्रकाश डाला जो 10 अरब डॉलर से बढ़कर 80 अरब डॉलर हो गई है। उन्होंने उभरते क्षेत्रों के रूप में बायो एग्रीकल्चर, बायो फार्मास्यूटिकल्स और बायो सर्विसेज के तेजी से विकास पर जोर दिया। अनुमान के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया की शीर्ष 10 जैव अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा।

जैव-अर्थव्यवस्था क्या है?

- बायोइकोनॉमी आर्थिक गतिविधियों के समूह को संदर्भित करती है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं या ऊर्जा के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी और बायोमास का उपयोग शामिल होता है।
- बायोटेक क्षेत्र को मुख्य रूप से पांच प्रमुख खंडों में 'जैव-फार्मा, जैव-सेवाएं, जैव-कृषि, जैव-औद्योगिक और जैव-सूचना विज्ञान' विभाजित किया गया है जो एक साथ बायोइकोनॉमी में योगदान करते हैं।

भारत में बायोइकोनॉमी:

- वर्तमान समय में बायोइकोनॉमी का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2.6% का योगदान है। 'बायोइकोनॉमी रिपोर्ट 2022' में यह योगदान 2030 तक 5% के करीब होने की कल्पना की गई है। भारत ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए 2025 तक 150 बिलियन डॉलर से 2030 तक 600 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का लक्ष्य रखा है।
- देश में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 760 से अधिक कंपनियां और 4,240 स्टार्टअप हैं। 2020 तक, फार्मास्युटिकल क्षेत्र ने भारतीय जैव अर्थव्यवस्था में 62% योगदान दिया। इसके बाद जैव-कृषि (16%) तथा जैव-सेवाएं और जैव-उद्योग (कुल मिलाकर 22%) का योगदान दिया।
- जब नवाचार को बढ़ावा देने की बात आती है, तो भारत वैश्विक

स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। इसके अलावा, वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचकांकों में भारत की रैंकिंग लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2022 के अनुसार भारत नवीन अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर है।

बायोइकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रमुख कदम:

- **राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति:** इस रणनीति का लक्ष्य भारत को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता और औद्योगिक विकास में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी तथा 2025 तक 150 बिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाना है।
- राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2022-25 ने कौशल विकास, अनुसंधान एवं विकास, ज्ञान साझाकरण, व्यावसायीकरण सुविधाओं और बाजारों से जुड़ने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड पर ध्यान केंद्रित किया है।
- **राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति:** प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण ने जैव-उद्योग क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। सरकार ने इथेनॉल-मिश्रित गैसोलीन के कार्यान्वयन में तेजी लाई है तथा अप्रैल 2023 से 20 प्रतिशत तक मिश्रण की अनुमति दे दी गई है।
- **राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन:** इसका उद्देश्य बायोफार्मास्युटिकल उद्योग में उद्यमिता और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार तथा शिक्षा जगत को एक साथ लाना है।
- इसके अतिरिक्त, बीटी कपास, कीटनाशकों और समुद्री तथा पशु जैव प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए जैव-कृषि क्षेत्र का लक्ष्य 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था में अपना योगदान 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है।

आगे की राह:

भारत में बायोइकोनॉमी में फंडिंग देश की जीडीपी के केवल 0.0001% पर स्थिर बनी हुई है। भारत में बायोइकोनॉमी के विकास पर सार्थक प्रभाव डालने के लिए इसमें पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है। 2030 तक 600 अरब डॉलर तक पहुंचने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मजबूत वित्तीय समर्थन और सहायक नीतियों को बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नवाचार को बढ़ावा देने और औद्योगिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे वातावरण बनाने की आवश्यकता होगी जिससे भारतीय वैज्ञानिकों के बीच जोखिम लेने को प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा सके।

6 अराजक (Anarcho) पूंजीवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अर्जेंटीना में नए निर्वाचित राष्ट्रपति जेवियर माइली की जीत ने अराजक-पूंजीवाद की विचारधारा की चर्चा को प्रमुखता प्रदान की है। जेवियर माइली को स्व घोषित अराजक-पूंजीवादी माना जाता है।

अराजक-पूंजीवाद क्या है?

- अराजक-पूंजीवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो मुक्त बाजार में निजी कंपनियों द्वारा रक्षा और कानून जैसी आवश्यक सेवाओं के स्वैच्छिक प्रावधान के पक्ष में राज्य के उन्मूलन की वकालत करता है।
- अराजक-पूंजीवाद के समर्थकों का मानना है कि जब ये सेवाएं प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रदान की जाएंगी तो नागरिकों को अत्यधिक लाभ होगा, न कि जब राज्य जबरदस्ती के उपयोग पर कानूनी एकाधिकार रखता है।
- यह शब्द सबसे पहले अमेरिकी स्वतंत्रतावादी अर्थशास्त्री मरे रोथबर्ड द्वारा प्रयोग किया गया था। बेल्जियम के राजनीतिक अर्थशास्त्री गुस्ताव डी मोलिनारी को पहला अराजक-पूंजीवादी माना जाता है।
- डेविड फ्रीडमैन, एडवर्ड स्ट्रिंगम और माइकल ह्यूमर कुछ समकालीन अराजक-पूंजीवादी हैं।

अराजक-पूंजीवाद का उद्देश्य:

- उदारवादी उदारवाद की तर्ज पर अराजक-पूंजीवाद भी आर्थिक और सामाजिक मामलों में सीमित सरकारी भागीदारी के सिद्धांत को बढ़ावा देता है।
- परंपरागत रूप से मुक्त बाजार के समर्थकों ने पुलिस और अदालतों को छोड़कर अधिकांश वस्तुओं-सेवाओं के निजी प्रावधान का समर्थन किया है क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह केवल राज्य द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है।
- अराजक-पूंजीवाद इन सिद्धांतों को एक पायदान आगे ले जाता है जो एक मुक्त बाजार समाज और सरकार की पूर्ण अनुपस्थिति की वकालत करता है। इसका मानना है कि मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा से प्रेरित निजी कंपनियां, राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली कंपनियों की तुलना में बेहतर और सस्ती पुलिसिंग तथा कानूनी सेवाएं प्रदान कर सकती हैं।
- सरकार द्वारा वित्त पोषित सेवाओं पर निर्भर रहने के बजाय, व्यक्ति सुरक्षा और विवाद समाधान के लिए निजी कंपनियों को भुगतान करेंगे। ग्राहकों को जीवित रहने के लिए संतुष्ट करने का लक्ष्य रखने वाली ये कंपनियां वर्तमान राज्य प्रणाली की तुलना में अधिक जवाबदेह और कुशल होंगी। ऐसे में इन निजी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता बढ़ेगी और कीमतें घटेंगी जिससे लोगों को अपनी इच्छा के आधार पर सेवाएं चुनने का मौका मिलेगा।

अराजक-पूंजीवाद की आलोचना:

- आलोचकों का तर्क है कि एक ही क्षेत्र में पुलिस और न्यायपालिका जैसी सेवाएं प्रदान करने वाली कई कंपनियां होने से अपने भुगतान करने वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा करने वाली सशस्त्र निजी संस्थाओं के बीच विवाद तथा झड़पें हो सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप अराजकता हो सकती है।
- वे बताते हैं कि बाजार-आधारित पुलिस और कानूनी प्रणालियाँ अमीरों की अधिक सेवा कर सकती हैं जिससे वे निजी पुलिस या अदालतों को अधिक भुगतान की पेशकश करके न्याय से बचने में सक्षम हो सकते हैं जिससे गरीबों को न्याय तक उचित पहुंच

नहीं मिल पाएगी।

- अराजक-पूंजीवाद सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ा सकता है जिससे संपन्न लोगों को संभावित रूप से अपने लाभ के लिए सिस्टम में हेरफेर करने की अनुमति मिलती है, जबकि आर्थिक रूप से वंचित लोगों को पर्याप्त सहारा या सुरक्षा के बिना छोड़ दिया जाता है।

आगे की राह:

अराजक-पूंजीपतियों का मानना है कि बाजार प्रतिस्पर्धा कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी, अमीरों के प्रति संघर्ष और पक्षपात को रोकेगी जिससे अंततः गरीबों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करेगी। हालाँकि आलोचक संभावित संघर्षों, असमानता और एक कार्यात्मक विकेन्द्रीकृत प्रणाली को लागू करने की चुनौतियों के बारे में संशय में प्रकट कर रहे हैं। आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में अराजक-पूंजीवाद की व्यवहार्यता और निष्पक्षता विवादास्पद बनी हुई है जो कि बहस का विषय है।

7 'डार्क पैटर्न' के विरुद्ध कार्यवाही

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 2023 में डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय उपभोक्ता मामलों के विभाग और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के साथ विस्तृत परामर्श के बाद लिया गया है।

डार्क पैटर्न क्या है?

- डार्क पैटर्न ग्राहकों को गुमराह करने और उन्हें सही विकल्प चुनने से रोकने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियाँ हैं।
- दिशानिर्देश कई प्लेटफार्मों पर उपयोगकर्ता इंटरफेस या उपयोगकर्ता अनुभव इंटरैक्शन का उपयोग करके किसी भी अभ्यास या भ्रामक डिजाइन पैटर्न के रूप में डार्क पैटर्न को परिभाषित करते हैं, अर्थात उपयोगकर्ताओं को कुछ ऐसा करने के लिए गुमराह करने या धोखा देने के लिए डिजाइन किया जाता है जो मूल रूप से उनका इरादा नहीं था या करना नहीं चाहते थे।
- बदले में, वे डिजाइनों को नियोजित करने वाली कंपनी या प्लेटफॉर्म को लाभान्वित करते हैं।
- डार्क पैटर्न के उदाहरणों में ऑनलाइन सौदों के लिए आधारहीन तथ्यों का प्रयोग, बढ़िया प्रिंट की स्थितियाँ जो लागत बढ़ाती हैं, रद्द करने के विकल्पों को देखना कठिन बनाना आदि हो सकती हैं।

पहचाने गए डार्क पैटर्न:

दिशानिर्देशों में निम्न निर्दिष्ट डार्क पैटर्न सूचीबद्ध किए गए हैं:

- **छद्म तात्कालिकता**- प्लेटफॉर्म किसी विशेष उत्पाद की कमी को गलत तरीके से उजागर करता है या उपयोगकर्ता को जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए गुमराह करने के लिए उस उत्पाद की नकली लोकप्रियता दिखाता है।
- **बास्केट स्नीकिंग**- उपयोगकर्ता की सहमति के बिना प्लेटफॉर्म से चेकआउट या बिलिंग के समय अतिरिक्त वस्तुओं (उत्पाद सेवाएँ, दान भुगतान) को शामिल करना।
- **शेमिंग का डर**- किसी वाक्य, वीडियो या ऑडियो का उपयोग करने का अर्थ है उपयोगकर्ता के मन में डर, शर्म या उपहास की भावना पैदा करना जिससे उपयोगकर्ता को कुछ खरीदने या सदस्यता लेने के लिए मजबूर किया जा सके।
- **जबरन कार्यवाही**- किसी उपयोगकर्ता को कोई अतिरिक्त आइटम खरीदने, किसी असंबंधित सेवा के लिए साइन अप करने या उपयोगकर्ता द्वारा मूल रूप से इच्छित किसी उत्पाद या सेवाओं को खरीदने के लिए व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए मजबूर करना।
- **सब्सक्रिप्शन ट्रैप**- सशुल्क सब्सक्रिप्शन को रद्द करने की प्रक्रिया को जटिल बनाना।
- **इंटरफेस हस्तक्षेप**- सूचना में हेरफेर यानी विशिष्ट जानकारी को उजागर करते समय प्रासंगिक जानकारी को छिपाना या अस्पष्ट करना।
- **प्रलोभन और स्विच**- एक विशेष परिणाम का विज्ञापन दिखाकर भ्रामक रूप से वैकल्पिक परिणाम प्रस्तुत करना।
- **ड्रिप मूल्य निर्धारण**- किसी भी सेवा की खरीद या निरंतरता के लिए वास्तविक लागत का खुलासा नहीं करना।
- **प्रच्छन्न विज्ञापन**- ग्राहकों को क्लिक करने के लिए प्रेरित करने हेतु उपयोगकर्ताओं द्वारा तैयार की गई सामग्री में ऐड मिलाए जाते हैं।
- **परेशान करना**- बार-बार बातचीत करके उपयोगकर्ता को परेशान करना और लेन-देन को प्रभावित करना।
- **सास बिलिंग**- उपभोक्ताओं द्वारा आवर्ती आधार पर भुगतान उत्पन्न करने और एकत्र करने की प्रक्रिया।
- **मैलवेयर का उपयोग**- उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने के लिए रैंसमवेयर या स्केयरवेयर का उपयोग किया जाता है।

आगे की राह:

कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए उपयोगकर्ताओं को गुमराह और भ्रमित कर रहे हैं। यह इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के अनुभव को खतरे में डाल रहा है और उन्हें बिग टेक फर्मों द्वारा वित्तीय डेटा शोषण के प्रति संवेदनशील बना रहा है। इसलिए इंटरनेट को एक सुरक्षित और व्यवहार्य प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन आवश्यक है।

विविध मुद्दे

1 खाद्य सुरक्षा के साथ पोषक सुरक्षा भी जरूरी

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के विस्तार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया घोषणा के बाद, भारत में लगातार पोषण गैप के बारे में चर्चा फिर से प्रारम्भ हुई है।

पोषण बनाम भूख को संबोधित करना:

- भारत में भूख मिटाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन भूख से निपटने के इतने केंद्रित प्रयासों के बावजूद लगभग 3 में से 1 बच्चा अविकसित तथा कम वजन का है।
- वर्ल्डोमीटर का अनुमान है कि भारत में दुनिया के कुपोषित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। अनुमान के मुताबिक भारत की लगभग 14.37% आबादी को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (एनएफएचएस 5) के अनुसार, पांच साल से कम उम्र के 36% बच्चे अविकसित हैं, 19% कमजोर हैं, 32% कम वजन वाले हैं और 3% अधिक वजन वाले हैं।
- 5 वर्ष से कम उम्र के 67% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। भारत में अपेक्षाकृत 25% पुरुषों (50 वर्ष से कम) की तुलना में 57% भारतीय महिलाएं इससे पीड़ित हैं।
- 50 से कम उम्र की 19% महिलाएं और 16% पुरुष इससे कुपोषित हैं, जबकि 24% महिलाएं तथा 23% पुरुष मोटापे का शिकार हैं। इस तरह से भारत की 1.4 अरब की विशाल आबादी में से 40% किसी न किसी रूप से कुपोषित है।

पोषण गैप को पूर्ण करना:

- भारत में प्रतिदिन 47 ग्राम प्रोटीन की औसत खपत 'अन्य एशियाई और विकसित देशों' में सबसे कम है। दालें, फलियां, डेयरी और लीन मीट जैसे प्रोटीन स्रोतों को शामिल करने से प्रोटीन सेवन की गुणवत्ता बढ़ सकती है जो विकास तथा समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
- इसके अलावा आयरन, विटामिन ए तथा जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ खाद्य राशन को मजबूत करने से कुछ आबादी, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों जैसे कमजोर समूहों में प्रचलित विशिष्ट पोषण संबंधी कमियों से निपटा जा सकता है।

सरकार द्वारा प्रयास:

- सरकार ने इसके उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए बाजरा की जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए, पीडीएस में पोषक अनाज सम्मिलित करने की शुरुआत की। आईसीडीएस कार्यक्रम में पोषक अनाज को भी पूरक पोषण में एकीकृत किया गया है।
- हालाँकि जिन राज्यों में चावल और गेहूं को प्राथमिकता दी जाती है, वहां पीडीएस में बाजरा को पोषक अनाज की कमी के कारण सभी राज्यों में इसका कार्यान्वयन एक समान नहीं है।
- बच्चों में कौशल विकसित करने और पौष्टिक भोजन विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करने हेतु स्कूल (पोषण) किचन गार्डन के लिए दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं। किचन गार्डन के सहयोग से ओडिशा, झारखंड और कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में ऐसे उद्यान स्थापित किए गए हैं। उत्तर पूर्वी राज्य भी विशिष्ट पोषक तत्वों से भरपूर स्थानीय और स्वदेशी खाद्य पदार्थों का उत्पादन तथा उपभोग करते हैं जिससे आहार विविधीकरण में योगदान होता है।

आगे की राह:

पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने से पोषण संबंधी परिणामों से परे जाकर आहार संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करने और स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रति समुदायों की लचीलापन बढ़ाने के माध्यम से दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इसके लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है।

2 मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला 2,000 वर्ष प्राचीन सिक्कों का भंडार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाकिस्तान में पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में एक बौद्ध मंदिर के खंडहरों से तांबे के सिक्कों का एक अत्यंत दुर्लभ भंडार खोजा है जो 2,000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है।

मुख्य बिन्दु:

- सिक्कों का भंडार प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो के अवशेषों के ऊपर बने एक बौद्ध मंदिर के खंडहरों के बीच पाया गया था। ये सिक्के तांबे की धातु से बने होते हैं।
- माना जाता है कि ये सिक्के कुषाण साम्राज्य के समय के हैं जो मुख्य रूप से बौद्ध साम्राज्य था जिसने इस क्षेत्र पर लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया था। तीसरी शताब्दी ई. तक सिकंदर महान द्वारा मध्य एशिया में स्थापित ग्रीको-बैक्ट्रियन साम्राज्य ने इस पर विजय प्राप्त की।
- जिस बौद्ध मंदिर से ये सिक्के प्राप्त हुए थे, वह आज मोहनजोदड़ो के विशाल अवशेषों के भीतर स्थित है। यह स्थल दक्षिण-पूर्व पाकिस्तान में लगभग 2600 ईसा पूर्व का है। यह स्तूप मोहनजोदड़ो के पतन के 1600 साल बाद उसके खंडहरों पर बनाया गया था।

कुषाण सिक्कों के बारे में:

- कुषाण सिक्कों पर राजाओं की छवियों को दर्शाया जाता था ताकि प्रजा उन्हें देख सके।
- सिक्के विमा (सिक्के जारी करने वाला व्यक्ति) द्वारा जारी किए जाते थे।
- विमा ने तीन मूल्यवर्ग में सोने के सिक्के जारी किए जिसमें डबल स्टेटर/दीनार (~16 ग्राम), दीनार (~8 ग्राम) और क्वार्टर दीनार (~2 ग्राम) शामिल हैं। डबल दीनार ऊपर दिखाए गए हैं, जबकि

दीनार और चौथाई दीनार नीचे दिखाए गए हैं।

- विमा ने तीन मूल्यवर्ग में तांबे के सिक्के भी जारी किए जिसमें टेट्राड्राचम (~17 ग्राम), डिड्राचम (~8.5 ग्राम) और ड्रेचम (~4.2 ग्राम) शामिल हैं। सिक्को में विमा को एक वेदी पर बलिदान देते हुए देखा गया है। इसमें पीछे की ओर शिव और नंदी नजर आते हैं।

स्तूप के बारे में:

- स्तूप बौद्ध वास्तुकला का एक महत्त्वपूर्ण रूप है। हालांकि यह बौद्ध धर्म से पहले का है। इसे आम तौर पर एक कब्रगाह (दफनाने की जगह) या धार्मिक वस्तुओं का संग्रह माना जाता है। बौद्ध धर्म में शुरुआती स्तूपों में बुद्ध की राख के अंश होते थे जिसके बाद स्तूप को बुद्ध के शरीर से जोड़ा जाने लगा।

आगे की राह:

कुषाण तांबे के सिक्के बहुत दुर्लभ हैं। इन सिक्कों की खोज से हमें कुषाण सिक्कों के बारे में जानने और कुषाण साम्राज्य के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करने में मदद मिलने की संभावना है।

3 वैश्विक स्तर पर महिलाओं की हत्या में हो रही वृद्धि- संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) तथा संयुक्त राष्ट्र महिला ने नवंबर में 'महिलाओं और लड़कियों की जेंडर संबंधी हत्याएं (स्त्रीहत्या/नारीहत्या)' शीर्षक से एक अध्ययन प्रकाशित किया। यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि जहां 2022 में दुनिया भर में हत्याओं की कुल संख्या में कमी आई है, वहीं वैश्विक स्तर पर महिलाओं की हत्याओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

अध्ययन के बारे में अधिक जानकारी:

- अध्ययन से पता चलता है कि 2022 में लिंग-संबंधी कारकों के आधार पर दुनिया भर में लगभग 88,900 महिलाओं और लड़कियों को जानबूझकर मार दिया गया। यह पिछले 20 वर्षों में एक वर्ष में इस तरह की मौतों की सबसे अधिक संख्या है।
- **मानवहत्या के पीड़ितों में पुरुष और महिला की हिस्सेदारी:** दुनिया भर में मानवहत्या के शिकार आमतौर पर पुरुष या लड़के होते हैं जो कि 2022 में मानवहत्या के कुल पीड़ितों में से 80% हैं जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 20% थी।
- **महिला और पुरुष की हत्याओं में परिवार से संबंधित लोगों की भूमिका:** महिला और पुरुष पीड़ितों के बीच एक महत्त्वपूर्ण असमानता इस बात से स्पष्ट थी कि ज्यादातर महिलाओं की हत्या उनके सहयोगियों या उनके किसी परिचित द्वारा किए जाने की अधिक संभावना थी। इसका विस्तार इस तथ्य से होता है कि महिलाओं को ज्यादातर उनके निकटतम परिवार के सदस्यों द्वारा शारीरिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है।
- 2022 में हत्या की शिकार 88,900 महिला पीड़ितों में से 48,800 या 55% की हत्या परिवार के सदस्यों या अंतरंग भागीदारों द्वारा की गई थी।

महिला और पुरुषों की हत्याओं पर महाद्वीप-वार डेटा:

- यूरोप में आधे से अधिक महिला हत्याओं में अपराधी पीड़ितों के भागीदार या संबंधित होते हैं, जबकि पुरुषों के बीच हिस्सेदारी केवल 18% थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी महिला हत्याओं में यह संख्या 45% और पुरुष हत्याओं में 12% थी।
- 2022 में अफ्रीका में अंतरंग साझेदारों या परिवार से संबंधित हत्या की शिकार लगभग 20,000 महिलाएँ दर्ज की गई जो महाद्वीपों में सबसे अधिक संख्या है। 13 वर्षों में पहली बार अफ्रीका ने स्त्री-हत्या के मामले में एशिया को पीछे छोड़ दिया। इसी अवधि के दौरान एशिया में 18,400 महिलाएँ थीं जिनको उनके परिवारों द्वारा मार दिया गया।
- **भारत में स्थिति:** रिपोर्ट में पिछले दशक में भारत में लिंग आधारित हत्याओं में थोड़ी गिरावट पर प्रकाश डाला गया है। हालाँकि दहेज संबंधी कारणों, जादू-टोना के आरोप और अन्य लिंग-संबंधी कारकों के कारण महिलाओं की हत्या अभी भी जारी है।
- भारत में दहेज महिला हत्या का लगातार प्रमुख कारण रहा है, जबकि इस अवधि के दौरान ऑनर किलिंग और जादू-टोने के आरोपों से संबंधित हत्याओं की भी एक छोटी हिस्सेदारी रही।

आगे की राह:

महिलाओं के खिलाफ हिंसा की व्यापक प्रकृति सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक मानदंडों और आर्थिक ढांचे में गहराई से व्याप्त है। यह घातक हिंसा (जो पारिवारिक गतिशीलता के कारण जारी रहती है और अक्सर अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज कर दी जाती है) महिलाओं को नियंत्रित करने के एक साधन के रूप में कार्य करती है। इस खतरनाक प्रवृत्ति को संबोधित करने और दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों तथा कल्याण की रक्षा के लिए तत्काल और व्यापक कार्यवाही जरूरी है।

4 भारत में बहुआयामी गरीबी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यसभा में अल्पावधि चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में लगभग 13.5 करोड़ लोग 'बहुआयामी' गरीबी से बाहर निकले हैं। इस दौरान भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था की गति को बरकरार रखे हुए है।

प्रमुख आँकड़े:

- भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या में 9.89 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है जो 2015-16 में 24.85% से बढ़कर 2019-2021 में 14.96% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेज गिरावट 32.59% से घटकर 19.28% हो गई। इसी अवधि के दौरान, शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% से 5.27% की कमी देखी गई। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी

गिरावट दर्ज की गई और 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से निकाले गए। बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में देखी गई।

- गरीबी एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या लोगों के समूह के पास पर्याप्त धन या जीवन जीने के लिए आवश्यक बुनियादी चीजें नहीं होती हैं। गरीबी का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी से अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाता है।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में:

- नोडल एजेंसी- नीति आयोग
- यह बहुआयामी गरीबी को संबोधित करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक स्वदेशी सूचकांक है।
- राष्ट्रीय एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों में एक साथ अभावों को मापता है जो 12 एसडीजी-संरेखित संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं।
- इन संकेतकों में पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति तथा बैंक खाते शामिल हैं।

एसडीजी-1- गरीबी:

- 2030 तक दुनिया से अत्यधिक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य।
- 2030 तक राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार गरीबी में रहने वाले लोगों के अनुपात को कम से कम आधा करना।
- 2030 तक गरीबी से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और उपायों को लागू करना।
- 2030 तक सभी पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक संसाधनों के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं तक पहुंच का समान अधिकार होना।

आगे की राह:

पोषण अभियान तथा एनीमिया मुक्त भारत, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने देश में बहुआयामी गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सभी योजनाएँ देश में बहुआयामी गरीबी को कम करने में बहुत सहायक हुई हैं।

5 हॉर्नबिल महोत्सव सम्पन्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल का 10 दिवसीय 24वां संस्करण नागालैंड के नागा हेरिटेज विलेज किसामा में संपन्न हुआ। इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया हॉर्नबिल महोत्सव में भागीदार देश और असम भागीदार राज्य रहे हैं।

हॉर्नबिल महोत्सव:

- हॉर्नबिल महोत्सव पूर्वोत्तर के नागालैंड राज्य में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है।
- इस वर्ष उत्सव का 24वां संस्करण है जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से व देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से परिचित कराना है। इस महोत्सव का नाम 'हॉर्नबिल' पक्षी के नाम पर रखा गया है जो नागाओं के लिए सबसे अधिक पूजनीय पक्षी है।
- यह प्रायः नागालैंड राज्य के जंगलों में देखा जाता है। यह सांस्कृतिक प्रदर्शनों के मिश्रण को प्रदर्शित करता है जिसका उद्देश्य संस्कृति का रक्षण तथा उसे पुनर्जीवित करना है। उत्सव में नृत्य प्रदर्शन, शिल्प, परेड, खेल, भोजन, मेले, धार्मिक समारोह इत्यादि सम्मिलित हैं।
- इसमें पारंपरिक नागा मोरंग्स प्रदर्शनी, कला और शिल्प की बिक्री, हर्बल मेडिसिन स्टॉल, फ्लावर शो, सांस्कृतिक मेडले, नागा कुश्ती इत्यादि भी सम्मिलित किये जाते हैं।

ग्रेट हॉर्नबिल बर्ड:

- हॉर्नबिल्स (ब्यूसेरोटिडे) उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीका, एशिया तथा मेलानेशिया में पाए जाने वाले पक्षियों का एक परिवार है।
- भारत, हॉर्नबिल की नौ प्रजातियों का घर है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के भीतर हॉर्नबिल प्रजातियों की सबसे अधिक विविधता है।
- ग्रेट हॉर्नबिल एक रंगीन पक्षी है जो भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है।
- उनकी एक लंबी, नीचे की ओर मुड़ी हुई चोंच होती है जो प्रायः चमकीले रंग की होती है। कभी-कभी ऊपरी जबड़े पर एक आवरण होता है।
- ग्रेट हॉर्नबिल, अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी भी है।

संकट:

- ग्रेट हॉर्नबिल को मुख्य रूप से वनों की कटाई के कारण निवास स्थान के नुकसान का खतरा है।
- इसका शिकार इसके मांस, चर्बी और शरीर के अंगों जैसे आवरण तथा पूंछ के पंखों के लिए किया जाता है जिनका उपयोग श्रृंगार के रूप में किया जाता है।

संरक्षण की स्थिति:

- यह IUCN की लाल सूची में संवेदनशील पक्षी के रूप में दर्ज है।

6 ओडिशा की बाली यात्रा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओडिशा की समृद्ध समुद्री विरासत का उत्सव बाली यात्रा (जो कि एशिया का सबसे बड़ा ओपन-एयर वार्षिक व्यापार मेला है) कटक में महानदी के तट पर सम्पन्न हुई। यह उत्सव 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुरू होकर 5 दिसंबर तक चला।

बाली यात्रा उत्सव के बारे में:

- बाली यात्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ इंडोनेशिया के एक द्वीप बाली

की यात्रा है। यह एक सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो बाली के साथ ओडिशा के लोगों के पिछले जुड़ाव तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में की गई ट्रांसजेनिक यात्राओं की याद दिलाता है।

- बाली यात्रा उन कुशल नाविकों के शिल्प कौशल का उत्सव मनाती है जिन्होंने अपने युग के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से एक कलिंग की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- बाली का 'मसाकापन के तुकड़' त्यौहार ओडिशा में बाली यात्रा त्यौहार के समान है जहां दोनों त्यौहार अपने पूर्वजों की स्मृति का सम्मान करते हैं।
- बाली यात्रा के उत्सव में भव्य मेले, विस्तृत सवारी, भोजन और नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। भारतीय महिलाएं उत्सव के एक भाग के रूप में 'बोइता बंदना' का प्रदर्शन करती हैं जिसमें कागज या केले के पत्ते (शोलापीठ) की नावों को अंदर जलाकर दीपक रखकर महानदी में प्रवाहित किया जाता है।

कलिंग साम्राज्य:

- कलिंग साम्राज्य (वर्तमान ओडिशा) अपने प्रसिद्ध समुद्री इतिहास के लिए जाना जाता है। यह साम्राज्य अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण फला-फूला जिससे ईसा पूर्व चौथी और पांचवीं शताब्दी में बंदरगाहों का उदय हुआ।
- कलिंग के कुछ प्रसिद्ध बंदरगाहों में ताम्रलिप्ति, मणिकपटना, चेलिटालो, पालुर और पिथुंडा शामिल हैं जिन्होंने भारत को समुद्र के माध्यम से अन्य देशों से जुड़ने की अनुमति दी। उनके श्रीलंका, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, बाली और बर्मा के साथ व्यापारिक संबंध थे। बाली उन चार द्वीपों का एक हिस्सा था जिन्हें सामूहिक रूप से सुवर्णद्वीप कहा जाता था जिसे आज इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है।
- कलिंग शासकों ने इंडोनेशियाई द्वीपों के साथ व्यापार के लिए 'बोइतास' नाम की बड़ी नावें बनाईं। तांबे के पतवारों से सुसज्जित इन जहाजों में सात सौ व्यक्तियों और जानवरों को रखने की क्षमता थी।
- इन नावों की व्यापकता के कारण बंगाल की खाड़ी को ऐतिहासिक रूप से कलिंग सागर कहा जाता था। कलिंग का समुद्री प्रभाव कालिदास के रघुवंश में स्पष्ट है जहाँ कलिंग के राजा को 'समुद्र का स्वामी' कहा गया है जो उन जल में उनके प्रभुत्व को रेखांकित करता है।

आगे की राह:

अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व के अलावा बाली यात्रा एक प्रमुख व्यावसायिक भूमिका भी रखती है। यह एक हलचल भरा केंद्र बन जाता है जहां लोग ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर स्थानीय रूप से तैयार किए गए कारीगर उत्पादों तक कई प्रकार के सामान खरीद सकते हैं। कटक जिला प्रशासन, कटक नगर निगम और विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा आयोजित इस नौ दिवसीय उत्सव में कटक तथा पड़ोसी जिलों से लाखों की संख्या में भीड़ आती है जो राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायता करती है।

7 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने की योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम मोदी की 'लखपति दीदी' पहल के हिस्से के रूप में एक योजना को मंजूरी दी जिसके तहत केंद्र सरकार अगले चार वर्षों में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी। 2024-25 से शुरू होने वाली इस योजना में लगभग 1,261 करोड़ रूपये का वित्तीय परिव्यय होगा जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

योजना के बारे में:

- **सशक्तीकरण और प्रशिक्षण:** ड्रोन के उपयोग के लिए अनुकूल पहचाने गए समूहों को लक्षित किया जाएगा और ड्रोन प्राप्त करने के लिए राज्यों में 15,000 महिला एसएचजी का चयन किया जाएगा। व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम सदस्यों को ड्रोन पायलटिंग कौशल और कृषि विशेषज्ञता से लैस करेंगे जिससे वे किराये की सेवाएं तथा सहायता प्रदान करने में सक्षम होंगे।
- **वित्तीय सहायता:** ड्रोन लागत का 80% या अधिकतम रु. 8 लाख तक केंद्रीय वित्तीय सहायता से आएगा। शेष राशि राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा फाइनेंसिंग सुविधा (एआईएफ) के माध्यम से जुटाई जा सकती है जिसमें एआईएफ ऋण पर 3% की ब्याज छूट शामिल है।
- **नवोन्मेषी भूमिकाएँ:** एसएचजी के सदस्यों को ड्रोन पायलट और तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे न केवल ड्रोन संचालन की सुविधा होगी बल्कि मरम्मत और रखरखाव भी होगा। इससे आपूर्तिकर्ताओं और एसएचजी के बीच अंतर कम होगा।
- **नैनो उर्वरक को अपनाना:** यह योजना ड्रोन सेवाओं के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देती है जिससे कुशल कीटनाशक अनुप्रयोग तथा उर्वरक वितरण की सुविधा मिलती है।
- **आर्थिक सशक्तीकरण:** स्थायी व्यवसाय और आजीविका सहायता के साधन के रूप में कल्पना की गई इस योजना का लक्ष्य 15,000 एसएचजी को कम से कम रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है।
- **कृषि में तकनीकी:** उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी के समावेशन के साथ यह योजना कृषि दक्षता बढ़ाने, फसल की पैदावार बढ़ाने और परिचालन लागत को कम करने के लिए लायी गई है जिससे बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ होगा।

आगे की राह:

यह योजना ग्रामीण समुदायों में महिलाओं को सशक्त बनाते हुए कृषि की बेहतरी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह योजना किसानों के लाभ के लिए बेहतर दक्षता, फसल की पैदावार बढ़ाने और संचालन की लागत को कम करने हेतु कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

ब्रेन बूस्टर

मनरेगा: ग्रामीण रोजगार को आकार देने का प्रयत्न

मनरेगा के बारे में:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने और आजीविका बढ़ाने के लिए भारत में शुरू की गई एक परिवर्तनकारी पहल है। 23 अगस्त, 2006 को स्थापित और 2 फरवरी, 2006 को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया, मनरेगा, जिसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के रूप में जाना जाता था, ने देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उद्देश्य

- **आजीविका सुरक्षा:** एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के अकुशल वेतन वाले रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करना।
- **संपत्ति निर्माण:** उत्पादक रोजगार को बढ़ावा देने और घरेलू आय बढ़ाने के लिए एक ग्रामीण संपत्ति आधार बनाना।

कार्यान्वयन की प्रक्रिया

- **नामांकन और आवेदन:** ग्रामीण वयस्क ग्राम पंचायतों में पंजीकरण कराते हैं, तथा आवेदन करने पर रोजगार कार्ड प्राप्त करते हैं।
- **नौकरी आवंटन:** 5 किमी के दायरे में रोजगार का विकल्प, दूर के कार्य स्थलों के लिए अतिरिक्त वेतन का प्रावधान।

मनरेगा की मुख्य विशेषताएं

- रोजगार की गारंटी देता है, जिसमें कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं होती हैं।
- राज्य के कृषि मजदूरों की मजदूरी अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार भुगतान।
- परियोजना में न्यूनतम 60:40 वेतन तथा निर्माण सामग्री अनुपात अनिवार्य है।
- ग्राम सभाएं स्थानीय भागीदारी के लिए कम से कम 50% परियोजनाओं की सिफारिश करती हैं और उन्हें क्रियान्वित करती हैं।
- जवाबदेही के लिए दीवार लेखन, नागरिक बोर्ड और सामाजिक ऑडिट के माध्यम से सक्रिय प्रकटीकरण।
- मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक खर्चों के लिए केंद्र सरकार और राज्यों के बीच लागत साझाकरण का प्रावधान।
- देरी होने पर बेरोजगारी भत्ते के साथ मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार।

मनरेगा की चुनौतियां

आर्थिक:
- कम मजदूरी दर के कारण स्थानीय ठेकेदारों के प्रभुत्व में वृद्धि।
- अपर्याप्त बजटीय आवंटन, शुरुआती महीनों में ही धनराशि खत्म हो जाना।

प्रशासनिक:
- जॉब कार्डों का निर्माण, मांग-आपूर्ति में मेल न होना और वेतन भुगतान में देरी।
- बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न करना और अप्रभावी स्थानीय निकाय।

राजनीतिक:
- संसाधन उपलब्धता में विषमता, बेहतर योजना क्षमताओं वाले राज्यों का पक्ष लेना।
- अनियमित मस्टर रोल और बिचौलियों के माध्यम से भ्रष्टाचार।

सामाजिक:
- निष्पादित कार्यों के लिए भुगतान करते समय श्रमिकों के साथ व्यवहार संबंधी निहितार्थ।
- विशिष्ट कौशल के क्षरण द्वारा कुशल व्यवसायों को नुकसान।

मनरेगा का महत्व

- सबसे बड़ी वैश्विक सामाजिक सुरक्षा योजना, कमजोर वर्गों को सशक्त करने हेतु।
- महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों की व्यापक भागीदारी एवं गरीबी उन्मूलन में योगदान।
- संकटग्रस्त प्रवासन में भारी कमी और मनरेगा परिवारों में बाल शिक्षा में वृद्धि।
- ग्रामीण श्रम बाजार की गतिशीलता में परिवर्तन, मनरेगा परिवारों की आय में वृद्धि।
- मजदूरी दरों और क्रय शक्ति में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन, स्थानीय साहूकारों पर निर्भरता कम करना।
- योजना और निगरानी में विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत करना।

ब्रेन बूस्टर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

NHRC के बारे में

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को स्थापित भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) देश में मानव अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

NHRC का अवलोकन

- एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- भारतीय संवैधानिक गारंटियों और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के साथ तालमेल बिठाते हुए, मानवाधिकारों के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है।
- संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार मानवाधिकार, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए अंतर्निहित हैं।
- 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) ने एक मील का पत्थर स्थापित किया, जिससे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की आवश्यकता महसूस हुई।
- पेरिस सिद्धांतों ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए NHRC की स्थापना की नींव रखी।

आगे की राह

NHRC के आलोचनात्मक मूल्यांकन से मानवाधिकारों को कायम रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का पता चलता है, लेकिन इष्टतम प्रभावशीलता के लिए इसमें पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

NHRC की संरचना

सदस्य:

- बहु-सदस्यीय निकाय में एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य और सात मानित सदस्य शामिल होते हैं।

अध्यक्ष पात्रता:

- ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, अध्यक्ष बनने के लिए पात्र है।

नियुक्ति प्रक्रिया:

- राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है।
- 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियाँ।
- समिति के सदस्य:
  - प्रधानमंत्री
  - लोकसभा अध्यक्ष
  - राज्य सभा के उपसभापति
  - संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता
  - केंद्रीय गृह मंत्री

कार्यकाल:

- अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।

हटाने का अधिकार:

- राष्ट्रपति के पास विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने का अधिकार है।

हटाने का मापदंड:

- निष्कासन केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप पर ही हो सकता है।
- कदाचार या अक्षमता स्थापित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच आवश्यक है।

भूमिका एवं प्रमुख कार्य

- एक सिविल कोर्ट की शक्तियों से संपन्न, NHRC अपनी कार्यवाही में न्याय सुनिश्चित करता है।
- मानवाधिकार शिकायतों की स्वत: संज्ञान से या याचिकाओं के माध्यम से जांच करता है।
- मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अधिकार।
- विशिष्ट प्रभाग कानून, जांच, नीति अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- लोक सेवकों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन या रोकथाम में लापरवाही की शिकायतों की जांच करना।
- प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार को सिफारिशें करना।

ब्रेन बूस्टर

गरबा नृत्य

चर्चा में क्यों ?

यूनेस्को ने, बोत्सवाना में, अंतर सरकारी समिति के 18वें सत्र के दौरान आधिकारिक तौर पर गुजरात के गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH- Intangible Cultural Heritage) की अपनी प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है।

अन्य ICH जिन्होंने यूनेस्को ICH सूची में स्थान बनाया

- 2013 में मणिपुर का संकीर्तन।
- 2014 में जंडियाला गुरु, पंजाब के ठठेरों द्वारा पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का का शिल्प।
- 2016 में योग और नवरोज।
- 2017 में कुम्भ मेला।
- 2021 में दुर्गा पूजा।

ICH की सुरक्षा के लिए भारत द्वारा उठाए गये कदम

- भारत को 2022-2026 चक्र के लिए ICH की सुरक्षा के लिए यूनेस्को 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है।
- संगीत नाटक अकादमी को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संबंधित मामलों से निपटने के लिए नोडल कार्यालय बनाया गया है।
- सरकार ने भारत की अमूर्त विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए एक योजना शुरू की है।
- भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने, संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए संस्थानों, समूहों आदि को पुनः सशक्त करना।

गरबा के बारे में

- गरबा एक गुजराती लोक नृत्य है जो हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। यह त्यौहार बुराई पर जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- यूनेस्को सूची में शामिल होने वाली यह भारत की 15वीं सांस्कृतिक विरासत है। 2021 में, दुर्गा पूजा अंतिम सांस्कृतिक विरासत थी जिसे सूची में शामिल किया गया था।
- गरबा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द गर्भ से हुई है, जो जीवन और सृजन को दर्शाता है।
- यह नृत्य एक दीप या देवी शक्ति की तस्वीर के चारों ओर लयबद्ध संगीत, गायन और ताली के साथ किया जाता है तथा नारीत्व का जश्न मनाता है।
- यह नृत्य उम्र, लिंग या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना कोई भी कर सकता है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शब्द उन प्रथाओं, प्रतिनिधित्वों, अभिव्यक्तियों, ज्ञान, कौशल और सांस्कृतिक स्थानों को संदर्भित करता है जिन्हें किसी समुदाय, समूह या व्यक्ति की सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है।
- 2003 में, यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन को अपनाया, जो मानव संस्कृति की विविध अभिव्यक्तियों की रक्षा, प्रचार और संचार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- कन्वेंशन द्वारा ICH के लिए दो महत्वपूर्ण सूचियों की स्थापना की गयी है:
  - **प्रतिनिधि सूची:** ICH की वैश्विक विविधता को प्रदर्शित करते हुए, यह सूची हेरिटेज के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाती है।
  - **तत्काल सुरक्षा सूची:** संकटग्रस्त ICH की पहचान करते हुए, यह सूची इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों की मांग करती है।
- इसके उदाहरण इस प्रकार से दिये जा सकते है:
  - भाषाएँ, मौखिक परंपराएँ, साहित्य और कविता।
  - संगीत, नृत्य और रंगमंच जैसी प्रदर्शन कलाएँ।
  - सामाजिक प्रथाएं, रीति-रिवाज और उत्सव संबंधी कार्यक्रम।
  - प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और अभ्यास।
  - पारंपरिक शिल्प कौशल, जैसे मिट्टी के बर्तन, बुनाई और धातुकर्म।

सुशासन दिवस

चर्चा में क्यों ?

प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को भारत सुशासन दिवस मनाता है। इस दिन की स्थापना 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर सम्मानित करने के लिए की गई थी। वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व में शासन व्यवस्था में सुधार के प्रयास लोगों के जीवन में दिखने लगे थे।

शासन

- 'शासन' की अवधारणा नई नहीं है। यह मानव सभ्यता जितनी ही पुरानी है।
- शासन को निर्णय लेने की प्रक्रिया और उन निर्णयों को लागू करने (या लागू नहीं करने) की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- सरकार, शासन व्यवस्था में कर्ताओं में से एक है। शासन में शामिल अन्य कर्ता सरकार के स्तर के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं।

सुशासन

सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएँ हैं।

- **भागीदारी:** पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी सुशासन की प्रमुख आधारशिला है। भागीदारी या तो प्रत्यक्ष या वैध मध्यवर्ती संस्थानों या प्रतिनिधियों के माध्यम से हो सकती है।
- **कानून का शासन:** सुशासन के लिए निष्पक्ष कानूनी ढांचे की आवश्यकता होती है जिसे निष्पक्ष रूप से लागू किया जाता है। इसके लिए मानवाधिकारों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। कानूनों के निष्पक्ष कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक निष्पक्ष एवं ईमानदार पुलिस बल की आवश्यकता होती है।
- **पारदर्शिता:** पारदर्शिता का अर्थ है कि लिए गए निर्णय और उनका कार्यान्वयन नियमों और विनियमों का पालन करते हुए किया जाता है। इसका यह भी अर्थ है कि जानकारी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो और उन लोगों के लिए सीधे पहुंच योग्य हो जो ऐसे निर्णयों और उनके कार्यान्वयन से प्रभावित होंगे।
- **प्रतिक्रियाशीलता:** सुशासन के लिए आवश्यक है कि संस्थान और प्रक्रियाएं उचित समय सीमा के भीतर सभी हितधारकों को सेवा प्रदान करने का प्रयास करें।
- **सर्वसम्मति उन्मुखी:** किसी भी समाज में कई कर्ता और उतने ही दृष्टिकोण होते हैं। सुशासन के लिए समाज में विभिन्न हितों की मध्यस्थता की आवश्यकता होती है ताकि समाज में इस बात पर व्यापक सहमति बन सके कि पूरे समुदाय के सर्वोत्तम हित में क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
- **समानता और समावेशिता:** एक समाज की भलाई यह सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है कि उसके सभी सदस्यों को यह महसूस हो कि इसमें उनकी हिस्सेदारी है और वे समाज की मुख्यधारा से अलग महसूस नहीं करते हैं। इसके लिए सभी समूहों, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों, को अपनी स्थिति में सुधार करने या बनाए रखने के अवसर की आवश्यकता होती है।
- **प्रभावशीलता और दक्षता:** सुशासन का अर्थ है कि प्रक्रियाएं और संस्थान, लक्ष्य प्राप्ति हेतु संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए समाज की जरूरतों को पूरा करते हैं।
- **जवाबदेही:** जवाबदेही सुशासन की एक प्रमुख आवश्यकता है। न केवल सरकारी संस्थान बल्कि निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों को भी जनता और उनके संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

ब्रेन बूस्टर

ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के रिवर सिटीज एलायंस से प्रेरित 'ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस' (GRCA) को COP28, दुबई के इंडियन पवेलियन में लॉन्च किया गया।

गठबंधन के बारे में

- यह गठबंधन 2021 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) के सहयोग से NMCG द्वारा गठित मौजूदा रिवर सिटीज अलायंस (RCA) को बढ़ावा देने के लिए देशों, नदी-शहरों, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों और ज्ञान प्रबंधन संस्थाओं को एक साथ लाता है।
- GRCA 11 देशों के 275$ वैश्विक नदी-शहरों को कवर करने वाले एक अद्वितीय गठबंधन है।
- **भागीदार देश और नदी-शहर:** भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, तथा हेग (डेन हाग), एडिलेड और स्जोलनोक जैसे नदी-शहर।
- **अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियां:** विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी) और केपीएमजी।

उद्देश्य

- GRCA का शुभारंभ वैश्विक नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह गठबंधन विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला गठबंधन है, जो नदियों और उनके पारिस्थितिक तंत्र की भलाई के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- यह मंच साझा विशेषज्ञता को बढ़ावा देगा और वैश्विक फंडिंग एजेंसियों को नदी शहरों के साथ जुड़ने के अवसर प्रदान करेगा।

हस्तक्षेप के रणनीतिक क्षेत्र

- निर्मल गंगा (अप्रदूषित प्रवाह)
- अविरल गंगा (अप्रतिबंधित प्रवाह)
- जन गंगा (पीपल रिवर कनेक्ट)
- ज्ञान गंगा (अनुसंधान एवं ज्ञान)
- अर्थ गंगा (अर्थव्यवस्था और आजीविका को बढ़ावा देना)

नदी तंत्र के संरक्षण हेतु पहलें

- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मिलियन शौचालय और शहरी क्षेत्रों में 6 मिलियन शौचालय निर्मित हैं।
- नमामि गंगे मिशन जिसे 2014 में गंगा नदी को साफ करने के लिए शुरू किया गया था, यह कार्यक्रम अब शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप योजनाओं में से एक बन गया है।
- शहरी जल क्षेत्र में सुधार के लिए 2015 में अमृत और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं।
- 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन।
- 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ।
- जल शक्ति अभियान: प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2021 में कैच द रेन अभियान।
- 2021 में बांध सुरक्षा कानून बनाने जैसी पहल।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में

- यह मिशन 12 अगस्त 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में लॉन्च किया गया था।
- इसे गंगा नदी के पुनरूद्धार संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिसे अब राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में जाना जाता है।
- इसने राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एनजीआरबीए) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया, जिसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (ईपीए), 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था।

ब्रेन बूस्टर

जीपीएआई शिखर सम्मेलन 2023

चर्चा में क्यों ?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी 2023 शिखर सम्मेलन 2023 12-14 दिसंबर को नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिक्षाविदों के विशेषज्ञता को एक साथ लाया गया ताकि एआई-संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

थीम

शिखर सम्मेलन ने जीपीएआई कार्य समूहों को चार विषयों पर अपने काम के हालिया विकास को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया। ये हैं:

- जिम्मेदार एआई
- डाटा गवर्नेंस
- कार्य का भविष्य
- नवाचार और व्यावसायीकरण

GPAI की पृष्ठभूमि

- एआई पर वैश्विक भागीदारी (GPAI- Global Partnership on Artificial Intelligence) एक बहु-हितधारक पहल है जिसका उद्देश्य एआई से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों का समर्थन करके एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है।
- GPAI के सचिवालय के अंतर्गत एक परिषद और एक संचालन समिति है। इसका सचिवालय OECD द्वारा होस्ट किया जाता है। जीपीएआई के दो विशेषज्ञता केंद्र हैं:
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उन्नति के लिए मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता केंद्र, मॉन्ट्रियल।
  - फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेरिस।

सदस्य

GPAI के 29 सदस्य हैं। ये हैं

1. अर्जेंटीना
2. ऑस्ट्रेलिया
3. बेल्जियम
4. ब्राजील
5. कनाडा
6. चेक गणराज्य
7. डेनमार्क
8. फ्रांस
9. जर्मनी
10. भारत
11. आयरलैंड
12. इजराइल
13. इटली
14. जापान
15. मेक्सिको
16. नीदरलैंड
17. न्यूजीलैंड
18. पोलैंड
19. कोरिया गणराज्य
20. सेनेगल
21. सर्बिया
22. सिंगापुर
23. स्लोवेनिया
24. स्पेन
25. स्वीडन
26. टर्की
27. यूनाइटेड किंगडम
28. संयुक्त राज्य अमेरिका
29. यूरोपीय संघ

जेनरेटिव एआई और नौकरियां

- कार्य पर जेनरेटिव एआई के संभावित प्रभावों के आईएलओ के एक हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश व्यवसाय स्वचालित होने के बजाय प्रौद्योगिकी द्वारा 'संवर्धित' होंगे।
- प्रौद्योगिकी कुछ कार्यों को स्वचालित करने की अनुमति दे सकती है, जिससे संभावित रूप से अधिक आकर्षक काम के लिए समय निकल सकता है। जेनरेटिव एआई के खराब प्रबंधन से कार्य की गुणवत्ता खराब भी हो सकती है।

जनरेटिव एआई और कार्य का भविष्य

- कार्यक्षेत्र के भविष्य के लिए जेनरेटिव एआई की परिवर्तनकारी क्षमता बहुत अधिक है।
- पिछले एआई विकासों के विपरीत, जेनरेटिव एआई मॉडल में कई उद्योगों और विभिन्न कौशल स्तरों पर नौकरियों को प्रभावित करने की गुंजाइश, बहुमुखी प्रतिभा और आर्थिक व्यवहार्यता होती है।
- एआई वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में समृद्धि को बढ़ावा दे सकता है लेकिन नैतिक, पारदर्शी और जिम्मेदार विकास और तैनाती के महत्व को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
- जेनरेटिव एआई के प्रभाव को संबोधित नहीं करने पर, स्थायी और समावेशी भविष्य की योजना बनाना संभव नहीं होगा।

ब्रेन बूस्टर

भारत-मालदीव संबंध

चर्चा में क्यों?

मालदीव ने घोषणा की है कि वह भारत के साथ अपने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को नवीनीकृत नहीं करेगा। नई मालदीव सरकार ने द्विपक्षीय समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला लिया है, जो 7 जून, 2024 को समाप्त हो रहा है। समझौते के अनुसार कोई भी देश जून 2024 में इसकी समाप्ति से छह महीने पहले समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का विकल्प चुन सकता है।

विकास हेतु सहायता

- मालदीव को भारत द्वारा विकास हेतु सहायता में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, कौशल और क्षमता निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं।
- वर्तमान में, इस क्षेत्र में भारत-सहायता प्राप्त परियोजनाओं में 34 द्वीपों पर जल और सीवरेज परियोजनाएं, अन्य द्वीपों के लिए पुनर्ग्रहण परियोजनाएं, गुलहिफाल्हू पर एक बंदरगाह, हनीमाधू में हवाई अड्डे का पुनर्विकास और हुलहुमाले में एक अस्पताल और एक क्रिकेट स्टेडियम शामिल हैं।

प्रवासी और संस्कृति

- लगभग 22,000 की संख्या के साथ मालदीव में भारतीय दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय हैं।
- भारतीय प्रवासी समुदाय में कई द्वीपों में फैले श्रमिकों के साथ-साथ डॉक्टर, शिक्षक, एकाउंटेंट, प्रबंधक, इंजीनियर, नर्स और तकनीशियन आदि पेशेवर भी शामिल हैं।

हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता

- 8 जून, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- यह समझौता भारत को द्वीप राष्ट्र के क्षेत्रीय जल की गहन जांच करने की अनुमति देता है, जिसमें चट्टानें, लैगून, समुद्र तट, समुद्री धाराएं और ज्वारीय स्तर शामिल हैं।
- हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, सर्वेक्षण जहाजों द्वारा किया जाता है, जो जल निकाय के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सोनार जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं।
- यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के अनुसार, ये सर्वेक्षण दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 'जल की गहराई, समुद्र तल और समुद्र तट का आकार, संभावित अवरोधों का स्थान और जल निकायों की भौतिक विशेषताओं का पता लगाने और समुद्री यातायात की सुरक्षा' में मदद करते हैं।

नवीनीकृत न करने के कारण

- राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की नई सरकार ने मांग की है कि भारत, मालदीव में तैनात अपने सैन्य सैनिकों को वापस ले।
- मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के राष्ट्रपति सोलिह को अधिक भारत समर्थक माना जाता था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी मालदीव की प्रोग्रेसिव पार्टी (पीपीएम) के मोहम्मद मुइज्जू को कथित तौर पर अधिक चीन समर्थक के रूप में देखा जाता है।

सहयोग के क्षेत्र

राजनीतिक:

- द्विपक्षीय संबंधों को सभी स्तरों पर नियमित संपर्कों द्वारा पोषित और मजबूत किया गया है। राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने मालदीव का दौरा किया।

आर्थिक:

- दक्षिण एशियाई देशों में मालदीव की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। हालाँकि, यह धरातल पर परिलिक्षित नहीं होता है क्योंकि कानून के अनुसार, विदेशी निवेशक को उसकी कमाई का अधिक से अधिक लाभ देना है।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

एसयूवीएएस (SUVAS)

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रशिक्षित अनुवादक उपकरण एसयूवीएएस को तैनात किया है।
- एसयूवीएएस को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। यह उपकरण विशेष रूप से न्यायिक क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है और वर्तमान में इसमें अंग्रेजी न्यायिक दस्तावेजों, आदेशों या निर्णयों का ग्यारह स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नई दिल्ली घोषणा

- हाल ही में भारत 12 से 14 दिसंबर, 2023 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की।
- शिखर सम्मेलन के बाद सभी 28 देश एवं यूरोपियन यूनियन ने जीपीएआई के नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमत हुए।
- घोषणा पत्र में कहा गया कि एआई के उपयोग के लिए एक वैश्विक ढांचा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों में निहित होना चाहिए जिसमें गरिमा व कल्याण की रक्षा करना, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना, लागू बौद्धिक संपदा अधिकारों, गोपनीयता की सुरक्षा, नवाचार को बढ़ावा देना और लोगों के बीच विश्वसनीयता को बढ़ावा देना।

कोडेक्स (Codex) एलिमेंटेरियस आयोग का 46वां सत्र सम्पन्न

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य मानक निकाय, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग ने रोम में आयोजित 46वें सत्र के दौरान खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को अपनाया।
- उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करने और खाद्य व्यापार में निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करना, इसका मैंडेट है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक संयुक्त पहल है।

दिशा-निर्देश:

- कच्चे बीफ, ताजी पत्तेदार सब्जियों, कच्चे दूध के पनीर और स्प्राउट्स में शिगा टॉक्सिन-उत्पादक एस्चेरिचिया कोली (एसटीईसी) के नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश दिया गया।
- खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण में पानी के सुरक्षित उपयोग तथा पुन: उपयोग के लिए भी दिशानिर्देश दिये गये।

सत्र में भारत की भूमिका:

- कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (सीएसी) ने बाजरा पर भारत के मानकों की प्रशंसा की है और बाजरा के लिए वैश्विक मानकों के विकास के उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
- भारत ने 8 गुणवत्ता मानकों को निर्दिष्ट करते हुए 15 प्रकार के बाजरा के लिए एक व्यापक समूह मानक तैयार किया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बैठक में जोरदार सराहना मिली। कोडेक्स में वर्तमान में ज्वार और बाजरा के लिए मानक निर्धारित हैं।

महत्त्वपूर्ण खनिजों की नीलामी

- हाल ही में खान मंत्रालय ने महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहली किश्त की नीलामी शुरू की।
- ये महत्त्वपूर्ण खनिज हमारे देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक हैं। इन खनिजों की उपलब्धता कम है या उनका निष्कर्षण या प्रसंस्करण कुछ ही देशों में केंद्रित है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था उन प्रौद्योगिकियों पर आधारित होगी जो लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई) जैसे खनिजों पर अत्यधिक निर्भर हैं। यह खनिज 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50 प्रतिशत संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- जल्द ही 17 अगस्त 2023 को एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के माध्यम से 24 खनिजों को महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह संशोधन केंद्र सरकार को इन खनिजों के लिए खनिज रियायतें देने का अधिकार देता है ताकि केंद्र सरकार इनकी नीलामी को प्राथमिकता दे सके। देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन खनिजों की नीलामियों से एकत्रित राजस्व राज्य सरकारों को भी मिलेगा।

एमएल/सीएफटी संवाद

- हाल ही में भारत और अमेरिकी सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/सीएफटी) वार्ता की सह-अध्यक्षता की।
- प्रतिभागियों ने अवैध वित्त जोखिमों को कम करते हुए जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के फोकस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं के साथ प्रत्येक देश के अनुभव पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने नियामक मध्यस्थता के मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्य बल (एफएटीएफ) की सिफारिशों के अनुरूप, आभासी संपत्तियों के लिए एएमएल/सीएफटी मानकों के वैश्विक कार्यान्वयन में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता को पहचानने पर बल दिया।

जेलिफिश

- वैज्ञानिकों ने हाल ही में जापान के तट के पास 240 टेंटेकल वाली सैंटजॉर्डिया पगेसी नाम की 'रहस्यमय जेलीफिश' की पुष्टि की है। इसमें चमकीले लाल, क्रॉस-आकार के पेट जैसी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं।

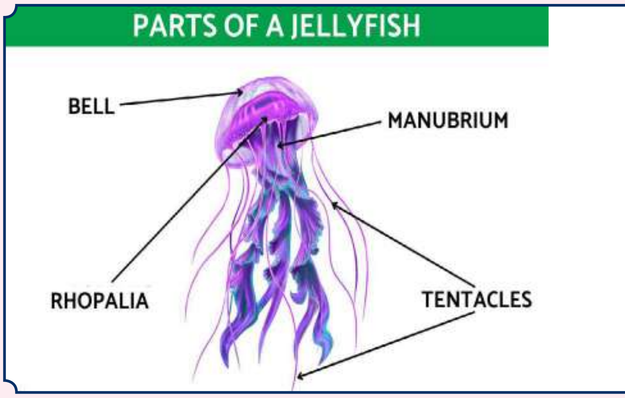

जेलिफिश के बारे में:

- यह स्किफोजोआ (फाइलम निडारिया) वर्ग का एक प्लवकीय समुद्री सदस्य है जो अकशेरुकी जानवरों का एक समूह है।
- जेलिफिश को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, वे जो स्वतंत्र रूप से तैरने वाले मेडुसे हैं और वे जो सेसाइल हैं अर्थात ऐसे जानवर जो डंठल द्वारा समुद्री शैवाल तथा अन्य वस्तुओं से जुड़े होते हैं।
- उनमें से अधिकांश केवल कुछ सप्ताह ही जीवित रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ एक वर्ष या उससे अधिक समय तक जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं।
- वे बायोलुमिनसेंट भी हो सकते हैं जिसका अर्थ है कि वे अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं।

बाराकुडा

- हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर-इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा को अलाप्पुझा के नवगाथी पनावली यार्ड में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया।
- बाराकुडा को नेवल्ट द्वारा डिजाइन किया गया है जिसे 12 यात्रियों और कार्गो को ले जाने के लिए एक वर्कबोट के रूप में कम गहराई के समुद्र में भी तैनात किया जा सकता है। 14-मीटर लंबा, 4.4-मीटर चौड़ा यह जहाज 12.5 समुद्री मील (23 किमी प्रति घंटे) की शीर्ष गति प्राप्त कर सकता है और एक बार चार्ज करने पर इसकी सीमा सात घंटे है।

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC) सोसायटी

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल (BRIC) सोसाइटी की पहली बैठक में भारत के लिए 'बायो-विजन' को परिभाषित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- बायोटेक के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए BRIC 14 शीर्ष विज्ञान स्वायत्त संस्थानों को एक एकीकृत मंच के तहत एक साथ लाता है।
- BRIC सोसाइटी का लक्ष्य सार्वजनिक-निजी अनुसंधान भागीदारी में संलग्न होना, गैर-सरकारी संसाधनों को जोड़ना और एक सामान्य शासी निकाय के तहत 14 सम्मिलित संस्थानों में से प्रत्येक के लिए अलग-अलग अनुसंधान मैंडेट बनाए रखना है।
- जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC) भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के तहत संचालित एक शीर्ष स्वायत्त समाज है।
- इसकी स्थापना पूरे देश में बायोटेक प्रशासन को केंद्रीकृत और एकीकृत करने के उद्देश्य से की गई थी।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई)

- हाल ही में जारी हुए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) में भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया है जो अपनी पिछली रैंकिंग से

सराहनीय सुधार दर्शाता है। रिपोर्ट उत्सर्जन को प्रभावित करने में नवीकरणीय ऊर्जा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) जलवायु परिवर्तन से निपटने के देशों के प्रयासों को ट्रैक करता है। एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के रूप में इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाना और अलग-अलग देशों द्वारा किए गए जलवायु संरक्षण प्रयासों तथा प्रगति की तुलना करना संभव बनाना है। जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क 2005 से प्रतिवर्ष सूचकांक प्रकाशित करते हैं।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए डेल्टा रैंकिंग

- हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की।
- तेलंगाना के कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले का तिरियानी ब्लॉक पहली डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के कौशांबी ब्लॉक ने दूसरा स्थान हासिल किया।
- कार्यक्रम की रणनीति मौजूदा योजनाओं को मजबूत करने, परिणामों को परिभाषित करने और प्रगति की सावधानीपूर्वक निगरानी करने के इर्द-गिर्द घूमती है। कई हितधारकों के साथ सहयोग करते हुए इस पहल ने परियोजना की प्रगति का आंकलन करने के लिए 40 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) की पहचान की है। पाँच विषयों में वर्गीकृत इन KPI ने प्रारंभिक तिमाही के दौरान हुई प्रगति के आधार पर पहली डेल्टा रैंक की गणना का आधार बनाया।

सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार

प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

पुरस्कार के बारे में:

- आईएफएफआई सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड (पूर्व में आईएफएफआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड) भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्राप्तकर्ता को विश्व सिनेमा के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1999 में 30वें आईएफएफआई से शुरू किया गया था।

बुकर पुरस्कार

आयरिश लेखक पॉल लिंच ने ओल्ड बिलिंग्सगेट में आयोजित एक भव्य समारोह में अपने पांचवें उपन्यास 'पैगंबर सॉन्ग' के लिए इस साल का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार हासिल किया। इसमें नायक इलिश स्टैक द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का चित्रण किया गया है क्योंकि राष्ट्र अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है।

बुकर पुरस्कार के बारे में:

- बुकर पुरस्कार अंग्रेजी के उपन्यास के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार है।
- बुकर मैककोनेल (एक बहुराष्ट्रीय कंपनी) ने 1968 में बुकर पुरस्कार की स्थापना की। प्रारंभ में केवल यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड गणराज्य और राष्ट्रमंडल देशों के अंग्रेजी भाषा के लेखक ही पात्र थे। हालाँकि, 2013 में यह घोषणा की गई थी कि यह पुरस्कार 2014 से दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा के लेखकों के लिए दिया जाएगा।

टेबल-टॉप व्यायाम (टीटीएक्स)

- हाल ही में भारतीय सेना ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) की महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल-टॉप एक्सरसाइज (TTX) का आयोजन किया।
- टेबल टॉप एक्सरसाइज (टीटीएक्स) एक प्रकार का सिमुलेशन या इंटरैक्टिव चर्चा-आधारित अभ्यास है जो संभावित आपातकालीन या संकट स्थितियों के लिए तैयारियों का आंकलन करने और बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है।
- यह एक परिदृश्य-संचालित अभ्यास है जिसमें प्रमुख हितधारकों, निर्णय निर्माताओं और विषय वस्तु विशेषज्ञों को एक काल्पनिक परिदृश्य या परिदृश्यों के सेट पर चर्चा, विश्लेषण तथा प्रतिक्रिया देने के लिए एक मेज पर इकट्ठा होना शामिल है।
- यह अभ्यास शांति मिशनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (सीयूएनपीके)

के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है जिसमें क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

कंचन देवी

- मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक (डीजी) नियुक्त किया गया है।
- ICFRE भारत में वानिकी अनुसंधान के लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा संगठन है। भारत में वानिकी क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को निर्देशित तथा प्रबंधित करने के लिए ICFRE को 1986 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय (भारत) के तहत बनाया गया था। ICFRE का नेतृत्व एक महानिदेशक करता है जिसका मुख्यालय देहरादून में है। ICFRE 1991 में मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद बन गया।

परम सेन

हाल ही में वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव परम सेन को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के बारे में:

- यह 2014 में अधिनियमित पीएफआरडीए अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक नियामक निकाय है।
- इसका उद्देश्य पेंशन फंड की स्थापना, विकास और विनियमन करके वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा पेंशन फंड की योजनाओं और संबंधित मामलों के ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है।
- यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- संरचना: इसमें एक अध्यक्ष और छह से अधिक सदस्य नहीं होते हैं जिनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

हेनरी किसिंजर

- हाल ही में हेनरी किसिंजर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह अपनी कूटनीतिक क्षमता और शीत युद्ध के इतिहास को आकार देने के लिए जाने जाते थे।
- किसिंजर ने सोवियत संघ के साथ डिटेंट (Detente) की नीति का नेतृत्व किया, चीन के साथ संबंध स्थापित करने की योजना बनाई, योम किप्पुर युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्य पूर्व में 'शटल कूटनीति' में भूमिका निभाई और पेरिस शांति समझौते की पेशकश की जिससे वियतनाम में अमेरिकी भागीदारी समाप्त हो गई।

वेलकम टू पैराडाइज

- हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेत्री और लेखिका ट्विंकल खन्ना ने अपनी चौथी पुस्तक 'वेलकम टू पैराडाइज' लॉन्च किया। लघु कथाओं का संग्रह यह पुस्तक प्रेम, विवाह और अकेलेपन से जूझ रही महिलाओं के जटिल जीवन पर प्रकाश डालती है।

प्रणब, मेरे पिता: एक बेटी की याद

- हाल ही में शर्मिष्ठा मुखर्जी द्वारा लिखित 'प्रणब, माई फादर: ए डॉटर रिमेम्बर्स' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह किताब प्रणब मुखर्जी और शर्मिष्ठा के बीच पिता-बेटी के रिश्ते का भी आईना है। किताब में प्रणब मुखर्जी और गांधी परिवार के रिश्ते का व्यापक स्तर पर जिक्र किया गया है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. हाल ही में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में नौसेना डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान एक फास्ट अटैक क्राफ्ट (FAC) INS तारमुगली को लॉन्च किया। आईएनएस तारमुगली भारतीय नौसेना के कार निकोबार श्रेणी का एक गश्ती जहाज है और चार वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट (डब्ल्यूजेएफएसी) की श्रृंखला में पहली जहाज है।
2. हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) देश में सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो (लगभग 630 करोड़) लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुआ।
3. हाल ही में एक मेडिकल छात्रा और महत्त्वाकांक्षी सर्जन रिजुल मैनी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का प्रतिष्ठित खिताब जीता।
4. हाल ही में महिला वर्ग में अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है।
5. हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), पुणे और रक्षा मंत्रालय ने 5,336.25 करोड़ रुपये की कुल लागत पर भारतीय सेना को दस वर्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेज (Fuzes) प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक सौदा किया।
6. तमिलों के बीच पूजनीय सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का फ्रांसीसी शहर सेर्गी में अनावरण किया गया।
7. हाल ही में केके बिड़ला फाउंडेशन पुष्पा भारती के 2016 के संस्मरण 'यादें, यादें और यादें' को वर्ष 2023 के लिए विख्यात व्यास सम्मान के लिए नामित किया।
8. हाल ही में अभिनेता कबीर बेदी को इटली द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक' से सम्मानित किया गया है।
9. हाल ही में 'शार अमरतला टोरग्या' महोत्सव अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है।
10. हाल ही में पोलैंड की संसद ने डोनाल्ड टस्क को देश का प्रधानमंत्री चुना है।
11. हाल ही में भारत और वियतनाम ने हनोई में संयुक्त सैन्य अभ्यास VINBAX-2023 आयोजित किया।
12. हाल ही में IQAir की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का लाहौर शहर खराब वायु गुणवत्ता के साथ वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर है।
13. हाल ही में गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को कड़ी टक्कर देने के लिए अपना उन्नत एआई मॉडल जेमिनी एआई लॉन्च किया है।
14. हाल ही में 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया जिसका उद्देश्य मिट्टी के महत्त्व के बारे में जागरूकता फैलाना है।
15. हाल ही में भारत ने IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में 3 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीते।
16. हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 का 24वां संस्करण नागा हेरिटेज विलेज किसामा में आयोजित किया गया था।
17. हाल ही में नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF-2023) का आयोजन किया गया। ओडिशा पवेलियन ने राज्य पवेलियन श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक जीता है। मेले का विषय 'वसुधैव कुटुंबकम' रहा है।
18. हाल ही में पंजाब की हॉकी टीम ने गत चैंपियन हरियाणा को हराकर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप का खिताब जीता।
19. हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया के पहले स्वदेश निर्मित पोर्टेबल अस्पताल 'आरोग्य मैत्री क्यूब' का उद्घाटन किया गया।
20. हाल ही में भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को पूरे देश में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' की याद दिलाता है।
21. ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) ने हालिया अपडेट में कहा है कि म्यांमार अफगानिस्तान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बन गया है।
22. हाल ही में भारतीय सेना की कैप्टन फातिमा वसीम ने चुनौतीपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रचा है।
23. हाल ही में ओडिशा के बरहामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चिल्का झील में समुद्री एम्फिपोड की एक नई प्रजाति का अनावरण किया है जिसका नाम डेमोरचेस्टिया एलानेंसिस है जो वैश्विक समुद्री जैव विविधता में योगदान दे रही है।

चर्चा में रहे प्रमुख स्थल

क्रा इस्तमस (Kra Isthmus)

'क्रा इस्तमस, थाईलैंड में स्थित एक स्थलडमरूमध्य है जिसने हाल ही में चीन की इंडो-पैसिफिक रणनीति के लिए अपनी प्रासंगिकता के कारण ध्यान आकर्षित किया है।

क्रा इस्तमस के बारे में:

- क्रा इस्तमस थाईलैंड में एक भूमि पुल है जो मलय प्रायद्वीप को शेष महाद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है।
- यह पश्चिम में अंडमान सागर और पूर्व में थाईलैंड की खाड़ी के बीच स्थित है।
- क्रा इस्तमस को कभी-कभी 'डेविल्स नेक' भी कहा जाता है क्योंकि यह थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर से आने-जाने वाले शिपिंग के लिए बाधा उत्पन्न करता है।
- क्रा इस्तमस नहर जिसे थाई नहर या क्रा इस्तमस नहर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रस्तावित नहर परियोजना है जो थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ेगी।
- आर्थिक गलियारा चीन समर्थित पहल में बदल गया है जिसके दोनों छोर पर बंदरगाह हैं।

सेशेल्स

- सेशेल्स देश की राजधानी विक्टोरिया है।
- सेशेल्स हिंद महासागर में मेडागास्कर के उत्तर-पूर्व में और केन्या से लगभग 1,600 किमी पूर्व में 115 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है।
- यह सोमाली सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है।
- **सीमाएँ:** सेशेल्स कोमोरोस, मेडागास्कर और मॉरीशस जैसे द्वीप देशों के साथ समुद्री सीमाएँ साझा करता है।

भौगोलिक विशेषताएँ:

- सेशेल्स का उच्चतम बिंदु मोर्न सेशेलोइस है।
- एल्डाब्रा में अत्यधिक पारिस्थितिक महत्त्व है, यह वनस्पतियों और जीवों की एक विविध श्रृंखला की मेजबानी करता है जो कि विशाल कछुओं जैसी दुर्लभ प्रजातियों का आवास है।
- इसमें प्रवाल द्वीप और चट्टानी भूभाग दोनों शामिल हैं जिसमें इसके विविध द्वीपसमूह के साथ संकीर्ण तटरेखाएँ स्थित हैं।
- यहां आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है जिसमें पूरे वर्ष लगातार आर्द्रता, उच्च तापमान और प्रचुर वर्षा होती है।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. लोकसभा की आचार समिति कथित अनैतिक आचरण के लिए किसी सांसद को निष्कासित करने की सिफारिश कर सकती है।

2. संविधान में सदस्यों के निष्कासन का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में, राज्य सभा ने सीईसी और अन्य ईसी (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी है।

2. विधेयक चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 को निरस्त करता है।

3. विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो चुनाव आयुक्तों (ईसी) के लिए नियुक्ति प्रक्रिया और सेवाओं की शर्तों का प्रावधान करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो

C. तीनों D. कोई नहीं

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रशिक्षित अनुवादक उपकरण SUVAS को तैनात किया है।

2. एसयूवीएएस को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग ने रोम में आयोजित अपने 46वें सत्र के दौरान खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को अपनाया।

2. कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक संयुक्त पहल है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

5. जेलिफिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. वैज्ञानिकों ने हाल ही में जापान के तट के पास 240 टेंटेकल वाली सैंटजॉर्डिया पगेसी नाम की 'रहस्यमय' जेलीफिश की पुष्टि की है।

2. यह स्किफोजोआ (फाइलम निडारिया) वर्ग का एक प्लवकीय समुद्री सदस्य है, जो अकशेरुकी जानवरों का एक समूह होता है।

3. जेलिफिश को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, पहले जो स्वतंत्र रूप से तैरने वाली मेडुसे हैं और वे जो सेसाइल हैं (ऐसे जानवर जो एक डंठल द्वारा समुद्री शैवाल और अन्य वस्तुओं से जुड़े होते हैं)।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में, भारत की सबसे तेज सौर-इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा को अलाप्पुझा के नवगाथी पनावली यार्ड में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था।

2. बाराकुडा को नेवलट द्वारा डिजाइन किया गया था और इसमें 12 यात्रियों और कार्गो तक की क्षमता होती है।

3. यह 14 मीटर लंबा, 4.4 मीटर चौड़ा है और 12.5 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो

C. तीनों D. कोई नहीं

7. निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें।

1. हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल (BRIC) सोसाइटी की पहली बैठक आयोजित की गई जिसमें भारत के लिए 'बायो-विजन' को परिभाषित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

2. BRIC 14 शीर्ष विज्ञान स्वायत्त संस्थानों को एक एकीकृत मंच के तहत एक साथ लाता है

3. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC) भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के तहत संचालित एक शीर्ष स्वायत्त संस्था है।

4. इसकी स्थापना पूरे देश में बायोटेक प्रशासन को केंद्रीकृत और एकीकृत करने के उद्देश्य से की गई थी।

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

A. केवल एक B. केवल दो

C. केवल तीन D. चारों

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) में 7वें स्थान पर है

2. जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) जलवायु परिवर्तन से निपटने के देशों के प्रयासों को ट्रैक करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की।

2. तेलंगाना में कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले का तिरियानी ब्लॉक पहली डेल्टा रैंकिंग में अग्रणी बनकर उभरा है।

3. उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के कौशांबी ब्लॉक को दूसरा स्थान हासिल हुआ।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

10. भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणीकरण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह योजना देश में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करती है।

2. यह उन संस्थाओं को बाजार प्रोत्साहन प्रदान करता है जो जिम्मेदार वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं का पालन करते हैं।

3. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल योजना के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. सिर्फ दो
C. सभी तीन
D. इनमे से कोई भी नहीं

11. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं सही कथनों का चयन करें।

A. 1 जनवरी 2022 को किरिबाती बीजिंग के अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पहल, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने वाला 10वां प्रशांत द्वीप देश बन गया।

B. FIPIC भारत और 18 PIC के बीच सहयोग के लिए विकसित एक बहुराष्ट्रीय समूह है।

C. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में, भारतीय प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के लिए प्रशांत द्वीप देशों के समूह को 150 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है।

D. इनमें से कोई नहीं।

12. S&P 500 किससे संबंधित है?

A. सुपर कंप्यूटर
B. ई-बिजनेस में एक नई तकनीक
C. पुल निर्माण में एक नई तकनीक
D. बड़ी कंपनियों के शेयरों का एक सूचकांक

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2023 के लिए पूरे देश के लिए गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट का अनावरण किया।

2. रिपोर्ट के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष (2022) की तुलना में 11.48 बीसीएम की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

3. रिपोर्ट भूजल पुनर्भरण में वृद्धि के लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराती है, जिसमें नहरों से रिसाव में वृद्धि, सिंचाई जल का वापसी प्रवाह और जल निकायों, टैंकों और जल संरक्षण संरचनाओं से पुनर्भरण शामिल है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

2. आईएफएफआई सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

3. यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1999 में 30वें IFFI से शुरू किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में भारतीय सेना ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) की महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल-टॉप एक्सरसाइज (TTX) का आयोजन किया।

2. टेबल टॉप एक्सरसाइज (टीटीएक्स) एक प्रकार का इंटरैक्टिव चर्चा-आधारित अभ्यास है जो संभावित आपातकालीन या संकट स्थितियों के लिए तैयारियों का आकलन करने और बढ़ाने के लिए

आयोजित किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक (डीजी) नियुक्त किया गया है।

2. ICFRE भारत में वानिकी अनुसंधान के लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा संगठन है।

3. भारत में वानिकी क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को निर्देशित और प्रबंधित करने के लिए, ICFRE को 1986 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय (भारत) के तहत बनाया गया था।

4. आईसीएफआरई का नेतृत्व एक महानिदेशक करता है जिसका मुख्यालय देहरादून में है।

इनमें से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो

C. केवल तीन D. चारों

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है।

2. मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख रेपो दर को 5वीं बार 6.5% पर अपरिवर्तित रखा।

3. एमपीसी ने 6 में से 5 सदस्यों के बहुमत से 'एक्कोमोडेशन वापस लेने' के नीतिगत रुख को भी बरकरार रखा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो

C. तीनों D. कोई नहीं

18. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट (IIR) 2023 जारी की गई है जिसमें बुनियादी ढांचे के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है

2. यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कर्नाटक) लिमिटेड (iDeCK) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

3. iDeCK टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम करने के लिए कर्नाटक सरकार, आईडीएफसी फाउंडेशन और एचडीएफसी के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो

C. तीनों D. कोई नहीं

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के लिए पार्टियों का 28वां सम्मेलन (COP28) दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ।

2. COP28 में, सदस्य देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे देशों को मुआवजा देने के लिए हानि और क्षति (L&D) फंड को संचालित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने एशिया प्रशांत में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिर रुझान पर एक रिपोर्ट जारी की।

2. रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में 74.1% भारतीय संतुलित आहार नहीं ले पाए। 2020 में यह प्रतिशत 76.2% था।

3. वहीं, पाकिस्तान में 82.2% और बांग्लादेश में 66.1% लोगों ने स्वस्थ भोजन प्राप्त करने में असमर्थ रहे।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो

C. तीनों D. कोई नहीं

21. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में दुबई में चल रहे COP28 के मौके पर ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस' (GRCA) लॉन्च किया गया था।

2. यह गठबंधन देशों, नदी-शहरों, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों और ज्ञान प्रबंधन भागीदारों को एक साथ लाता है।

3. जीआरसीए एक अनूठा गठबंधन है जो 11 देशों के 275+ वैश्विक नदी-शहरों को कवर करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो

C. तीनों D. कोई नहीं

उत्तर

1. C	4. C	7. D	10. C	13. C	16. D	19. C
2. C	5. D	8. C	11. C	14. C	17. C	20. C
3. C	6. C	9. C	12. D	15. C	18. C	21. C

राजव्यवस्था और शासन भाग-01

विषय सूची

प्रस्तावना

- नए संसद भवन में प्रस्तावना पंक्ति पर विवाद
- संविधानवाद
- कानून का शासन

नागरिकता और संघ-राज्य क्षेत्र

- राज्यों के बीच सीमा विवाद
- ओसीआई कार्ड
- भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त करने हेतु जनहित याचिका

मौलिक अधिकार

- निजी व्यक्ति के विरुद्ध अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार
- चुप रहने का अधिकार
- निष्क्रिय इच्छामृत्यु: भारत में 'जीवित इच्छा' पर बहस
- बुनियादी संरचना सिद्धांत के 50 वर्ष
- जल्लीकट्टू और कंबाला को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति
- भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने हेतु सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (एमएएससीएस) अधिनियम, 2002
- सिनेमैटोग्राफी (संशोधन) विधेयक, 2023
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (डीपीडीपी), 2023
- विचाराधीन कैदी पर संसदीय रिपोर्ट
- अल्पसंख्यकों की अधिसूचना
- सीमित इंटरनेट शटडाउन और उनका प्रभाव
- हेट स्पीच के खिलाफ कानून बनाने की मांग
- निवारक हिरासत
- डिजिटल पहचान आधार कार्ड

राज्य के नीति निदेशक तत्व

- भारत में मजबूत श्रम सुधार कानून की जरूरत
- समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग की रिपोर्ट
- अनुच्छेद 25-28 और 44 के बीच संतुलन: समान नागरिक संहिता की अनिवार्यता
- भारत के आपराधिक कानूनों में सुधार-3 नए कोड
- प्रोजेक्ट 39ए
- आरोप पत्र कोई सार्वजनिक दस्तावेज नहीं

प्रस्तावना

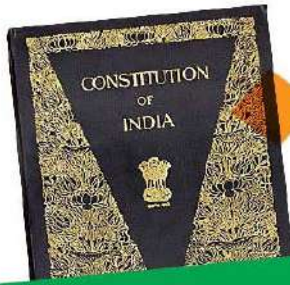

नए संसद भवन में प्रस्तावना पंक्ति पर विवाद

चर्चा में क्यों?

सांसदों को वितरित संविधान की अंग्रेजी प्रतियों में 'समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष' शब्दों की अनुपस्थिति ने नए संसद भवन में एक नए विवाद को जन्म दिया।

प्रस्तावना के बारे में मुख्य बातें:

- यह उस स्रोत को इंगित करता है जिससे संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है।
- यह उन उद्देश्यों को भी बताता है जिन्हें संविधान स्थापित करना और बढ़ावा देना चाहता है।
- प्रस्तावना का पहला वाक्य ही भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र घोषित करता है।
- यहां संप्रभु का मतलब बाहरी मामलों के बारे में स्वतंत्र निर्णय है, समाजवादी का मतलब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है जहां राज्य सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देता है, रिपब्लिकन का मतलब राज्य का प्रमुख चुनाव द्वारा चुना जाएगा, लोकतांत्रिक का मतलब सरकार का एक रूप है जहां लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना है।
- 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय (केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, 1973 एससी 1461) में यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।

संविधानवाद:

- संविधानवाद की अवधारणा एक रूप है जो लोकतांत्रिक सरकार को वैधता प्रदान करती है।
- संविधानवाद में नियंत्रण, संतुलन तथा विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को कुछ प्रतिबंधों के अधीन रखने एवं उन्हें अनियंत्रित और मनमाना न बनाने की परिकल्पना की गई है। असीमित शक्तियाँ लोगों की स्वतंत्रता को खतरे में डालती हैं।
- यदि संविधान विधायिका या कार्यपालिका को अनियंत्रित शक्ति प्रदान करता है, तो यह एक सत्तावादी तथा दमनकारी सरकार को जन्म दे सकता है। इसलिए व्यक्ति की बुनियादी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु और उसके व्यक्तित्व तथा गरिमा को बनाए रखने के लिए संविधान को 'संविधानवाद' से परिपूर्ण होना चाहिए। इसमें सरकारी अंगों को प्रदत्त शक्तियों पर कुछ अंतर्निहित प्रतिबंध होना भी आवश्यक है।

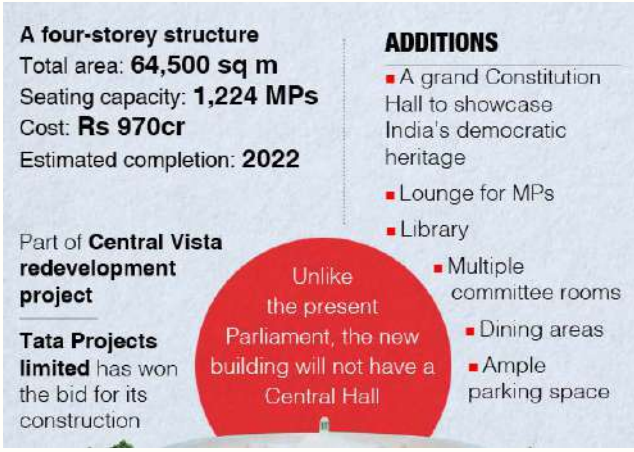

कानून का शासन

चर्चा में क्यों?

भारत में एक सम्मेलन के दौरान हवाई द्वीप के मुख्य न्यायाधीश टॉड डब्ल्यू एडिन्स ने कहा कि प्रतिबद्ध नागरिक कानून के शासन की रक्षा कर सकते हैं, भले ही सत्तावादी शासन इसे हथियार बनाने की कोशिश करता हो।

- कानून के शासन का कोई निश्चित या स्पष्ट अर्थ नहीं है। भारतीय अदालतें समय-समय पर इस वाक्यांश का जिक्र करती रही हैं। कानून के शासन के तहत देश में सत्ता की उचित संरचना, नियंत्रण व सरकार में मनमानी शासन की अनुपस्थिति पर जोर दिया जाता है।
- कानून के शासन की अवधारणा डाइसी द्वारा दी गई थी।
- **कानून की सर्वोचता:** किसी को तब तक दंडित नहीं किया जाता जब तक वह कानून का उल्लंघन न करे।
- **कानून के समक्ष समानता:** सभी नागरिक (अमीर या गरीब, उच्च या निम्न, आधिकारिक या अनौपचारिक) कानून की सामान्य अदालत के समक्ष समान हैं।
- **व्यक्तिगत अधिकार:** इसका अर्थ है कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत होने के बजाय कानून की अदालतों द्वारा स्थापित और लागू किए गए व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है। हालाँकि यह सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता है।

नागरिकता और संघ-राज्य क्षेत्र

राज्यों के बीच सीमा विवाद

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने लोकसभा को सूचित किया कि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के बीच सीमाओं के सीमांकन तथा क्षेत्रों पर दावों और प्रतिदावों से उत्पन्न होने वाले सीमा विवाद चल रहे हैं।

असम और मेघालय विवादः

- असम और मेघालय के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु असम के कामरूप जिले की सीमा से लगा पश्चिम गारो हिल्स का लैंगपिह जिला है।

अरुणाचल प्रदेश-असम विवादः

- इस विवाद की जड़ उत्तर-पूर्वी राज्यों के पुनर्गठन से है जिसमें एकतरफा तौर पर मैदानी इलाकों में कई वन क्षेत्रों को असम में स्थानांतरित कर दिया जो परंपरागत रूप से पहाड़ी आदिवासी प्रमुखों और समुदायों के थे। यहीं विवाद की मुख्य जड़ है।

असम-नागालैंड विवादः

- यह विवाद नागा पहाड़ियों और उत्तरी कछार तथा नागांव जिलों के सभी नागा-बहुल क्षेत्र को लेकर है जो ब्रिटिश समय की 1866 की अधिसूचना के तहत नागा क्षेत्र का हिस्सा थे।

असम-मिजोरम विवादः

- यह विवाद दक्षिणी असम की बराक घाटी और लुशाई पहाड़ियों में सीमाओं को लेकर है जो 1875 तथा 1933 की दो ब्रिटिश-युग की अधिसूचनाओं पर आधारित है।

हिमाचल प्रदेश-लद्दाखः

- हिमाचल और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र दोनों लेह तथा मनाली के बीच मार्ग पर पड़ने वाले क्षेत्र सरचू पर अपना दावा करते हैं जो विवाद का मुख्य कारण है।

हरियाणा-हिमाचल प्रदेशः

- परवाणु क्षेत्र को लेकर दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद चल रहा है।

कर्नाटक-महाराष्ट्रः

- बेलगाम जिला भारत के सबसे बड़े अंतरराज्यीय सीमा विवादों में से एक का हिस्सा है।
- इस जिले में बड़ी संख्या में मराठी और कन्नड़ भाषी आबादी है।
- वर्ष 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब यह क्षेत्र कर्नाटक के अंतर्गत आ गया, जबकि उसके पहले यह बॉम्बे प्रेसीडेंसी के अधीन था।

अन्य सीमा विवाद जो अभी चर्चित नहीं हैं:

- चंडीगढ़ पर हरियाणा-पंजाब के बीच।
- कासरगोड पर कर्नाटक-केरल, केरल का हिस्सा जहां कई कन्नड़ भाषी लोग हैं।
- बंगाल की खाड़ी में कनिका सैंड्स द्वीप के ऊपर ओडिशा-पश्चिम बंगाल के बीच।
- मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर गुजरात-राजस्थान के बीच विवाद प्रमुख हैं।

ओसीआई कार्ड

चर्चा में क्यों?

भारत-कनाडा के बीच चल रहे विवाद के संदर्भ में भारत, खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और भारत विरोधी प्रचार के लिए ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया में है।

ओसीआई के बारे में:

- प्रवासी भारतीयों को ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया (ओसीआई) दिया जाता है। यह भारत में दीर्घकालिक वीजा मुक्त यात्रा और रहने की सुविधा प्रदान करता है तथा कार्डधारकों को कई विशेषाधिकार देता है जो आमतौर पर किसी विदेशी नागरिक को नहीं दिए जाते हैं।

रद्द करने की प्रक्रियाः

- केंद्र सरकार ओसीआई पंजीकरण रद्द कर सकती है, यदि 'किसी व्यक्ति ने कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति असंतोष दिखाया या किसी भी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध या आम जनता के हित में भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक हो।'

OCI कार्ड किसको मिलता है?

- व्यक्ति या तो पहले भारत का नागरिक रहा हो या उसके माता या पिता भारतीय नागरिक रहे हों। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और ईरान ऐसे कुछ देश हैं जहां भारतीय मूल के लोगों को यह सुविधा नहीं मिलती है।

OCI कार्ड का लाभः

- ओसीआई भारत में रहने, काम करने और आजीविका के लिए सभी प्रकार के आर्थिक लेनदेन करने की सुविधा देता है, साथ ही ओसीआई धारक जब चाहे बिना वीजा के भारत आ सकता है। ओसीआई कार्ड जीवन भर के लिए वैध होता है।
- भारतीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, ओसीआई कार्डधारकों को भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार प्राप्त हैं लेकिन वे निम्न कार्यों में प्रतिभाग नहीं कर सकते:

» चुनाव नहीं लड़ सकते।
» वोट नहीं दे सकते।
» सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते।
» कृषि भूमि नहीं खरीद सकते।

- विदेश से आने वाले लोगों को 90 दिन से ज्यादा भारत में रहने पर पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन ओसीआई कार्ड धारकों को इससे छूट दी गई है। अब तक करीब 40 लाख लोगों को ओसीआई कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

ओसीआई के अधिकार और प्रतिबंध:

- ओसीआई कार्डधारक किसी भी उद्देश्य हेतु भारत आने के लिए मल्टीपल एंट्री आजीवन वीजा प्राप्त करने के हकदार होते हैं।
- ओसीआई कार्डों को गतिविधियों के एक सेट के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है जिसमें अनुसंधान, पत्रकारिता, पर्वतारोहण, मिशनरी या तब्लीगी कार्य और प्रतिबंधित क्षेत्रों का दौरा शामिल है।
- घरेलू हवाई किराए, स्मारकों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश शुल्क के मामले में वे भारतीय नागरिकों के बराबर होते हैं।
- ओसीआई अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं जैसे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मेन्स), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (एडवांस) या ऐसे अन्य परीक्षणों में शामिल हो सकते हैं ताकि वे केवल किसी एनआरआई सीट या किसी अन्य सीट पर प्रवेश के लिए पात्र बन सकें। ओसीआई कार्डधारक विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित किसी भी सीट पर प्रवेश के लिए पात्र नहीं होते हैं।

भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त करने हेतु जनहित याचिका

- भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के जवाब में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में दूसरी नागरिकता हासिल करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त होने को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि ऐसा प्रावधान असंवैधानिक है। याचिका में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(1), धारा 4(1) के दूसरे प्रावधान और धारा 4(1ए) को चुनौती दी गई है। उनका तर्क है कि ये प्रावधान किसी अन्य नागरिकता के अधिग्रहण पर भारतीय नागरिकता की अनैच्छिक और स्वचालित समाप्ति का कारण बनते हैं।

नागरिकता अधिनियम, 1955 के बारे में:

- नागरिकता अधिनियम, 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति का प्रावधान करता है। मूल रूप से अधिनियम 1955 में राष्ट्रमंडल नागरिकता का भी प्रावधान था, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
- संविधान भाग II के तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। हालाँकि इस संबंध में न तो कोई स्थायी और न ही कोई विस्तृत प्रावधान है।
- यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ होने पर (अर्थात् 26 जनवरी, 1950 को) भारत के नागरिक बन गए।
- यह नागरिकता के अधिग्रहण या समाप्ति पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देती है।
- संसद को ऐसे मामलों और नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। तदनुसार, संसद

मौलिक अधिकार

निजी व्यक्ति के विरुद्ध अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार

चर्चा में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार को राज्य या उसके उपकरणों के अलावा व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है।
- अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19(2) में पहले से निर्धारित आधारों के अलावा किसी भी अतिरिक्त आधार से रोका नहीं जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का संदर्भ क्या है?

निजी संस्थाओं के विरुद्ध अधिकार लागू करना:

- अदालत ने माना कि जीवन के अधिकार जैसे उदाहरणों में मौलिक अधिकारों का प्रयोग 'स्वास्थ्य, पर्यावरण, परिवहन, शिक्षा और कैदी के जीवन जैसे कई क्षेत्रों में' विस्तारित हुआ है।
- सरकार की भूमिका की बदलती प्रकृति को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अधिकार 'राज्य या उसके उपकरणों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किए जा सकते हैं।'
- यह व्याख्या राज्य पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व डालती है कि निजी संस्थाएँ भी संवैधानिक मानदंडों का पालन करें।
- यह संवैधानिक कानून में संभावनाओं की एक शृंखला खोलता है, संभावित रूप से एक निजी डॉक्टर के खिलाफ गोपनीयता अधिकारों को लागू करने या एक निजी सोशल मीडिया इकाई के खिलाफ स्वतंत्र भाषण के अधिकार को लागू करने की अनुमति देता है।

अनुच्छेद 19 के बारे में:

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है जिसे राज्य के विरुद्ध लागू किया जाता है।
- हालाँकि राज्य भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
- कुछ मौलिक अधिकार जैसे- अस्पृश्यता, तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने वाले, स्पष्ट रूप से राज्य तथा अन्य व्यक्तियों दोनों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है।

अनुच्छेद 21 के बारे में:

- **जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा-** किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
- न्यायालय ने पहले के निर्णयों के आधार पर अधिकारों की एक सूची दी जो अनुच्छेद 21 में शामिल है। उनमें से कुछ निम्न हैं:
  - » एकान्तता का अधिकार
  - » विदेश जाने का अधिकार
  - » आश्रय का अधिकार
  - » एकान्त कारावास के विरुद्ध अधिकार
  - » सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तीकरण का अधिकार
  - » हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार
  - » हिरासत में मौत के खिलाफ अधिकार
  - » विलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार
  - » सार्वजनिक फाँसी के विरुद्ध अधिकार
  - » सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण
  - » प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार
  - » प्रत्येक बच्चे को पूर्ण विकास का अधिकार
  - » स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता का अधिकार
  - » शिक्षा का अधिकार
  - » विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा का अधिकार

चुप रहने का अधिकार

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है और जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कोर्ट के अनुसार संविधान प्रत्येक व्यक्ति को आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार देता है।

आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार:

- अनुच्छेद 20 किसी आरोपी व्यक्ति को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी या निगम जैसा कानूनी व्यक्ति हो। इसमें तीन प्रावधान शामिल हैं:
  - » इसमें कोई पूर्व-प्रभावी कानून नहीं, कोई दोहरी सजा नहीं और कोई आत्म-दोषारोपण नहीं।
  - » **कोई आत्म-दोषारोपण नहीं:** किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
  - » आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध सुरक्षा मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों तक फैली हुई है।
- हालाँकि ये प्रावधान इन पर लागू नहीं होते हैं जैसे कि:
  - » अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का नमूना, रक्त का नमूना आदि देने की बाध्यता।
  - » शरीर का अनिवार्य प्रदर्शन।
- इसके अलावा इसका विस्तार केवल आपराधिक कार्यवाही तक है, न कि सिविल कार्यवाही या ऐसी कार्यवाही तक जो आपराधिक प्रकृति की नहीं हैं।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु: भारत में 'जीवित इच्छा' पर बहस

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रिया को कम कठिन और कम समय लेने वाली बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ निष्क्रिय इच्छामृत्यु के नियमों में बदलाव किए हैं।

प्रमुख बदलाव:

- सुप्रीम कोर्ट ने जीवित वसीयत को प्रमाणित करने या प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता को खत्म करने हेतु पिछले फैसले में बदलाव किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति के लिए वैध वसीयत बनाने हेतु नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।

- जीवित वसीयत को संबंधित जिला अदालत में रखने के बजाय जैसा कि 2018 में अदालत द्वारा निर्देशित किया गया था, पीठ ने कहा कि दस्तावेज राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल रिकॉर्ड का एक हिस्सा होगा जिसे अस्पतालों और डॉक्टरों द्वारा किसी भी हिस्से से एक्सेस किया जा सकता है।
- यदि अस्पताल का मेडिकल बोर्ड चिकित्सा उपचार बंद करने की अनुमति से इंकार करता है, तो मरीज के परिवार के सदस्य संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं जो चिकित्सा विशेषज्ञों का एक नया बोर्ड बनायेगा ताकि अदालत अंतिम निर्णय ले सके।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बारे में:

- निष्क्रिय इच्छामृत्यु किसी व्यक्ति को मरने की अनुमति देने के इरादे से चिकित्सा उपचार को रोकने या वापस लेने का कार्य है, जैसे कि जीवन समर्थन को रोकना या वापस लेना।
- यह सक्रिय इच्छामृत्यु के विपरीत है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन को आन्तरिक या बाहरी यंत्रों के साथ समाप्त करने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप शामिल होता है, जैसे कि घातक इंजेक्शन लगाना आदि।

बुनियादी संरचना सिद्धांत के 50 वर्ष

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में अपने ऐतिहासिक 1973 के फैसले की 50 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक विशेष वेब पेज लॉन्च किया। इस केस में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को पहली बार लाया गया था जिसमें कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती।

केशवानंद भारती केस (1973) के बारे में:

- इस मामले में अदालत ने 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि संसद के पास किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने का अधिकार होता है।
- इसके अलावा इसने 'संविधान की मूल संरचना' का एक नया सिद्धांत निर्धारित किया।
- इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की घटक शक्ति उसे संविधान की 'बुनियादी संरचना' को बदलने में सक्षम नहीं बनाती है।
- इसका मतलब यह है कि संसद इस मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती या छीन नहीं सकती जो संविधान की 'बुनियादी संरचना' का हिस्सा है।

बुनियादी संरचना के सिद्धांत के बारे में:

- न्यायालय ने 'बुनियादी संरचना' शब्द को परिभाषित नहीं किया और केवल कुछ सिद्धांतों (संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र) को इसके भाग के रूप में सूचीबद्ध किया, तब से 'बुनियादी संरचना' सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की गई है:
  - संविधान की सर्वोच्चता
  - कानून का शासन
  - न्यायपालिका की स्वतंत्रता
  - शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत
  - संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य
  - सरकार की संसदीय प्रणाली
  - स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत
  - कल्याणकारी राज्य आदि

जल्लीकट्टू और कंबाला को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू और कंबाला के पारंपरिक खेलों की अनुमति देने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा किए गए संशोधनों को बरकरार रखा।

जल्लीकट्टू के बारे में:

- जल्लीकट्टू एक पारंपरिक खेल है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में लोकप्रिय है।
- इस खेल में एक बैल को लोगों की भीड़ में छोड़ना होता है और प्रतिभागी बैल के कूबड़ को पकड़कर जितनी देर तक संभव हो सके, उस पर सवारी करने का प्रयास करते हैं या उसे नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं।
- यह जनवरी के महीने में तमिल फसल उत्सव, पोंगल के दौरान मनाया जाता है।

कंबाला के बारे में:

- कंबाला कीचड़ से भरे धान के खेतों में एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जो आम तौर पर नवंबर से मार्च तक तटीय कर्नाटक (उडुपी और दक्षिण कन्नड़) में होती है।
- परंपरागत रूप से यह स्थानीय तुलुवा जमींदारों और तटीय जिलों के परिवारों द्वारा प्रायोजित है। तुलुवा लोग दक्षिणी भारत के मूल जातीय समूह हैं जो तुलु भाषा बोलते हैं।
- दौड़ के दौरान, रेसर भैंसों की लगाम कसकर और उन्हें चाबुक मारकर नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के बारे में:

- यह अधिनियम जानवरों पर अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान करता है। यह अधिनियम जानवरों और जानवरों के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है।
- क्रूरता के विभिन्न रूपों, अपवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता होने पर उसकी हत्या पर चर्चा करता है ताकि उसे आगे की पीड़ा से राहत मिल सके।
- वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए जानवरों पर प्रयोग से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- यह अधिनियम प्रदर्शन करने वाले जानवरों की प्रदर्शनी और प्रदर्शन

करने वाले जानवरों के खिलाफ किए गए अपराधों से संबंधित प्रावधानों को स्थापित करता है।

- यह अधिनियम 3 महीने की सीमा अवधि का प्रावधान करता है जिसके बाद इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) की स्थापना 1962 में अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई थी।

भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने हेतु सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने सीवरों की हाथ से सफाई के दौरान होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने का निर्देश दिया।

मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में:

- मैनुअल स्कैवेंजिंग को 'सार्वजनिक सड़कों और शुष्क शौचालयों से मानव मल को हटाना, सेप्टिक टैंक, गटर तथा सीवर की सफाई' के रूप में परिभाषित किया गया है।
- भारत ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 (पीईएमएसआर) के तहत इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया।
- यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति द्वारा मानव मल को उसके निपटान तक मैन्युअल रूप से साफ करने, ले जाने, निपटान करने या किसी भी तरीके से संभालने पर प्रतिबंध लगाता है।
- यह अधिनियम हाथ से मैला ढोने की प्रथा को 'अमानवीय प्रथा' के रूप में मान्यता देता है।

मैला ढोने की प्रथा का संवैधानिक संरक्षण:

- **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण।
- **अनुच्छेद 17:** अस्पृश्यता का अंत और किसी भी रूप में इसके प्रयोग पर रोक।
- **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।
- **अनुच्छेद 23:** मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध।

कानूनी प्रावधान:

- मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 मुख्य कानून है जिसका उद्देश्य भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रतिबंधित तथा समाप्त करना है। यह किसी को भी मैला ढोने वाले के रूप में नियुक्त करने या नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगाता है और किसी को भी अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण या रखरखाव करने से रोकता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान:

- भारत अपने संविधान के अलावा, कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों से बंधा हुआ है जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर दृढ़ता से प्रतिबंध लगाता है। इन समझौतों में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर), नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सीईआरडी), महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन 111 और 161 शामिल हैं।

बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (एमएससीएस) अधिनियम, 2002

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक 2022 संसद द्वारा पारित किया गया था।

- विधेयक का उद्देश्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना, सहकारी पुनर्वास पुनर्निर्माण और विकास निधि का निर्माण, सहकारी लोकपाल तथा सूचना अधिकारियों की नियुक्ति सहित प्रावधानों के साथ सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यापार करने में आसानी लाना है। सहकारी समिति बोर्डों में महिलाओं और एससी/एसटी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करना शामिल है।

97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011:

- इसने अनुच्छेद 19 के तहत सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया।
- इसमें सहकारी समितियों के संवर्धन पर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में अनुच्छेद 43-बी जोड़ा गया।
- इसने संविधान में 'सहकारी समितियाँ' (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) शीर्षक से एक नया भाग IX-B जोड़ा गया।
- यह संसद को बहु-राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) के मामले में और राज्य विधानसभाओं को अन्य सहकारी समितियों के मामले में प्रासंगिक कानून स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है।
- केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन 2021 में किया गया था जिसका कार्यभार पहले कृषि मंत्रालय देखता था।
- बहु-राज्य सहकारी समितियों के बेहतर विनियमन के लिए बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022 को 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया।

सिनेमैटोग्राफी (संशोधन) विधेयक, 2023

- सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 संसद द्वारा पारित किया गया। विधेयक का उद्देश्य पायरेसी को खत्म करना है जिसमें तीन महीने की कैद और 3 लाख के जुर्माने हो सकता है जिसे तीन साल की कैद तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें ऑडिट किए गए सकल उत्पादन लागत का 5% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इसके अलावा विधेयक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन की प्रक्रिया में सुधार करने के

साथ-साथ इसके लिए वर्गीकरण में सुधार करने का प्रयास करता है। इसने मौजूदा यूए 12 वर्ष श्रेणी के बजाय तीन आयु-आधारित श्रेणियों सात वर्ष (यूए 7+), 13 वर्ष (यूए 13+) और 16 वर्ष (यूए 16+) में उप-विभाजित करके प्रमाणन की आयु-आधारित श्रेणियां पेश की हैं। ये आयु-आधारित मार्कर केवल अनुशंसात्मक होंगे जो माता-पिता या अभिभावकों के लिए इस बात पर विचार करने के लिए होंगे कि क्या उनके बच्चों को ऐसी फिल्म देखनी चाहिए या नहीं।

- इसके अलावा फिल्मों के संबंध में केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियों को हटा दिया गया है। अधिनियम में प्रावधान है जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के प्रमाणपत्रों की वैधता को 10 वर्षों तक बनाए रखने की अनुमति देते थे जिसे अब आजीवन कर कर दिया गया है।
- विधेयक टेलीविजन प्रसारण के लिए संपादित फिल्मों के पुनः प्रमाणीकरण को भी अनुमति देता है क्योंकि केवल अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी श्रेणी की फिल्में ही टेलीविजन पर दिखाई जा सकती हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (डीपीडीपी), 2023

चर्चा में क्यों?

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा प्रदान करना है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

- यह विधेयक भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होगा। यह भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर भी लागू होगा, यदि यह भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश या व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग के लिए है।
- व्यक्तिगत डेटा को केवल वैध उद्देश्य के लिए संसाधित किया जा सकता है जिसके लिए किसी व्यक्ति ने सहमति दी है। सहमति लेने से पहले एक नोटिस दिया जाना चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए कानूनी अभिभावक द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी।
- एक व्यक्ति, जिसका डेटा संसाधित किया जा रहा है (डेटा प्रिंसिपल), को प्रसंस्करण के बारे में जानकारी प्राप्त करने, सुधार की मांग करने और व्यक्तिगत डेटा को मिटाने, मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार होगा।
- केंद्र सरकार उन देशों को सूचित करेगी जहां कोई डेटा प्रत्ययी व्यक्तिगत डेटा स्थानांतरित कर सकता है।

छूट:

- डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और डेटा फिडुशियरीज के दायित्व (डेटा सुरक्षा को छोड़कर) निर्दिष्ट मामलों में लागू नहीं होंगे। इनमें अपराधों की रोकथाम और जांच, कानूनी अधिकारों या दावों का प्रवर्तन शामिल हैं।
- केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा कुछ गतिविधियों को विधेयक के लागू होने से छूट दे सकती है।
- केंद्र सरकार भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करेगी।
- विधेयक की अनुसूची विभिन्न अपराधों के लिए दंड निर्दिष्ट करती है जैसे कि बच्चों के लिए दायित्वों को पूरा न करने पर 200 करोड़ रुपये तक और डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करने में विफलता के लिए 250 करोड़ रुपये तक जुर्माना शामिल है।

विचाराधीन कैदी पर संसदीय रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

गृह मामलों के संसदीय पैनल ने भारत की जेलों में भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के लिए कई सिफारिशें की हैं।

सिफारिशें:

- गृह मामलों की संसदीय समिति ने जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए एक व्यावहारिक समाधान के रूप में एंकल ट्रैकर के उपयोग का प्रस्ताव दिया है। इन ट्रैकिंग उपकरणों को लागत प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा और इन्हें उन कैदियों द्वारा पहना जाएगा जिन्हें जमानत मिल गई है या अस्थायी रूप से जेल से रिहा कर दिया गया है।
- यह प्रस्ताव इस समझ से उत्पन्न हुआ है जिसमें जमानत को अक्सर तीन प्राथमिक कारणों से अस्वीकार कर दिया जाता है:
  - » यह चिंता कि विचाराधीन कैदी गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
  - » देश छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं।
  - » जमानत पर बाहर रहते हुए अतिरिक्त अपराध कर सकते हैं।
- रिपोर्ट मानवाधिकारों और नैतिक विचारों का सम्मान करने के महत्त्व को रेखांकित करती है। किसी भी संभावित मानवाधिकार उल्लंघन से बचने के लिए पैनल अनुशंसा करता है कि एंकल ट्रैकर्स का उपयोग पूरी तरह से स्वैच्छिक होना चाहिए और कैदियों की सूचित सहमति पर आधारित होना चाहिए।
- समिति भारतीय जेलों में भीड़भाड़ की गंभीर समस्या को स्वीकार करती है जिसके परिणामस्वरूप कैदियों और समग्र आपराधिक न्याय प्रणाली दोनों को न्याय मिलने में देरी होती है। इसे संबोधित करने के लिए रिपोर्ट सुझाव देती है कि भीड़भाड़ वाली सुविधाओं से कैदियों को अन्य जेलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

अल्पसंख्यकों की अधिसूचना

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के मुद्दे पर छह

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अभी तक केंद्र को अपनी सहमति नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त की है।

भारत में अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई संवैधानिक सुरक्षा:

- संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित किये बिना ही इसका प्रयोग किया गया है।
- यह अल्पसंख्यकों को 'धर्म या भाषा पर आधारित' के रूप में संदर्भित करता है।
- **अनुच्छेद 14:** लोगों को 'कानून के समक्ष समानता' और 'कानूनों के समान संरक्षण' का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 15(1) और (2):** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव का निषेध।
- **अनुच्छेद 15(4):** 'नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अलावा) की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान' करने का राज्य का अधिकार।
- **अनुच्छेद 16(1) और (2):** राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में नागरिकों को 'अवसर की समानता' का अधिकार और धर्म, नस्ल, जाति तथा लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के संबंध में निषेध।
- **अनुच्छेद 16(4):** नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने के लिए राज्य का अधिकार, जिसका राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **अनुच्छेद 25(1):** लोगों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और प्रचार करने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 26:** 'प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक तथा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने, 'धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने' एवं चल या अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार शामिल है।
- **अनुच्छेद 27:** किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने हेतु बाध्य करने पर रोक।
- **अनुच्छेद 28:** राज्य द्वारा पूरी तरह से संचालित, मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में लोगों की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 29(1):** 'नागरिकों के किसी भी वर्ग' को अपनी 'विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति' को संरक्षित करने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 29(2):** राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी नागरिक को 'केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर' प्रवेश से इंकार करने पर प्रतिबंध।
- **अनुच्छेद 30(1):** सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा प्रशासित करने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 30(2):** अल्पसंख्यक-प्रबंधित शैक्षणिक संस्थानों को राज्य से सहायता प्राप्त करने के मामले में भेदभाव से मुक्ति।
- **अनुच्छेद 38(2):** विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों और लोगों के समूहों के बीच 'स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करना' राज्य का दायित्व है।
- **अनुच्छेद 46:** 'लोगों के कमजोर वर्गों' (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को विशेष रूप से) के शैक्षिक और आर्थिक हितों को 'विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देना' राज्य का दायित्व है।
- **अनुच्छेद 347:** किसी भी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान।
- **अनुच्छेद 350ए:** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान।
- **अनुच्छेद 350बी:** भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी और उसके कर्त्तव्यों का प्रावधान।

भारत में अल्पसंख्यक:

- किसी समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में नामांकित करने का मूल आधार समुदाय की संख्यात्मक ताकत है।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(सी) के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी (पारसी) को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का लगभग 20% है।
- इसमें मुसलमानों की जनसंख्या 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और पारसी 0.006% हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में:

- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) की स्थापना की।
- प्रारंभ में पांच धार्मिक समुदायों 'मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी (पारसी)' को केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- वर्ष 2014 में जैन को भी अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधि सूचित किया गया था जिससे यह संख्या 6 हो गई।
- एनसीएम की तर्ज पर राज्य सरकारें भी अपने संबंधित राज्य की राजधानियों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करती हैं।

आयोग के कार्य:

- यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा करता है।
- अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित राज्य अल्पसंख्यक आयोगों से संपर्क कर सकते हैं।
- इसके अलावा, वे अपना अभ्यावेदन राष्ट्रीय आयोग को भी भेज सकते हैं।

सीमित इंटरनेट शटडाउन और उनका प्रभाव

चर्चा में क्यों?

दंगों और सुरक्षा खतरों को नियंत्रित करने के तरीके के रूप में सीमित इंटरनेट शटडाउन का बार-बार उपयोग जोर पकड़ रहा है।

सीमित इंटरनेट शटडाउन के बारे में:

- यह एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए इंटरनेट, अक्सर विशिष्ट वेबसाइटों या ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच पर जानबूझकर प्रतिबंध लगाने या अवरुद्ध करने को संदर्भित करता है। यह सूचना और संचार के प्रवाह को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सुरक्षा खतरों, सामाजिक अशांति या सार्वजनिक आपात स्थितियों की प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है।
- इसे मणिपुर हिंसा और नूंह (हरियाणा) की सांप्रदायिक हिंसा में लागू किया गया है।

इंटरनेट शटडाउन पर भारत की स्थिति:

- एक्सेस नाउ और कीपइटऑन की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2022 में 84 बार इंटरनेट शटडाउन लागू किया जिससे भारत लगातार पांचवें वर्ष इस सूची में शीर्ष पर रहा।
- 2022 में जम्मू-कश्मीर में 49 बार इंटरनेट बंद किया गया जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है।

संवैधानिक प्रावधान और इंटरनेट शटडाउन:

- इंटरनेट से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) तथा 19(1)(जी) (व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता) द्वारा संरक्षित हैं।
- **अपवाद:** इन अधिकारों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) और (6) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

कानूनी प्रावधान:

- इंटरनेट शटडाउन आदेशों को दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 द्वारा विनियमित किया जाता है जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत आते हैं। ये नियम सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान किसी विशिष्ट क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन की अनुमति देते हैं।
- केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शटडाउन आदेश जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

हेट स्पीच के खिलाफ कानून बनाने की मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) ने खुलासा किया कि भारत में कुल 107 संसद सदस्यों (सांसदों) तथा विधान सभा सदस्यों (एमएलए) के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले हैं।

नफरत फैलाने वाले भाषण के बारे में:

- घृणास्पद भाषण को मुख्य रूप से नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन अभिविन्यास, धार्मिक विश्वास और इसी तरह के संदर्भ में परिभाषित व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को उकसाने वाले भाषण को कहा गया है।
- भाषण का संदर्भ यह निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण है कि यह घृणास्पद भाषण है या नहीं।

भारत में घृणास्पद भाषण की कानूनी स्थिति:

- **आईपीसी की धारा 153ए और 153बी:** दो समूहों के बीच शत्रुता और घृणा पैदा करने वाले कृत्यों को दंडित करने का प्रावधान।
- **आईपीसी की धारा 295ए:** यह दंडात्मक कृत्यों से संबंधित है जो जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से व्यक्तियों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं।
- **धारा 505(1) और 505(2):** ऐसी सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को अपराध बनाता है जो विभिन्न समूहों के बीच दुर्भावना या घृणा पैदा कर सकती है।
- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951:** आरपीए, 1951 की धारा 8 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अवैध उपयोग के दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकता है।
- **आरपीए की धारा 123(3ए) और 125:** चुनावों के संदर्भ में नस्ल, धर्म, समुदाय, जाति या भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने पर रोक लगाता है जिसे भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं के अंतर्गत शामिल करता है।
- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** सार्वजनिक दृश्य के भीतर किसी भी स्थान पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को लक्षित करने वाले घृणास्पद भाषण को रोकता है।
- **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955:** मौखिक या लिखित शब्दों के माध्यम से या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुतियों द्वारा या अन्यथा अस्पृश्यता को उकसाने और प्रोत्साहित करने पर दंड देता है।

निवारक हिरासत (Preventive Detention)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक हिरासत के मामलों में संविधान के अनुच्छेद 22(4)(ए) के तहत तीन महीने की सीमा के आवेदन के संबंध में महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान किया।

न्यायालय के स्पष्टीकरण के बारे में:

- सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 22(4)(ए) राज्य सरकार या किसी अधिकारी द्वारा हिरासत के आदेश पारित करने के प्रारंभिक चरण में लागू होता है, न कि सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के बाद के चरण में। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 22(4)(ए) में उल्लिखित तीन महीने की अवधि सलाहकार बोर्ड

की रिपोर्ट प्राप्त होने तक हिरासत की प्रारंभिक अवधि से संबंधित है और पुष्टिकरण आदेश पारित होने के बाद हिरासत की अवधि को प्रभावित नहीं करती है।

डिजिटल पहचान आधार कार्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के बीच, मूडीज की रिपोर्ट 'विकेंद्रीकृत वित्त और डिजिटल संपत्ति' ने रेखांकित किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम अक्सर उपयोगकर्ताओं को सेवाएं देने से इंकार करता है।

मूडीज रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- आधार से संवेदनशील जानकारी विशिष्ट संस्थाओं के पास केंद्रित हो जाती है जिससे डेटा उल्लंघनों का खतरा बढ़ जाता है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) आदि जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए सरकार द्वारा आधार को अपनाना जो उनके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा बन रहा है।
- आधार बायोमेट्रिक को बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिसमें प्राधिकरण स्थापित करने का बोझ तथा बायोमेट्रिक विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं शामिल हैं।
- आधार प्रणाली फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन और वन-टाइम पासकोड (ओटीपी) जैसे विकल्पों के माध्यम से सत्यापन के साथ सार्वजनिक तथा निजी सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाती है।

आधार कार्ड के बारे में:

- आधार कार्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की गई 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। यह नंबर भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
- आधार नंबर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है और जीवन भर वैध रहता है।
- आधार नंबर निवासियों को उचित समय पर बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है।
- जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर व्यक्तियों की पहचान स्थापित करता है।
- यह एक स्वैच्छिक सेवा है जिसका लाभ प्रत्येक निवासी वर्तमान दस्तावेज के बावजूद उठा सकता है।

भारत में मजबूत श्रम सुधार कानून की जरूरत

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2019 से 2020 के बीच संसद द्वारा पारित चार श्रम कोड अभी भी लागू नहीं किए गए हैं।

वेतन संहिता, 2019 के बारे में:

- **वेतन और बोनस भुगतान का विनियमन:** इस कोड का उद्देश्य सभी उद्योगों, व्यवसायों और विनिर्माण गतिविधियों में वेतन तथा बोनस के भुगतान को विनियमित करना है।
- **फ्लोर वेज और न्यूनतम वेतन:** केंद्र सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर के आधार पर फ्लोर वेज निर्धारित करती है। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन फ्लोर वेज से अधिक होना चाहिए, साथ ही इसे हर पांच साल में संशोधित किया जाना चाहिए।
- **ओवरटाइम वेतन:** जो कर्मचारी सामान्य कामकाजी घंटों से अधिक काम करते हैं, वे ओवरटाइम वेतन के हकदार हैं। यह सामान्य दर से कम से कम दोगुना होना चाहिए।
- **वेतन कटौती:** यह कोड किसी कर्मचारी के कुल वेतन के अधिकतम 50% से अधिक वेतन कटौती को प्रतिबंधित करता है जिसमें जुर्माना या ड्यूटी से अनुपस्थिति जैसे कुछ आधार शामिल हैं।
- **बोनस निर्धारण:** जिन कर्मचारियों का वेतन एक निर्दिष्ट मासिक राशि से अधिक नहीं है, वे अपने वेतन का कम से कम 8.33% या 100 रुपये जो भी अधिक हो, के वार्षिक बोनस के हकदार हैं। अधिकतम अनुमत बोनस उनके वार्षिक वेतन का 20% है।
- **लिंग भेदभाव पर प्रतिबंध:** यह कोड समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है अर्थात सभी कर्मचारियों की भर्ती से

संबंधित मामलों में लिंग भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है।

औद्योगिक संहिता, 2020 के बारे में:

- **श्रमिक की परिभाषा:** यह कोड एक श्रमिक को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो भाड़े या वेतन के लिए काम करता है, प्रबंधकीय या प्रशासनिक भूमिकाओं वाले उन लोगों को छोड़कर जिनका वेतन 18,000 रुपये से अधिक है।
- **स्थायी आदेश:** 300 या अधिक श्रमिकों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्थायी आदेश तैयार करना होगा। इसमें श्रमिक वर्गीकरण, काम के घंटे, छुट्टियां, वेतन और शिकायत निवारण जैसे पहलू शामिल होना चाहिए।
- **काम बंद करने या छंटनी के लिए पूर्व अनुमति:** कम से कम 300 श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने, ले-ऑफ या छंटनी के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए इसकी सीमा बढ़ा सकती है।
- **वार्ता संघ और परिषद:** 51% से अधिक श्रमिकों वाले ट्रेड यूनियन को एकमात्र वार्ता संघ के रूप में मान्यता प्राप्त है। यदि कोई यूनियन अर्हता प्राप्त नहीं करती है, तो एक वार्ता परिषद का गठन किया जाता है। इसमें कम से कम 20% श्रमिकों वाली यूनियनों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
- **विवाद निपटान के लिए न्यायाधिकरण:** औद्योगिक विवादों का निपटारा औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाता है। ट्रिब्यूनल में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य शामिल होंगे।
- **निश्चित अवधि के रोजगार:** निश्चित अवधि के रोजगार से तात्पर्य अनुबंध के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए श्रमिकों को काम पर रखने से है। यह नियोक्ताओं को लचीलापन और अस्थायी कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करेगा।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के बारे में:

- **प्रतिस्थापित कानून:** यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ मौजूदा कानूनों को प्रतिस्थापित करती है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम शामिल हैं।
- **प्रयोज्यता:** यह कोड केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आकार सीमा के आधार पर प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।
- **सामाजिक सुरक्षा कोष:** केंद्र सरकार असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए एक कोष स्थापित करती है। संगठित श्रमिकों को अलग से सामाजिक सुरक्षा निधि प्रदान की जाएगी।
- **पंजीकरण:** असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को इस कोड के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड:** श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई है। यह विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए योजनाओं की सिफारिश और निगरानी करेगा।
- **योगदान और परिभाषाएँ:** गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए धन सरकार तथा एग्रीगेटर्स के योगदान से आएगा। यह कोड श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों को शामिल करने के लिए परिभाषाओं का विस्तार करता है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर संहिता, 2020 के बारे में:

- **अधिनियमों का एकीकरण:** यह कोड स्वास्थ्य, सुरक्षा और कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित 13 मौजूदा अधिनियमों को समेकित करता है। इसमें फैक्ट्री एक्ट और माइंस एक्ट दोनों शामिल हैं।
- **कवरेज सीमा:** कोड प्रतिष्ठानों और खतरनाक गतिविधियों में श्रमिकों की संख्या के आधार पर कवरेज के लिए सीमा निर्धारित करता है।
- **काम के घंटे और रोजगार की शर्तें:** अधिकतम दैनिक कार्य सीमा 8 घंटे निर्धारित है। महिलाएं खतरनाक परिचालनों में पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ सभी प्रतिष्ठानों में काम करने की हकदार हैं।
- **अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक:** कोड अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों को परिभाषित करता है और उनके लिए लाभ प्रदान करता है। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, निर्माण श्रमिक निधि और बीमा तथा भविष्य निधि लाभ तक पहुंच शामिल है।
- **डेटाबेस और सामाजिक सुरक्षा कोष:** अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों का विवरण एक पोर्टल में दर्ज किया जाता है। कोड के तहत एकत्र किए गए जुर्माने को असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष में जमा किया जाता है। अन्य स्रोत भी फंड में योगदान दे सकते हैं।

समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

भारत के विधि आयोग ने यूसीसी के संबंध में जनता से विचार-प्रस्ताव मांगे हैं। यूसीसी भारत में एक अत्यधिक विवादित और राजनीतिक रूप से आरोपित मुद्दा रहा है। यूसीसी पर विधि आयोग का पिछला रुख यह था कि यह न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। यूसीसी विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों के साथ बदलने का एक प्रस्ताव है।

समान नागरिक संहिता के बारे में:

- समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है।
- कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय एकता तथा लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में इसका समर्थन किया है, लेकिन कुछ राज्यों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के लिए खतरा बताकर इसका विरोध किया है।
- भारत में यूसीसी वाला एकमात्र राज्य गोवा है जिसने 1961 में

पुर्तगाली शासन से मुक्त होने के बाद अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बरकरार रखा जिसे गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है।

- शेष भारत अपनी धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का पालन करता है।

भारत में व्यक्तिगत कानून:

- वर्तमान समय में न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और यहूदी भी अपने निजी कानूनों द्वारा शासित होते हैं।
- व्यक्तिगत कानून धार्मिक पहचान के आधार पर निर्धारित होते हैं।
- सुधारित हिंदू पर्सनल लॉ में अभी भी कुछ पारंपरिक प्रथाओं को शामिल किया गया है।

यूसीसी से संबंधित महत्त्वपूर्ण मामले:

शाह बानो बेगम बनाम मोहम्मद अहमद खान (1985):

- सुप्रीम कोर्ट ने इद्दत अवधि की समाप्ति के बाद भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक मुस्लिम महिला को अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार को बरकरार रखा।
- यह भी देखा गया कि यूसीसी विचारधाराओं पर आधारित विरोधाभासों को दूर करने में मदद करेगा।

सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995):

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हिंदू पति अपनी पहली शादी को खत्म किए बिना दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता।
- इसमें यह भी कहा गया है कि यूसीसी इस तरह के धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण और द्विविवाह विवाह को रोकेगा।

शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017):

- सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक तथा मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और समानता का उल्लंघन करार दिया।
- इसने यह भी सिफारिश की कि संसद को मुस्लिम विवाह और तलाक को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए।

भारत के आपराधिक कानूनों में सुधार-3 नए कोड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में तीन नए विधेयक पेश किए जो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में संपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करते हैं।

- **भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023:** यह आईपीसी, 1860 का स्थान लेगा।
- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023:** यह सीआरपीसी, 1898 का स्थान लेगा।
- **भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023:** यह साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेगा।

भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 की मुख्य विशेषताएं:

- यह विधेयक आतंकवाद और अलगाववाद, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराधों को परिभाषित करता है। यह राजद्रोह के अपराध को निरस्त करता है जिसकी औपनिवेशिक शासन के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी जो स्वतंत्र भाषण और असहमति पर अंकुश लगाता है।
- इसमें मॉब लिंचिंग के लिए अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान है। इसमें शादी के झूठे वादे पर महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए 10 साल की कैद का प्रस्ताव है जो धोखे और शोषण का एक सामान्य रूप है।
- विधेयक सामुदायिक सेवा को विशिष्ट अपराधों के लिए सजा के रूप में मान्यता देता है जो अपराधियों को सुधारने और जेलों में भीड़भाड़ को कम करने में मदद कर सकता है।
- विधेयक में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिनों की सीमा तय की गई है जिससे मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और अनिश्चितकालीन देरी को रोका जा सकता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 की मुख्य विशेषताएं:

- यह विधेयक मुकदमों, अपीलों और बयानों की रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है जिससे कार्यवाही के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति मिलती है। विधेयक यौन हिंसा से बचे लोगों के बयान की वीडियो-रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है जो सबूतों को संरक्षित करने और जबरदस्ती या हेरफेर को रोकने में मदद कर सकता है।
- विधेयक में कहा गया है कि पुलिस को शिकायत की स्थिति के बारे में 90 दिनों में सूचित करना होगा जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ सकती है।
- विधेयक में कहा गया है कि सात साल या उससे अधिक की सजा वाले मामले को वापस लेने से पहले पुलिस पीड़ित से परामर्श करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय से समझौता नहीं किया जाएगा या इंकार नहीं किया जाएगा।
- यह फरार अपराधियों पर अदालत द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की अनुमति देता है जो भगोड़ों को न्याय से बचने से रोक सकता है।
- सीआरपीसी की धारा 41ए को धारा 35 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा। इस परिवर्तन में एक अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है जिसमें कहा गया है कि कम से कम पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रैंक के किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, खासकर दंडनीय अपराधों के लिए 3 वर्ष से कम आयु वाले या 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए।
- यह मजिस्ट्रेटों को ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार देता है जिससे साक्ष्य संग्रह और सत्यापन की सुविधा मिल सकती है।
- मौत की सजा के मामलों में दया याचिका राज्यपाल के पास 30 दिन के भीतर और राष्ट्रपति के पास 60 दिन के भीतर दाखिल

की जानी का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी।

भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 की मुख्य विशेषताएं:

- विधेयक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाता है जिससे उसका कानूनी प्रभाव कागजी दस्तावेजों के समान ही होगा।
- यह साक्ष्य अधिनियम के पांच मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करता है, 23 प्रावधानों को संशोधित करता है और एक नया प्रावधान जोड़ता है।
- विधेयक में 23 धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है जिसमें कुल 170 धाराएं होंगी।
- विधेयक में यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतियों, दस्तावेजों और दस्तावेज सामग्री के मौखिक खातों को शामिल करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य के विस्तार की गुंजाइश की गई है।
- विधेयक के माध्यम से सरकार का लक्ष्य मामलों की सुनवाई के दौरान सबूतों से निपटने के लिए सटीक और समान नियम पेश करना है।

इतिहास:

- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जिसे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित पहले कानून आयोग के मद्देनजर 1860 में तैयार किया गया था।
- दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करती है। यह 1973 में अधिनियमित हुआ और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (जो मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था) में भारतीय अदालतों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों और संबद्ध मुद्दों का एक सेट शामिल है।

प्रोजेक्ट 39ए

चर्चा में क्यों?

प्रोजेक्ट 39ए द्वारा वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट, 2022 जारी की गई। प्रोजेक्ट 39ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-ए से प्रेरित है। यह एक ऐसा प्रावधान है जो आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को दूर करके समान न्याय तथा समान अवसर के परस्पर जुड़े मूल्यों को आगे बढ़ाता है।

प्रोजेक्ट 39ए के बारे में:

- यह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के साथ एक आपराधिक सुधार वकालत समूह है।
- प्रोजेक्ट 39ए का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रथाओं और नीतियों की फिर से जांच करने के लिए अनुभवजन्य अनुसंधान का उपयोग करके कानूनी सहायता, यातना, फोरेंसिक जांच, जेलों में मानसिक स्वास्थ्य और मृत्युदंड पर नई बातचीत शुरू करना है।

आरोप पत्र कोई सार्वजनिक दस्तावेज नहीं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने फैसला सुनाया कि आरोपपत्र 'सार्वजनिक दस्तावेज' नहीं हैं और उनकी मुफ्त सार्वजनिक पहुंच को सक्षम करना आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों का उल्लंघन है क्योंकि यह आरोपी, पीड़ित तथा जांच एजेंसियों के अधिकारों से समझौता करता है। .

आरोपपत्र सार्वजनिक दस्तावेज क्यों नहीं?

- न्यायालय के अनुसार, किसी आरोप पत्र को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता क्योंकि यह साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 और 76 के तहत 'सार्वजनिक दस्तावेज' नहीं है।
- **धारा 74:** यह सार्वजनिक दस्तावेजों को उन दस्तावेजों के रूप में परिभाषित करता है जो भारत, राष्ट्रमंडल या किसी विदेशी देश के किसी भी हिस्से में संप्रभु प्राधिकरण, आधिकारिक निकायों, न्यायाधिकरणों और विधायी, न्यायिक या कार्यकारी सार्वजनिक कार्यालयों के रिकॉर्ड बनाते हैं। इसमें 'किसी भी राज्य में रखे गए निजी दस्तावेजों' के सार्वजनिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं।
- इस अनुभाग में उल्लिखित दस्तावेज केवल सार्वजनिक दस्तावेज हैं जिनकी प्रमाणित प्रतियां उन सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जानी चाहिए जिनके पास उनकी सुरक्षा है।
- आवश्यक सार्वजनिक दस्तावेजों के साथ आरोप पत्र की प्रति को इस धारा के तहत सार्वजनिक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है।
- **धारा 76:** ऐसे दस्तावेजों की अभिरक्षा रखने वाले किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को कानूनी शुल्क की मांग और भुगतान पर एक प्रतिलिपि प्रदान करनी होगी, साथ ही सत्यापन का प्रमाण पत्र भी देना होगा जिसमें अधिकारी की तारीख, मुहर, नाम तथा पदनाम बताया गया हो।
- साक्ष्य अधिनियम की धारा 75 के अनुसार, धारा 74 के तहत सूचीबद्ध दस्तावेजों के अलावा अन्य सभी दस्तावेज निजी दस्तावेज हैं।

आरोपपत्र के बारे में:

- सीआरपीसी की धारा 173 के तहत परिभाषित आरोपपत्र, किसी पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी द्वारा किसी मामले की जांच पूरी करने के बाद तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट है।
- के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ और अन्य (1991) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि आरोप पत्र सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट है।
- आरोपी के खिलाफ 60-90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर किया जाना चाहिए, अन्यथा गिरफ्तारी अवैध होगी और आरोपी जमानत का हकदार माना जायेगा।

आरोपपत्र में क्या शामिल होना चाहिए?

- नामों का विवरण, सूचना की प्रकृति और अपराधों का विवरण। क्या आरोपी गिरफ्तार है, हिरासत में है या रिहा कर दिया गया है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई, ये सभी महत्त्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब आरोप पत्र में दिया गया है।
- आरोप पत्र तैयार करने के बाद, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी इसे एक मजिस्ट्रेट के पास भेजता है जिसे उल्लिखित अपराधों पर ध्यान देने का अधिकार है ताकि आरोप तय किए जा सकें।

आरोप पत्र एफआईआर से किस प्रकार भिन्न है?

- शब्द, 'चार्जशीट' को सीआरपीसी की धारा 173 के तहत परिभाषित किया गया है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) या सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है।
- जबकि आरोप पत्र एक जांच के अंत में दायर की गई अंतिम रिपोर्ट है, एक एफआईआर 'पहले' उदाहरण में दर्ज की जाती है कि पुलिस को एक संज्ञेय अपराध (अपराध जिसके लिए किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है जैसे कि बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि) के बारे में सूचित किया जाता है।
- एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच होती है। सीआरपीसी की धारा 169 के तहत, पुलिस मामले को मजिस्ट्रेट के पास तभी भेज सकती है जब उसके पास पर्याप्त सबूत हों, अन्यथा आरोपी को हिरासत से रिहा कर दिया जाता है।
- सीआरपीसी की धारा 154 (3) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अधिकारियों द्वारा एफआईआर दर्ज करने से इंकार करने से व्यथित है, तो वह पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेज सकता है जो या तो स्वयं जांच करेगा या अपने अधीनस्थ को निर्देश देगा।

महत्त्पूर्ण दिवस

- ☑ **1 दिसंबर**– विश्व एड्स दिवस **थीम:** 'समुदायों को नेतृत्व करने दें'
- ☑ **2 दिसंबर**– राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस **थीम:** 'स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास'
- ☑ **2 दिसंबर**– गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस **थीम:** 'परिवर्तनकारी शिक्षा के माध्यम से गुलामी की नस्लवाद की विरासत के खिलाफ आवाज उठाना'
- ☑ **3 दिसंबर**– विश्व विकलांग दिवस या विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (आईडीपीडी) **थीम:** 'विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके द्वारा एसडीजी को बचाने और हासिल करने की कार्यवाही में एकजुट होना'
- ☑ **4 दिसंबर**– भारतीय नौसेना दिवस। **थीम:** 'समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि'
- ☑ **5 दिसंबर**– आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 1985 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित। **थीम:** 'सामूहिक कार्यवाही की शक्ति: यदि हर किसी ने किया'
- ☑ **5 दिसंबर**– विश्व मृदा दिवस 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित। **थीम:** 'मिट्टी और पानी, जीवन का स्रोत'
- ☑ **7 दिसंबर**– सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र बल कर्मियों के बलिदान का सम्मान करते हुए भारत में सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। इसे 1949 में शुरू किया गया था।
- ☑ **9 दिसंबर**– अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। यूएनसीएसी को अपनाने के साथ 2003 में स्थापित यह पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता को बढ़ावा देने में एकता का आह्वान करता है। **थीम:** 'यूएनसीएसी एट 20 भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना'
- ☑ **10 दिसंबर**– मानवाधिकार दिवस **थीम:** सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय है। मानवाधिकार दिवस उस दिन की याद दिलाता है जिस दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था।
- ☑ **16 दिसंबर**– विजय दिवस **थीम:** 'रन फॉर सोल्जर्स, रन विद सोल्जर्स' है। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की जीत और बांग्लादेश की मुक्ति का जश्न मनाता है।
- ☑ **18 दिसंबर**– अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। **थीम:** 'सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना'
- ☑ **22 दिसंबर**– राष्ट्रीय गणित दिवस। यह दिन प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है। इसे 2012 में घोषित किया गया था।
- ☑ **24 दिसंबर**– राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। यह जागरूकता और सक्रियता को बढ़ावा देने वाले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की याद दिलाता है।
- ☑ **25 दिसंबर**– सुशासन दिवस। 2014 में स्थापित यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व का सम्मान करते हुए सुशासन प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

20 Years of Trust

Success is Our Tradition

4500+ Selections in IAS & PCS

ADMISSIONS OPEN FOR

Offline / Online Courses

GENERAL STUDIES | CSAT | OPTIONAL SUBJECTS

MAIN TEST SERIES FOR IAS & PCS

Looking to crack **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination**. Look no further than Dhyeya IAS! Our comprehensive preparation program offers everything you need.

- Expert lectures from experienced subject specialists
- Dedicated mentors to guide you through every step of the process and answer your questions
- Special lectures from top experts in the field
- Holistic PMI (Prelims, Mains, and Interview) tests to prepare you for every stage of the exam
- Complete coverage of current affairs to keep you up-to-date on the latest news and trends
- Daily answer writing practice with expert guidance

Join the many successful candidates who have benefited from Dhyeya IAS's proven approach for **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination.** *Contact us today to learn more*

FOR OFFLINE COURSES, CALL RESPECTIVE CENTRE

Available Optional Subjects

- HISTORY
- POLITICAL SCIENCE & IR
- GEOGRAPHY
- SOCIOLOGY

UPSC PRELIMS & MAINS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

UP-PCS PRELIMS & MAINS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

BPSC PRELIMS & MAINS
GS & OPTIONAL TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

FORTNIGHTLY AVAILABLE PERFECT 7 MAGAZINE FOR COMPREHENSIVE COVERAGE OF CURRENT AFFAIRS

FOR ONLINE COURSES CALL 9205274741 / 42

Delhi (Mukherjee Nagar) : Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar Ph: **9289580074/75** • Delhi (Laxmi Nagar) : 1/53, Lalita Park, Near Gurudwara, Laxmi Nagar Ph: **9205212500/9205962002** • Greater Noida : Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt, Greater Noida Ph: **9205336037/38** • Prayagraj : SP Marg, Civil Lines, Prayagraj Ph: **0532-2260189/8853467068** • Lucknow (Aliganj) : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow Ph: **9506256789/7570009002** • Lucknow (Gomti Nagar) : Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow Ph: **7234000501/ 7234000502** • Lucknow (Alambagh) : Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony, Alambagh Lucknow Ph: **7518373333/7518573333** • Kanpur : 113/154 Swaroop Nagar, Kanpur Ph: **7887003962/7897003962** • Gorakhpur : Narayan Tower, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Ph: **0551-2200385/7080847474**

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4700+ SELECTIONS IN IAS & PCS

₹ 70

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029, **Varanasi :** Ph: 7408098888, 9898529010